रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 17 मई, 2025 ई० (वैशाख 27, 1947 शक संवत्) [संख्या 20

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	231–250	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	479–488	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	...	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश		975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	...	975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	31–38	975
भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	795–870	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

आयुष विभाग

अनुभाग–1

नियुक्ति / तैनाती

19 जुलाई, 2023 ई0

सं0 4109 / 96-आयुष-1-2023-155 / 2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3) / 03 / डी0आर0 / एस-9 / 2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4) / 03 / डी0आर0 / एस-9 / 2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100 / – ग्रेड पे-5,400 / – (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त / तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री नरेन्द्र कुमार	श्री राम चन्द्र	137	54100056946	लखीमपुर खीरी	निवासी-ग्राम-बेहड़ा, पो0-निमचैनी, लखीमपुर खीरी-262727	हरदोई

उक्त नियुक्ति / तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379 / दस-2005-31(9) / 2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)–उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

औपबन्धिक नियुक्ति

सं0 4110/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये मोहम्मद अलीम पुत्र मोहम्मद सलीम का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
मोहम्मद अलीम	मोहम्मद सलीम	346	54100135191	लखीमपुर खीरी	निवासी-मोहल्ला-सैयद वाड़ा, खीरी टाउन, लखीमपुर खीरी-262702	शाहजहांपुर

2– शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा

पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4)– उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5)– नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6)– अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7)– सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

(i)– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(ii)– अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii)– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

सं0 4111/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये श्री निरंकार गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री निरंकार गुप्ता	श्री रमेश चन्द्र गुप्ता	397	54100017381	लखीमपुर खीरी	निवासी-523 पूर्वी लखपेडा निकट थाना कोतवाली, मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी-262804	शाहजहांपुर

2– शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4)– उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5)– नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6)– अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7)– सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

(i)– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(ii)– अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii)– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

सं0 4112/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये श्रीमती सोनिया गुप्ता पत्नी श्री आकाश कुमार गुप्ता का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती सोनिया गुप्ता	W/o श्री आकाश कुमार गुप्ता	20	54100037482	लखीमपुर खीरी	निवासी-तिकुनिया खीरी, विशाल जनरल स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, लखीमपुर-262906	सीतापुर

2– शासनादेश संख्या-04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100 / – ग्रेड पे-5,400 / – (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक / विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4)– उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5)– नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6)– अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र / कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7)– सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

(i)– केवल एक जीवित पति / पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(ii)– अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii)– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

सं0 4113/96-आयुष-1-2023-155/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री आदित्येन्द्र कुमार मिश्र	श्री श्याम लाल मिश्र	359	54100126509	प्रयागराज	निवासी-88बी-2बी-1, कुशवाहानगर, प्रयागराज-211004	प्रतापगढ़

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)—उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4114/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री सृष्टि पाण्डेय	श्री अशोक कुमार पाण्डेय	06	54100136409	प्रयागराज	315-गद्दोपुर फाफामऊ लेहरा, सोरांव, जनपद-प्रयागराज-211013	प्रतापगढ़

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)–उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4115/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री विकास चन्द्र प्रजापति	श्री उमाशंकर	64	54100087751	प्रयागराज	ग्राम-फतुहा, पो0-हनुमान गंज, प्रयागराज-221505	प्रतापगढ़

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)–उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण–पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4116/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती दीपाली द्विवेदी	W/o श्री शिवम कुमार मिश्रा	203	54100107329	प्रयागराज	निवासी-135 ई-1, नारायण पुरम, करेलाबाग, प्रयागराज-211016	कौशाम्बी

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)–उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(7)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4117/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र-संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री सदफ सिद्दीकी	श्री मो0 जैद	208	54100058786	प्रयागराज	निवासी-ग्राम-कनौजा खुर्द, पो0-बाबूगंज, तह0-फूलपुर, प्रयागराज-212404	कौशाम्बी

उक्त नियुक्ति / तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379 / दस-2005-31(9) / 2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)–उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति / पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4118/96-आयुष-1-2023-155/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री पूनम प्रजापति	श्री रामशरण प्रजापति	214	54100116044	प्रयागराज	निवासी-ग्राम-गोरापुर, सिकन्दरा, प्रयागराज-212109	कौशाम्बी

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)—उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4119/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री रोजी मौर्या	श्री राजेन्द्र कुमार मौर्या	221	54100128553	प्रयागराज	मैलहा, बहरिया बाजार, फूलपुर, प्रयागराज-212109	प्रतापगढ़

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)–उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4120/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री उत्तम जायसवाल	श्री सुरेन्द्र जायसवाल	315	54100105242	प्रयागराज	निवासी-अमिलिया हाउस, धनुहा, मामा-भांजा का तालाब, नैनी, प्रयागराज-211008	फतेहपुर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)–उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3– आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

औपबन्धिक नियुक्ति

सं0 4121/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये श्री प्रशांत श्रीवास्तव पुत्र स्व0 बृजेश कुमार श्रीवास्तव का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री प्रशांत श्रीवास्तव	स्व0 बृजेश कुमार श्रीवास्तव	328	54100073086	प्रयागराज	निवासी-ग्राम-यासीनपुर, बड़गॉव, तह0-सोरांव, प्रयागराज-212502	फतेहपुर

2– शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(2)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4)– उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5)– नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6)– अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7)– सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

(i)– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(ii)– अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii)– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

सं0 4122/96-आयुष-1-2023-155/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये श्रीमती शालिनी सिंह कुशवाहा पत्नी श्री शिवम सिंह राठौर का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती शालिनी सिंह कुशवाहा	W/o श्री शिवम सिंह राठौर	347	54100108197	प्रयागराज	निवासी-मकान-636/537ए, पीला शिवाला की गली, पुराना कटरा, प्रयागराज-211002	कौशाम्बी

2– शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी के आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(2)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4)– उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5)– नवचयनित चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6)– अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा भली-भाँति यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।

(7)– सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

(i)– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(ii)– अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(iii)– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

सं0 4123/96-आयुष-1-2023-155/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री अफशा बानो	श्री अनवर अली	127	54100107179	प्रयागराज	निवासी-18पी0- 11एक्स-05, चौकी करामत, जीटीबी नगर, करेली, प्रयागराज-211016	कौशाम्बी

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)—उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण—पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7– केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8– राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9– अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–7 हिन्दी गजट–भाग 1–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 17 मई, 2025 ई० (वैशाख 27, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि की विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश सरकार

वाराणसी विकास प्राधिकरण विभाग

प्रारूप–18

[नियम 20 का उपनियम (2)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

[अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

अधिसूचना

08 मई, 2025 ई0

सं0 857/वि0भू0अ0अ0–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर की राय है, कि वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में रोप-वे की पायलट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु टावर सं0–टी–25, टी–29 व स्टेशन सं0–5 के निर्माण के लिये अधिग्रहण हेतु ग्राम–रामापुरा, कोतवालपुरा, शहर खास, तहसील–सदर, परगना–देहात अमानत, जनपद-वाराणसी में रकबा 872.45 वर्ग मीटर अर्थात 0.087245 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

1. राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी मेसर्स ई0एन0वी0 डेवलपमेन्टल असिस्टेन्स सिस्टम (इण्डिया) प्राईवेट लि0 लखनऊ द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 01 मई, 2025 को अनुमोदित किया गया है।

2. सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है ''परियोजना की उपयोगिता एवं लाभ तथा अधिग्रहण के लिये प्रस्तावित भूमि के वर्तमान प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, साथ ही परियोजना के 85 प्रतिशत पूर्ण होने एवं 03 स्टेशनों के मध्य ट्रायल पूर्ण हो जाने के उपरान्त शेष बचे 15 प्रतिशत कार्य को पूर्ण करने के लिये प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन हेतु भूमि अधिग्रहण की सिफारिश की जाती है।''

3. भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।

4. उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0 414/एक–13–2014–7क(8)/2014 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2014, इस शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, सदर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5. अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					वर्ग मी0
वाराणसी	सदर	देहात अमानत	रामापुरा	830	89
			कोतवालपुरा	88	231
			शहर खास	9701	552.45
					872.45

6. अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित कियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7. अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, वाराणसी को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8. अधिनियम की धारा-11 (4) के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, वाराणसी के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारंभिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, वाराणसी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिला कलेक्टर,
वाराणसी।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

VARANASI DEVELOPMENT AUTHORITY DEPARTMENT

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR [UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT, 2013]

NOTIFICATION

May 8, 2025

No. 857/S.L.A.O.–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/ Collector for the purpose of appropriate Government is satisfied that a total of 872.45 Square meter or 0.087245 Hec. of land is required in the Village-Ramapura, Kotwalpura, Shahar Khas, Tehsil-Sadar, Pargana-Dehat Amanat, District-Varanasi is required for public purpose construction Tower No. T-25, T-29 and Station No. 5 for implementation of Pilot Project of Ropeway as a public transport system in District Varanasi through Varanasi Development Authority Varanasi.

2. Social Impact Assessment study was carried out by M/s. E.N.V. Developmental Assistance System (India) Pvt. Ltd., Lucknow and it has submitted its recommendations to the Appropriate Government Agency which has approved the social impact assessment carried out through its Dt. *May* 01, 2025

3. The summary of the social impact assessment report as follows “Keeping in view the utility and benefits of the project and the present use of the land proposed for acquisition, as well as after 85% completion of the project and completion of trial between 03 stations, it is recommended to acquire land for implementation of the proposed project to complete the remaining 15% work.’’

4. Due to land acquisition no family is being displaced in the said village.

5. Govt. of Uttar Pradesh through his Notification No. 414/1-13 2014-7ka (8)/2014 dated August 06, 2014 has appointed all Assistant Collectors or Deputy Collector as the case may be of the concerned Tehsil of Uttar Pradesh as "Administration for Rehabilitation and Resettlement" within their respective territorial Jurisdiction. According to above Govt. order Sub Divisional Magistrate. Tehsil Sadar Varanasi is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement for the project affected families.

6. Therefore, the Governor is pleased to accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Sq. M.
Varanasi	Sadar	Dehat Amant	Ramapura	830	89
			Kotwalpura	88	231
			Shahar Khas	9701	552.45
				Total . .	872.45

7. The Governor is also pleased to authorise the Collector, District Varanasi for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub-soil into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

8. Under section 15 of the Act, any person whose interest in the land may within a period of 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector, Varanasi.

9. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector, Varanasi for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Varanasi.

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

20 फरवरी, 2025 ई0

सं0 867 / जी0-362 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फरेन्दा परगना हवेली जनपद-महराजगंज के ग्राम पोखरभिण्डा, तप्पा-लेहड़ा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 868 / जी0-155 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील शोहरतगढ़ परगना नौगढ़ जनपद-सिद्धार्थ नगर के ग्राम भपसी, तप्पा-डबरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 869 / जी0-362ए / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौतनवा परगना हवेली जनपद-महराजगंज के ग्राम बहोरपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 870 / जी0-163A / 2024-25—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना हमीरपुर जनपद-हमीरपुर के ग्राम रानीगंज में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 871 / जी0-157 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958

तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी परगना सलेमपुर मझौली जनपद-देवरिया के ग्राम तड़वा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

24 फरवरी, 2025 ई0

सं0 897/जी0-28/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिल्सी परगना सहसवान जनपद-बदायूं के ग्राम मिश्रीपुर मकुईया (जो धारा—4क(2) के अन्तर्गत निर्गत निर्गत विज्ञप्ति दिनांक 28 अगस्त, 2012 में मिर्जापुर मकुइया के नाम से विज्ञापित हुआ) में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 898/जी0-61B/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना चन्दौसी जनपद-सम्भल के ग्राम मुलैठा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 899/जी0-160/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना भदाँव जनपद-मऊ के ग्राम खरका में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 900/जी0-161/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित

होने के दिनांक से तहसील कर्वी नवसृजित तहसील मानिकपुर परगना मानिकपुर जनपद-चित्रकूट के ग्राम बगरेही में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 901 / जी0-153 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सलोन परगना रोखा जनपद-रायबरेली के ग्राम टेकारी दाँदू में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

07 मार्च, 2025 ई0

सं0 1101 / जी0-151 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फतेहपुर परगना कुर्सी जनपद-बाराबंकी के ग्राम महोलिया में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1102 / जी0-167 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना नर्वल जनपद-कानपुर नगर के ग्राम खरौटी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

10 मार्च, 2025 ई0

सं0 1126 / जी0-167 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना नर्वल जनपद-कानपुर नगर के ग्राम अखरी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1127 / जी0-362 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फरेन्दा परगना हवेली जनपद-महराजगंज के ग्राम कोइलाडाड, तप्पा-सिकरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1128/जी0-161/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बस्ती (सदर) परगना महुली पश्चिम जनपद-बस्ती के ग्राम बेसियाकला, तप्पा-कुदरहा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1129/जी0-43/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील रामपुर मनिहारान परगना नागल जनपद-सहारनपुर के ग्राम हलगोया अहतमाल में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1130/जी0-28/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिल्सी परगना कोट जनपद-बदायूं के ग्राम वेहटा जवी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1131/जी0-153/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील चरखारी परगना मुस्करा जनपद-महोबा के ग्राम बरदा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1132/जी0-155/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित

अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना भोजपुर जनपद-फर्रूखाबाद के ग्राम बहोरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1133/जी0-150/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना ललितपुर जनपद-ललितपुर के ग्राम सांकली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1134/जी0-181/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी परगना धुरियापार जनपद-गोरखपुर के ग्राम नरगड़ा शिवदत्त सिंह, तप्पा-बेलघाट में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1135/जी0-228/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना गोण्डा जनपद-गोण्डा के ग्राम माधवगंज में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1136/जी0-61/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बिलारी परगना कुन्दरकी जनपद-मुरादाबाद के ग्राम राघौपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

21 मार्च, 2025 ई0

सं0 1302/जी0-172/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना आंवला जनपद-बरेली के ग्राम करुआताल में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1303/जी0-154ए/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील करनैलगंज परगना ग्वारिच जनपद-गोण्डा के ग्राम राजापुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1304/जी0-213/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कासगंज परगना बिलराम जनपद-कासगंज के ग्राम अगौली किरामई में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

भानु चन्द्र गोस्वामी,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0—7 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 17 मई, 2025 ई० (वैशाख 27, 1947 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 23 अगस्त, 2024 ई0 / 01 भाद्रपद, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/आजमगढ़/2022/सी0ई0एम0एस0-III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 345-सगड़ी विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-99/61-2022 दिनांक 10 फरवरी, 2022 के जरिये की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 345-सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वीरेन्द्र यादव जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 345-सगड़ी से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5)

के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिये वीरेन्द्र यादव को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिये वीरेन्द्र यादव को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुये लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा अपने पत्र संख्या 857/निर्वाचन-आवंटन/2022-23 दिनांक 28 जून, 2023 के जरिये आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी के पत्नी अनीता देवी द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2024 के पत्र संख्या-177/निर्वाचन व्यय अनु0/2022 के जरिये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वीरेन्द्र यादव ने अपना व्यय लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया है। अभ्यर्थी ने अपने चुनाव खर्च के व्यय बाउचर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किये। जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ ने अपने पत्र संख्या-177/निर्वाचन-व्यय अनु0/2022 दिनांक 26 मार्च, 2024 ने सूचना दी की निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित व्यय बाउचर जमा नहीं किया। इसके पश्चात् आयोग ने अभ्यर्थी को दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 एवं 26 फरवरी, 2024 के पत्र सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/आजमगढ़/2022/सी0ई0एम0एस0-III/5256-5258 द्वारा व्यय बाउचर जमा करने हेतु अवसर दिये गये थे, किन्तु अभ्यर्थी ने अपने व्यय बाउचर जमा नहीं किये हैं; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि वीरेन्द्र यादव निर्वाचन खर्चों का लेखा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं, जैसा कि निर्वाचन के संचालन नियम 1961 के 86(3) में वर्णित है और उनके पास इस विफलता के लिये कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबन्धित किया गया है कि–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)– निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)– उस असफलता के लिये कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 345-सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी वीरेन्द्र यादव निवासी ग्राम-ब्रम्हौली ध्यान, पोस्ट-हरैया, तहसील-सगड़ी, जनपद-आजमगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिये निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *23rd August, 2024* / *01 Bhadra, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Azamgarh/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 345-Sagari Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 99/61-2022 dated 10 February, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 345-Sagari Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Azamgarh, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Virendra Yadav, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 345-Sagari Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Azamgarh, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13 December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Virendra Yadav for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 13 December, 2022, Virendra Yadav was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate's wife Anita Devi on 18 April, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Azamgarh, *vide* its letter No. 857 / निर्वाचन-आवंटन / 2022-23 dated 28 June, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Azamgarh in his Supplementary Report, *vide* its letter 178 / निर्वाचन व्यय अनु0 / 2022 dated 26 March, 2024 has reported that Virendra Yadav has fail to lodge his election expenditure account as per required law. The candidate had not submitted election vouchers expenditure. Further, Commission had given opportunity to submitted election expenditure voucher *vide* its letter dated 27.10.2023 & 26.02.2024, but the candidate has fail to lodge his complete election vouchers; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Virendra Yadav has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)- has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b)- has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Virendra Yadav resident of Village-Bramhauli Dhyan, Post-Haraiya, Tehsil-Sagari, District-Azamgarh a contesting candidate from 345-Sagari Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 23 अगस्त, 2024 ई0 / 01 भाद्रपद, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/आजमगढ़/2022/सी0ई0एम0एस0-III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 348-निजामाबाद विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-99/61-2022 दिनांक 10 फरवरी, 2022 के जरिये की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 348-निजामाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अख्तर अली जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 348-निजामाबाद से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिये अख्तर अली को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश/वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिये अख्तर अली को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुये लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा अपने पत्र संख्या 857/निर्वाचन-आवंटन/2022-23 दिनांक 28 जून, 2023 के जरिये आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2024 के पत्र संख्या 178/निर्वाचन व्यय अनु0/2022 के जरिये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अख्तर अली ने अपना व्यय लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया है। अभ्यर्थी ने अपने चुनाव खर्च रु0 1,40,186/– के सापेक्ष केवल रु0 55,741/– के व्यय बाउचर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किये हैं। इसके पश्चात् आयोग ने अभयर्थी को दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 एवं 26 फरवरी, 2024 के पत्र सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/आजमगढ़/2022/सी0ई0एम0एस0-III/5856-5858 द्वारा व्यय बाउचर जमा करने हेतु अवसर दिये गये थे, किन्तु अभ्यर्थी ने अपने सम्पूर्ण व्यय बाउचर जमा नहीं किये हैं; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि अख्तर अली निर्वाचन खर्चों का लेखा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिये कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबन्धित किया गया है कि–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)– निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)– उस असफलता के लिये कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 348-निजामाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अख्तर अली निवासी ग्राम-कटौलीखुर्द, पोस्ट-कटौली कलाँ, जनपद-आजमगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिये निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *23rd August, 2024* / *01 Bhadra, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Azamgarh/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 348-Nizamabaad Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 99/61-2022 dated 10 February, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 348-Nizamabaad Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Azamgarh, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Akhatar Ali, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 348-Nizamabaad Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Azamgarh, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13 December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Akhatar Ali for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 13 December, 2022, Akhatar Ali was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 13.12.2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Azamgarh, *vide* its letter No. 857 / निर्वाचन-आवंटन / 2022-23 dated 28 June, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Azamgarh in his Supplementary Report, *vide* its letter 177 / निर्वाचन व्यय अनु0 / 2022 dated 26 March, 2024 has reported that Akhatar Ali has fail to lodge his election expenditure account as per required law. The candidate had submitted election vouchers of only 55,741/- against the total expenditure of Rs. 1,40,186/-. Further, Commission had given opportunity to submitted election expenditure voucher *vide* its letter No. 76 / उत्तर प्रदेश-वि0स0 / आजमगढ़ / 2022 / सी0ई0एम0एस0-III / 5856-5858 dated 27.10.2023 & 26.02.2024, but the candidate has fail to lodge his complete election vouchers; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Akhatar Ali has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b)-has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Akhatar Ali resident of Village-Katauli Khurd, Post-

Katauli Kala, District-Azamgarh a contesting candidate from 348-Nizamabaad Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0पी0–7 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–22 निर्वाचन–17.05.2025–50 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 17 मई, 2025 ई० (वैशाख 27, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

(उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965
(उ0प्र0 अधिनियम संख्या–1, 1966) की धारा–28 के अधीन)

सूचना

01 मई, 2025 ई0

सं0 181/एल0ए0सी0/एच0क्यू0–उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् ने मेरठ नगर की बढ़ती हुयी आवासीय समस्या के निराकरण हेतु मेरठ–हापुड़ बाईपास व बिजली बम्बा बाईपास रोड, मेरठ के मध्य ग्राम नरहाड़ा, ढिकोली, सलेमपुर, जाहिदपुर, जुर्रानपुर, बाजोट, चन्दसारा, गगोल, ततीनासानी, शाकरपुर, अल्लीपुर जिजमाना एवं रुकनुदीनमिश्री फफूंडा ग्रामों की कृषक भूमि को सम्मिलित करते हुये नई मेरठ–हापुड़ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान, योजना बनायी है। इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत् हैं :–

उत्तर :– बिजली बम्बा बाईपास रोड–ग्राम–जुर्रानपुर परगना व तहसील व जिला–मेरठ रोड का भाग खसरा–157, 150, 108, 93 भाग, 94 भाग, 95 भाग।

ग्राम–बाजोट परगना व तहसील व जिला–मेरठ रोड का भाग खसरा–385, 418, 405 ।

ग्राम–जाहिदपुर परगना व तहसील व जिला–मेरठ रोड का भाग खसरा–151 ।

दक्षिण :– दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे–ग्राम–सलेमपुर परगना व तहसील व जिला–मेरठ खसरा–361 भाग, 360 भाग, 372 भाग, 374 भाग, 380 भाग, 402 भाग, 403 भाग, 420 भाग, 430 भाग, 429 भाग, 470 भाग, 468 भाग, 469 भाग, 467 भाग, 463 भाग, 387 भाग, 364 भाग, 363 भाग।

ग्राम–चन्दसारा परगना व तहसील व जिला–मेरठ खसरा–357 भाग, 358 भाग, 360 भाग, 362 भाग, 377 भाग, 355 भाग, 376 भाग, 378 भाग, 354 भाग, 379 भाग, 380 भाग, 349 भाग, 348 भाग, 347 भाग, 400 भाग, 402 भाग।

पूरब :– मेरठ–हापुड़ राष्ट्रीय राजमार्ग–334 व दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे–ग्राम–जाहिदपुर परगना व तहसील व जिला–मेरठ रोड का भाग खसरा–296, 295, 267 ।

ग्राम–शाकरपुर परगना व तहसील व जिला–मेरठ रोड का भाग खसरा–11 भाग, 13 भाग, 14 भाग, 18 भाग, 30 भाग, 29 भाग, 28 भाग, 27 भाग, 26 भाग, 64 भाग, 66 भाग, 71 भाग, 84, 60 भाग, 61 भाग।

ग्राम–नरहाड़ा परगना व तहसील व जिला–मेरठ रोड का भाग खसरा–193 भाग, 194 भाग, 192 भाग, 201 भाग, 202 भाग, 195 भाग, 217 भाग, 218 भाग, 176 भाग, 170 भाग, 204 भाग, 179 भाग, 213 भाग, 212 भाग, 214 भाग, 215 भाग, 216 भाग, 177 भाग, 174 भाग, 172 भाग, 171 भाग, 164 भाग, 163 भाग, 169 भाग, 162 भाग, 161 भाग, 81 भाग, 82 भाग, 41 भाग, 40 भाग, 30 भाग, 151 भाग, 28 भाग, 27 भाग, 18 भाग, 17 भाग, 14 भाग, 16 भाग, 49 भाग, 50 भाग।

ग्राम–ढिकौली परगना व तहसील व जिला–मेरठ रोड का भाग खसरा–306 भाग, 305 भाग, 299 भाग, 205 भाग, 206 भाग, 208 भाग, 209 भाग, 210 भाग, 211 भाग, 212 भाग, 218 भाग, 200 भाग, 182 भाग, 181 भाग, 174 भाग, 175 भाग, 171 भाग, 172 भाग, 173 भाग, 158 भाग, 159 भाग, 163 भाग, 161 भाग, 153 भाग, 154 भाग, 160 भाग।

ग्राम–सलेमपुर परगना व तहसील व जिला–मेरठ रोड का भाग खसरा–29 भाग, 25 भाग।

पश्चिम :– मेरठ–हापुड़ रेलवे लाईन–ग्राम–चन्दसारा परगना व तहसील व जिला–मेरठ के रेलवे लाईन के खसरा–319, 401 ।

ग्राम–सलेमपुर परगना व तहसील व जिला–मेरठ के रेलवे लाईन के खसरा–152 ।

ग्राम–नरहाड़ा परगना व तहसील व जिला–मेरठ के रेलवे लाईन के खसरा–574, 586, 614 ।

ग्राम–गगोल परगना व तहसील व जिला–मेरठ के रेलवे लाईन के खसरा–1052, 1058 ।

ग्राम–ततीना सानी परगना व तहसील व जिला–मेरठ के रेलवे लाईन के खसरा–30,104, 106 ।

ग्राम–जुर्रानपुर परगना व तहसील व जिला–मेरठ के रेलवे लाईन के खसरा–90 ।

योजना हेतु प्रस्तावित नाले हेतु अधिग्रहित किये जाने वाले खसरे :–

उत्तर :–ग्राम–अल्लीपुर जिजमाना परगना व तहसील व जिला–मेरठ खसरा–669 भाग (रोड), 670 भाग, 676 भाग, 677 भाग, 678 भाग, 681 भाग, 682 भाग, 683 भाग, 740 भाग (चकरोड), 743 भाग (चकरोड), 744 भाग, 745 भाग, 746 भाग, 747 भाग, 748 भाग, 786 भाग, 785 भाग, 784 भाग, 783 भाग, 782 भाग, 770 भाग (चकरोड), 771 भाग (चकरोड), 769 भाग, 768 भाग, 767 भाग।

ग्राम–रुकनुदीनमिश्री फफूंडा परगना व तहसील व जिला–मेरठ खसरा–19 भाग, 20 भाग, 48 भाग, 49 भाग, 46 भाग, 47 भाग, 42 भाग, 43 भाग, 44 भाग, 38 भाग, 24 भाग, 36 भाग, 25 भाग, 29 भाग, 27 भाग, 26 भाग, 52 भाग (रोड), 53 भाग (रोड), 54 भाग (रोड), 90 भाग, 91 भाग, 92 भाग, 89 भाग, 86 भाग, 93 भाग (चकरोड), 94 भाग (चकरोड), 95 भाग, 110 भाग, 111 भाग, 109 भाग (रोड)।

ग्राम–चन्दसारा परगना व तहसील व जिला–मेरठ खसरा–26 भाग, 27 भाग।

दक्षिण :–ग्राम–अल्लीपुर जिजमाना परगना व तहसील व जिला–मेरठ खसरा–787 (चकरोड), 806 (चकरोड), 805 (चकरोड)।

ग्राम–रुकनुदीनमिश्री फफूंडा परगना व तहसील व जिला–मेरठ खसरा–112 (चकरोड), 51 (चकरोड)।

ग्राम–चन्दसारा परगना व तहसील व जिला–मेरठ खसरा–362 भाग।

पूरब :–ग्राम–अल्लीपुर जिजमाना परगना व तहसील व जिला–मेरठ खसरा–458 ।

पश्चिम :–ग्राम–सलेमपुर परगना व तहसील व जिला–मेरठ खसरा–29 ।

उपरोक्त क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर–09, शास्त्रीनगर, मेरठ में किसी भी कार्य दिवस में 11:00 बजे पूर्वान्ह से 3:00 बजे अपरान्ह तक देखे जा सकते हैं।

इस नोटिस के उ0प्र0 सरकारी गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर इस योजना में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि से सम्बन्धित आपत्तियां कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर–09, शास्त्रीनगर, मेरठ में ली जायेगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का सही सही नाम, आपत्तिकर्ता का नाम व पता मोबाईल नं0 सहित, आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन का पूर्ण विवरण यथा ग्राम का नाम, खसरा प्लाट संख्या, क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से सही सही अंकित होना चाहिये। योजना क्षेत्र स्थित निर्माण युक्त के भू-स्वामियों अध्यासिनों को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम–1965 (उ0प्र0 अधिनियम सं0–1 1966) के अनुसार बैटरमेन्ट (असुधार शुल्क)/विकास शुल्क परिषद् को देय होगा।

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKASH PARISHAD

[Notice Under Section-28 of the Uttar Pradesh Awas Evam
Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U. P. Act. No. 1 of 1966]

NOTICE

May 01, 2025

No. 181/L.A.C./H.Q.--The Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad has framed a new scheme called Meerut-Hapur Road Land Development and Housing Scheme near Meerut-Hapur Bypass and Bijli, Bamba Bypass Road consider the agricultural land of the Villages Narhada, Dhikoli, Salempur, Zahidpur, Jurranpur, Bajaut, Chandsara, Gagol, Tatina Sani, Shakarpur, Allipur Jijmana and Ruknudinmishri Fafunda situated at center of the city Meerut with a view to solve the acute housing demand of the city. The boundaries of the area comprised in the scheme are as follows :-

North :- Bijli, Bamba Bypass Road-Village-Jurranpur Pargana and Tehsil and District-Meerut Road Khasra-157, 150, 108, 93 Part, 94 Part, 95 Part.

Village-Bajaut Pargana and Tehsil, District-Meerut Road Khasra Nos.-385, 418, 405.

Village-Jahidpur Pargana and Tehsil and District-Meerut Road Khasra No.-151.

South :- Delhi-Meerut Expressway

Villages-Salempur Pargana and Tehsil and District-Meerut 361 Part, 360 Part, 372 Part, 374 Part, 380 Part, 402 Part, 403 Part, 420 Part, 430 Part, 429 Part, 470 Part, 468 Part, 469 Part, 467 Part, 463 Part, 387 Part, 364 Part, 363 Part.

Villages-Chandsara Pargana and Tehsil and District-Meerut Khasra Nos.-357 Part, 358 Part, 360 Part, 362 Part, 377 Part, 355 Part, 376 Part, 378 Part, 354 Part, 379 Part, 380 Part, 349 Part, 348 Part, 347 Part, 400 Part, 402 Part.

East :- Meerut-Hapur National Highway-334, Delhi-Meerut Expressway-Village-Jahidpur Pargana and Tehsil and District-Meerut Road Khasra Nos.-296, 295, 267.

Village-Shakarpur Pargana and Tehsil and District-Meerut Road Khasra Nos.-11 Part, 13 Part, 14 Part, 18 Part, 30 Part, 29 Part, 28 Part, 27 Part, 26 Part, 64 Part, 66 Part, 71 Part, 84, 60 Part, 61 Part.

Village-Narhara Pargana and Tehsil and District-Meerut Road Khasra Nos.-193 Part, 194 Part, 192 Part, 201 Part, 202 Part, 195 Part, 217 Part, 218 Part, 176 Part, 170 Part, 204 Part, 179 Part, 213 Part, 212 Part, 214 Part, 215 Part, 216 Part, 177 Part, 174 Part, 172 Part, 171 Part, 164 Part, 163 Part, 169 Part, 162 Part, 161 Part, 81 Part, 82 Part, 41 Part, 40 Part, 30 Part, 151 Part, 28 Part, 27 Part, 18 Part, 17 Part, 14 Part, 16 Part, 49 Part, 50 Part.

Village-Dhikauli Pargana and Tehsil and District-Meerut Road Khasra Nos.-306 Part, 305 Part, 299 Part, 205 Part, 206 Part, 208 Part, 209 Part, 210 Part, 211 Part, 212 Part, 218 Part, 200 Part, 182 Part, 181 Part, 174 Part, 175 Part, 171 Part, 172 Part, 173 Part, 158 Part, 159 Part, 163 Part, 161 Part, 153 Part, 154 Part, 160 Part.

Village-Salempur Pargana and Tehsil and District-Meerut Road Khasra Nos.-29 Part, 25 Part.

West :- Meerut-Hapur Railway Line-Villages-Chandsara Pargana and Tehsil and District-Meerut Railway Line Khasra Nos.-319, 401.

Villages-Salempur Pargana and Tehsil and District-Meerut Railway Line Khasra No.-152.

Villages-Narhara Pargana and Tehsil and District-Meerut Railway Line Khasra Nos.-574, 586, 614.

Villages-Gagol Pargana and Tehsil and District-Meerut Railway Line Khasra Nos.-1052, 1058.

Villages-Tatina Sani Pargana and Tehsil and District-Meerut Railway Line Khasra Nos.-30, 104, 106.

Villages-Jurranpur Pargana and Tehsil and District-Meerut, Khasra Nos.-90, Pargana and Tehsil, District-Meerut.

To be acquire khasra no. for proposed Nala for scheme :-

North :- Villages-Allipur Jijmana Pargana and Tehsil and District-Meerut Khasra Nos.-669 Part (Road), 670 Part, 676 Part, 677 Part, 678 Part, 681 Part, 682 Part, 683 Part, 740 Part (Chakroad), 743 Part (Chakroad), 744 Part, 745 Part, 746 Part, 747 Part, 748 Part, 786 Part, 785 Part, 784 Part, 783 Part, 782 Part, 770 Part (Chakroad), 771 Part (Chakroad), 769 Part, 768 Part, 767 Part.

Villages-Ruknudinmishri Fafunda Pargana and Tehsil and District-Meerut Khasra Nos.-19 Part, 20 Part, 48 Part, 49 Part, 46 Part, 47 Part, 42 Part, 43 Part, 44 Part, 38 Part, 24 Part, 36 Part, 25 Part, 29 Part, 27 Part, 26 Part, 52 Part (Road), 53 Part (Road), 54 Part (Road), 90 Part, 91 Part, 92 Part, 89 Part, 86 Part, 93 Part (Chakroad), 94 Part (Chakroad), 95 Part, 110 Part, 111 Part, 109 Part (Road).

Villages-Chandsara Pargana and Tehsil and District-Meerut Khasra Nos.-26 Part, 27 Part.

South-Villages-Allipur Jijmana Pargana and Tehsil and District-Meerut Khasra Nos.-787 (Chakroad), 806 (Chakroad), 805 (Chakroad).

Villages-Ruknudinmishri Fafunda Pargana and Tehsil and District-Meerut Khasra Nos.-112 (Chakroad), 51 (Chakroad).

Villages-Chandsara Pargana and Tehsil and District-Meerut Khasra No.-362 Part.

East :- Villages-Allipur Jijmana Pargana and Tehsil and District-Meerut Khasra No.-458.

West :- Villages-Salempur Pargana and Tehsil and District-Meerut Khasra No.-29.

The map of the area, particulars of the scheme and details of the land proposed to be acquired may be seen at the Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of the Executive Engineer, Construction Division Meerut-2, Uttar Pradesh, Awas Evam Vikas Parishad, Sector-9, Shastri Nagar, Meerut on any working day between 11:00 A.M. to 3:00 P.M.

Objections related the land to be acquired in the scheme shall be received at the Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh, Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of the Executive Engineer, Construction Division Meerut-2, Uttar Pradesh, Awas Evam Vikas Parishad, Sector-9, Shastri Nagar, Meerut within 30 days from the date on which this notice is first published in Uttar Pradesh Gazette, No objection will be accepted after the scheduled date. Correct Name of the Village/ Khasra, plot no./area of the land and other details of the objector *etc*. within the scheme, should be clearly mentioned in every objection. Owner/Occupiers of structures in the scheme are/shall be liable to pay "Betterment Fee, Development Charge" to the Housing Board in accordance with the provisions of the Housing Board Act, 1965 (U. P. Act No. 1, 1966).

Dr. Balkar Singh,
Housing Commissioner.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अन्तर्गत)

सूचना

05 मई, 2025 ई0

सं0 201/एल0ए0सी0/एच0क्यू0–उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने प्रयागराज नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासीय योजना **"प्रयागराज-रायबरेली-लखनऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, टिकरी प्रयागराज"** बनाई है। योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार हैं :-

उत्तर :- खसरा संख्या (प्रयागराज-रायबरेली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-30) 284- ग्राम- टिकरी, तहसील-सोरांव, जनपद-प्रयागराज।

खसरा संख्या-196, 197, 203, 205, 207, 208, 209, 371, 375, 376, 377, 446, 447, 448, 449 एवं 589, ग्राम-हथिगहाँ, तहसील-सोरांव, जनपद-प्रयागराज।

खसरा संख्या-1, ग्राम-मुहम्मदपुर हथिंगा, तहसील-सोरांव, जनपद-प्रयागराज।

पूरब :- खसरा संख्या-1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 118, 119, 120, 121, 129 एवं 130, ग्राम-चकशाह हामिद, तहसील-सोरांव, जनपद-प्रयागराज।

खसरा संख्या-953, 958, 956, 974 एवं 978, ग्राम-टिकरी, तहसील-सोरांव, जनपद-प्रयागराज।

खसरा संख्या-2, ग्राम-मुहम्मदपुर हथिंगा, तहसील-सोरांव, जनपद-प्रयागराज।

खसरा संख्या-152, 161 एवं 183, ग्राम-हथिगहाँ, तहसील-सोरांव, जनपद-प्रयागराज।

दक्षिण :- खसरा संख्या-5 एवं 40, ग्राम-कासिमपुर जुड़ा उर्फ मूसेपुर, तहसील-सोरांव, जनपद-प्रयागराज।

खसरा संख्या-28, 30, 33, 35, 405, 397, 396, 395, 393, 392, 518, 332, 333, 338, 339, 340, 374, 375, 560/376, 376, 364, 363, 361, 365, 367, 348, 349, 350, 279, 276, 275, 272, 267, 283, 288, 289, 322, 317, 316 एवं 314, ग्राम-अकबरपुर उर्फ गंगागंज, तहसील-सोरांव, जनपद-प्रयागराज।

पश्चिम :- खसरा संख्या-505, 506, 508, 509, 510, 511, 518, 529, 530, 534, 540, 541, 542, 543, 720, 722, 723, 724, 725, 723/737, 727, 726 एवं 687, ग्राम-दुवरा जगदीशपुर, तहसील-सोरांव, जनपद-प्रयागराज।

खसरा संख्या-1, 2, 5, 19, 62, 147, 148, 150, 159, 160, 162, 173, 313 एवं 324, ग्राम-घरबन्दपुर, तहसील-सोरांव, जनपद-प्रयागराज।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त(भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, प्रयागराज-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस कॉम्पलेक्स, चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना,(मेहदौरी) तेलियरगंज, प्रयागराज में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू-स्वामियों पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के प्राविधानों के अनुसार आसुधार शुल्क/विकास व्यय भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को, इस नोटिस के प्रथम बार उ0प्र0 गजट के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर, कार्यालय आवास आयुक्त(भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड, प्रयागराज-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस कॉम्पलेक्स, चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, (मेहदौरी) तेलियरगंज, प्रयागराज में ली जायेगी। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKASH PARISHAD

[Notice Under Section-28 of The Uttar Pradesh, Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U.P. Act. No.-1, 1966)]

NOTICE

May 05, 2025

No. 201/L.A.C./H.Q.--The Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad has framed a scheme, called "Prayagraj-Raibareli-Lucknow Marg Bhoomi Vikas Evam Grihasthan Yojna, Tikari, Prayagraj" to solve the housing problem of the Prayagraj City. The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows :-

North:- Khasra No. attached to **(**Prayagraj-Raibareli-Lucknow National Highway No.30) 284 -Village-Tikari, Tehsil-Soraon, District-Prayagraj.

Khasra Nos.-196, 197, 203, 205, 207, 208, 209, 371, 375, 376, 377, 446, 447, 448, 449 and 589, Village-Hathigahan, Tehsil-Soraon, District-Prayagraj.

Khasra No.-1, Village-Muhammadpur Hathigahan, Tehsil-Soraon, District-Prayagraj.

East:- Khasra Nos.-1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 118, 119, 120, 121, 129 and 130, Village-Chaksah Hamid, Tehsil-Soraon, District-Prayagraj.

Khasra Nos.-953, 958, 956, 974 and 978, Village-Tikari, Tehsil-Soraon, District-Prayagraj.

Khasra No.-2, Village-Muhammadpur Hathiga, Tehsil-Soraon, District-Prayagraj.

Khasra Nos.-152, 161 and 183, Village-Hathigahan, Tehsil-Soraon, District-Prayagraj.

South:- Khasra Nos.-5 and 40, Village-Kasimpur Juda *Urf* Musepur, Tehsil-Soraon, District-Prayagraj.

Khasra Nos.-28, 30, 33, 35, 405, 397, 396, 395, 393, 392, 518, 332, 333, 338, 339, 340, 374, 375, 560/376, 376, 364, 363, 361, 365, 367, 348, 349, 350, 279, 276, 275, 272, 267, 283, 288, 289, 322, 317, 316 and 314, Village-Akbarpur *Urf* Gangaganj, Tehsil-Soraon, District-Prayagraj.

West:- Khasra Nos.-505, 506, 508, 509, 510, 511, 518, 529, 530, 534, 540, 541, 542, 543, 720, 722, 723, 724, 725, 723/737, 727, 726 and 687, Village-Duara Jagdishpur, Tehsil-Soraon, District-Prayagraj.

Khasra Nos.-1, 2, 5, 19, 62, 147, 148, 150, 159, 160, 162, 173, 313 and 324, Village-Gharbandpur, Tehsil-Soraon, District-Prayagraj.

The details of land, falling under the scheme and map can be seen in the Office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of Executive Engineer, Construction Division, Prayagraj-01, U.P. Avas Evam Vikas Parishad, Office Complex, Chandra Shekhar Azad Nagar Yojna (Mehdauri) Teliarganj, Prayagraj on any working day between 11:00 a.m. to 03:00 pm. land owners will be liable to pay Betterment fee/Development charges of their situated structures in the scheme according to requisite rules/provisions of U.P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965.

Objection against the scheme shall be received at the Office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section) U.P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of Executive Engineer, Construction Division, Prayagraj-01, U. P. Avas Evam Vikas Parishad, Chandra Shekhar Azad Nagar Yojna (Mehdauri) Teliarganj, Prayagraj within 30 days from the first publication in Uttar Pradesh Gazette of this notice. After passing of the due date, no objection shall be considered. Correct name and land/building/name of village/khasra number/area of land and all other details of objectioner comprised in scheme should be mentioned clearly.

Dr. Balkar Singh,

Housing Commissioner.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

भूमि अर्जन अनुभाग

नोटिस

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965
(उ0प्र0 अधिनियम संख्या-1, 1996) की धारा-28 के अधीन

05 मई, 2025 ई0

सं0 203/एल0ए0सी0/एच0क्यू0-(पत्रावली-10)–जनपद झाँसी की आवासीय समस्या के समाधान हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा जनपद झाँसी में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-04, झाँसी प्रस्तावित की गयी है। इस योजना में समाविष्ट भूमि की सीमा निम्नवत है–

पूरब– टाकोरी सम्पर्क मार्ग मौजा कोछाभॉवर तहसील व जनपद झाँसी (खसरा सं0 119) व मौजा टाकोरी तहसील व जनपद झाँसी (खसरा सं0 311)।

पश्चिम– मौजा कोछा भाँवर तहसील व जनपद झाँसी खसरा सं0 15, 16, 18. (भाग), 3 (भाग), 21 (भाग). 19 (भाग), 20 (भाग), 29 (भाग), 30 (भाग), 31. 32 (भाग), 33 (भाग), 34 (भाग), 25 (भाग), 36 (भाग), 168 (भाग), 165 (भाग), 158 (भाग), 164 (भाग), 162, 161, (भाग), 160 (भाग), 159 (भाग), 157 (भाग), 156 (भाग), 136 (भाग), 38 (भाग), 39 (भाग), 36/1590 (भाग), 41 (भाग), 42 (भाग), 44 (भाग), 45 (भाग चकमार्ग), 62/1588 (भाग), 66 (भाग). 65 (भाग), 70 (भाग चकमार्ग), 123 (भाग चकमार्ग), 82 (भाग), 83 (भाग), 84 (भाग), 85 (भाग), 86 (भाग), 87 (भाग). 77 (भाग नाला), ग्राम-मुस्तरा-झाँसी खसरा सं0 1110 (भाग), 1108 (भाग), 1107 (भाग), 1103 (भाग), 1104 (भाग), 1023, 1022, 1020 (भाग), 1019 (भाग), 972 (भाग), 983 (भाग), 982 (भाग), 967 (भाग), 952 (भाग), 984, 990 (भाग), 992 (भाग), 993, (भाग), 994, (भाग), 995 (भाग), 996, 865 (भाग), 841 (भाग), 842 (भाग), 843 (भाग), 839, 838 (भाग), 835 (भाग), 821 (भाग), 824 (भाग), 823, 825 (भाग), 826 (भाग), 810 (भाग), 809 (भाग), 652 (भाग), 651 (भाग), 650 (भाग), 647 (भाग), 644 (भाग), 655 (भाग), 656 (भाग), 657 (भाग), 659 (भाग), 660 (भाग), 632 (भाग), एवं 631 (भाग),

उत्तर– झाँसी कानपुर रेलवे लाइन (उ0म0रे0) मुस्तरा, तहसील व जनपद झाँसी (खसरा सं0 376 (भाग), व 694 (भाग), ग्राम टाकोरी तहसील व जनपद झाँसी (खसरा सं0 245 व 246)

दक्षिण– ग्राम पिछोर तहसील व जनपद झाँसी, झाँसी ग्वालियर, कानपुर बाईपास एवं खसरा सं0 331, 343, 337, 319, 301, 298 (भाग), तथा ग्राम-कोछा भोंवर तहसील व जनपद झाँसी-खसरा सं0 228 (भाग), 229 (भाग), 230 (भाग), 231 (भाग), 232 (भाग), 239 (भाग), 238 (भाग), 240 (भाग), 246 (भाग), 244 (भाग)

यह भी घोषणा की जाती है कि परिषद की राय में उक्त योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी की भूमि, जो उसके निष्पादन के लिये अपेक्षित न होगी, का मूल्य बढ जायेगा। योजना के निष्पादन के फल स्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के सम्बन्ध में भू-स्वामी अथवा उसके स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा असुधार शुल्क/विकास शुल्क उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के प्राविधानों के अनुसार देय होगा।

उक्त योजना क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण तथा अर्जित की जाने वाली भूमि का ब्योरा कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाधी मार्ग लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड-01. झॉसी में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

इस नोटिस के उ0प्र0 गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिनों के अन्दर योजना क्षेत्र में समाविष्ट भूमि/भवन से सम्बन्धित आपत्तियां कार्यालय, आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड-01. झॉसी में प्रेषित की जायेगी। प्रेषित आपत्तियों में योजना का सही नाम, आपत्तिकर्ता का नाम, खसरा संख्या, क्षेत्रफल व अन्य विवरण स्पष्ट रूप से सही-सही अंकित होना चाहिये।

डा0 बलकार सिंह,

आवास आयुक्त

UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKASH PARISHAD

[LAND ACQUISITION SECTION]

Notice U/s 28 of Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U. P. Act 1 of 1966)

NOTICE

May 05, 2025

No. 203/एल0ए0सी0/एच0क्यू0-(पत्रावली-18)—The U. P. Avas Evam Vikas Parishad has framed a scheme called Bhoomi Vikas Evam Grihsthan Yojna No.-4, Jhansi with a view to solve the acute housing problem of Jhansi City. The boundary of the area comprised in the scheme are as follows:-

East– Village Takori contact route Village Kochhabhawar Khasra no. 119, Village Takori Tehsil and District- Jhansi Khasra no. 311).

West– Village Khochhabhawar, Tahsil & District-Jhansi Khasra no. 15, 16, 18 (part), 3 (part), 21 (part), 19 (part), 20 (part), 29 (part), 30 (part), 31, 32 (part), 33 (part), 34 (part), 25 (part), 36 (part), 168 (part), 165 (part), 158 (part), 164 (part), 162, 161 (part), 160 (part) 159 (part), 157 (part), 156 (part), 136 (part), 38 (part), 39 (part), 36/1590 (part), 41 (part), 42 (part), 44 (part), 45 (part chakmarg), 62/1588 (part), 66 (part), 65 (part), 70 (part chakmarg), 123 (part chakmarg), 82 (part), 83 (part), 84 (part), 85 (part), 86 (part), 87 (part), 77 (part Nala), Village Mustara Jhansi Khasra No. 1110 (part), 1108 (part), 1107 (part), 1103 (part), 1104 (part), 1023, 1022, 1020 (part), 1019 (part), 972 (part), 983 (part), 982 (part), 967 (part),

952 (part), 984, 990 (part), 992 (part), 993, (part), 994 (part), 995 (part), 996, 865 (part), 841 (part), 842 (part), 843 (part), 839, 838 (part), 835 (part), 821 (part), 824 (part), 823, 825 (part), 826 (part), 810 (part), 809 (part), 652 (part), 651 (part), 650 (part), 647(Part), 644 (part), 655 (part), 656 (part), 657 (part), 659 (part), 660 (part), 632 (part), And 631 (part).

North– Jhansi Kanpur Railway Line (North Central Railway) Village Mustara, Tahsil & District-Jhansi Khasra no. 376 part, 694 part, Village Takori Tahsil and District-Jhansi Khasra No. 245, 246).

South– Village Pichhor, Tahsil & District-Jhansi, Jhansi Gwalior Kanpur by pass:- Khsara No. 331, 343, 337, 319, 301, 298 (part), and Village Kochhabhawar Tahsil & District Jhansi Khasra No. 228 (part), 229 (part), 230 (part), 231 (part), 232 (part), 239 (part), 238 (part), 240 (part), 246 (Part), 244 (part),

It is also declared that on the execution of the Housing and Development Scheme aforesaid, any land in that area comprised in the scheme which may not be required for execution there of will in the opinion of the board be increased in value "Betterment Fee/ Development Charge" in accordance with provision of U. P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam shall be payble by owner of the land or by any person having an intrest there in respect of increased in the value of the land resulting from the execution of the scheme.

The map of the area, particulars of the scheme and details of the land proposed to be acquired may be seen at the Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition) U. P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg Lucknow, Office of the Executive Engineer, Construction Division Bundelkhand-01, Jhansi on any working day between 11.00 A.M. to 3.00 P.M.

Objections related to the land to be acquired in the scheme shall be received at the Office of the Housing Commissioner (Land Aquisition Section), Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of the Executive Engineer, Construction Division Bundelkhand-01, Jhansi within 30 days from the date on which this notice is first published in Uttar Pradesh Gazette, No objection will be accepted after the scheduled date. Correct Name of the village/khasra, plot no./area of the land and other details of the objector *etc*. within the scheme, should be clearly mentioned in every objection. Owner/Occupiers of structures in the scheme are/shall be liable to pay "Betterment Fee/ Development Charge" to the Housing Board in accordance with the provisions of the Housing Board Act, 1965 (U. P. Act No. 1, 1966).

Dr. Balkar Singh,
Housing Commissioner.

कार्यालय नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर

अधिसूचना (ठोस अपशिष्ट)

06 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 284/ज0क0/2024-25—नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर के बोर्ड बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2024 में पारित प्रस्ताव संख्या-299 द्वारा प्रस्तुत फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के लिए राज्य मौडल उपविधि को सर्वसम्मति से पास किये जाने के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 एवं उसके सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के आलोक में ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अन्तर्गत घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/किट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुडे मामलों के सम्बन्ध में बनायी गयी उपविधियों की अधिसूचना के सम्बन्ध में नगर क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों/समाजिक संस्थानों से आपत्ति/सुझाव 15 दिवस के अन्दर प्राप्त करने हेतु अधिसूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला समाचार में दिनांक 07 सितम्बर, 2024 को कराया गया था। निर्धारित अवधि 15 दिवस व्यतीत हो जाने के उपरान्त कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुआ है। अतः निम्नलिखित नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपविधि, 2023 की अधिसूचना गजट प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।

क्षेत्र (स्कोप)

ये उपविधि की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमें सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देव एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय भवनों पर लागू होगा।

अध्याय-I

प्रारंभिक

1— संक्षेप— शीर्षक, विस्तार और आरम्भ—

1— इन उपविधियों को नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन (FSSM) उपविधि, 2024' कहा जा सकता है।

2— ये उपविधि उत्तर प्रदेश राज-पत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अन्दर लागू होंगी।

2— परिभाषा—

1— ''फीकल स्लट ट्रीटमेंट प्लान्ट (FSTP)'' का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदण्ड के अनुदार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतन्त्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयन्त्र।

2— ''को-ट्रीटमेंन्ट फैसिलिटी'' का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट जिसमें फिकल स्लज के उपचार के लिये पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो।

3— ''ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)'' ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/व्यावसायिक/ सरकारी आवास और उसके आस-पास के भूखण्ड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भूखण्ड पर

स्वच्छता घरेलू शौचालय के समान है, लेकिन इसमें एक ही भूखण्ड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधायें हो सकती है।

4– ऑपरेटर का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवाहन के व्यवसाय में संलग्न है।

5– ''शेडयूल्ड डीस्लजिंग'' का अर्थ है केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2-3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

6– ''सेप्टेज'' का अर्थ है अच्छी तरह डिजायन किये हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीजल स्लज।

7– ''सीवेज'' का अर्थ है ब्लैक और ग्रे पानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर/यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है।

अध्याय-II

अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निस्तारण

1– परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निस्तारण– निकाय में प्रत्येक सम्पत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें मौजूदा या प्रस्तावित, आवासीय और व्यावसायिक और अन्य शामिल है तथा इसी तक सीमित नही है) यह सुनिश्चित करके के लिये उत्तरदायी होगें कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात् :

1– यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिए कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा कर करें।

2– अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।

3– यदि सम्पत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपवार प्रणाली में ले जाया जाय, जिसमें सेप्टिक टैंक या ट्विन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं।

4– वे परिपत्तिया जितना क्षेत्र फल 2000 वर्ग मीटर से अधिक है। वे अपने परिसर के भीतर एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित करेंगे ताकि सम्पति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके सम्पत्ति के मालिक द्वारा बागवानी/पलशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाय ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

अध्याय-III

ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

4– ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव–

1– ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2' के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा, या इसके समय-समय पर किये गये संशोधित प्रावधान अथवा नगर पालिका परिषद

मुजफ्फरनगर या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

2– ओएसएस से जुड़ी सम्पत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रखरखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।

3– परिसर का मालिक नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फिकिल स्लज साफ करने का काम करेगा।

4– परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयन्त्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।

5– परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

अध्याय-IV

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

5– निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस–

1– नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवायें प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराये पर लिये गये वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

2– नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर अपने कर्मियों सहित ओपेरटरों के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहां उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरुक और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जायेगा।

3– जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदण्डों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा।

4– नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।

5– इन विनियमों के फॉर्म 2 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जायेगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से दो वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

6– लाइसेंस जारी करने की शर्तें –

1– लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खण्ड 2 (xxi) में परिभाषित 'व्यक्ति' से होगा।

2– आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गन्ध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराये पर लेना चाहिए।

3– पालिका परिषद मुजफरनगर में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होगा।

4– आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के साथ पंजीकृत करेगा।

5– आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराये पर लिये गये वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खण्ड 16 में दिये गये मानदन्डों को पूरा करते हैं।

6– आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर पालिका परिषद गुजफ्फरनगर या उसके द्वारा किराये पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

7– आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जायेगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपनविधि के अनुसार होगा।

7– लाइसेंस के लिए आवेदन– फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफ0एस0एस0 का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शतों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा।

8– लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण– हुए समय लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।

9– लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क– नये निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जायेगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10– पंजीकरण के शुल्क और वैधता–

1– ऑपरेटर के रूप में नये निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु0 2,500/–

2– पंजीकरण की वैधता पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 01 वर्षों तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जायेगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

3– लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क रु0 1,500/–

11– लाइसेसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन– नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइसेसशुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।

12– जागरुकता अभियान– इन उपविथियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा लोगों को केवल लाइसेसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाये जायेगा।

अध्याय-V

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

13– सम्पत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जायेगा।

1– भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवायें लें।

2– मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा।

14– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क–

1– समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा

2– शहर में जब कभी नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा ''शेड्यूल्ड डीस्लजिग'' पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को ''सफाई शुल्क'' से बदल दिया जायेगा या इसे सम्पत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा।

3– लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

4– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा।

15– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन–

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद मुजपफरनगर के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जायेगा।

2– आवश्यक शतों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 01 वर्ष अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, सम्बन्धित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिए।

3– डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मागों पर ही किया जायेगा।

4– ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर वाहन का पंजीकरण नम्बर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जायेगा।

5– वाहन टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और ''मलकुंड अपशिष्ट'' (हिंदी में) लिखा होगा।

6– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन मे जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जायेगा और इसका एक्सेस अधिकार नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16– ढुलाई के दौरान सावधानी– लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

17– दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौसन किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

18– दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी– किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, सम्पत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

19– नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा-उपाय– हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एमप्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एण्ड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

20– फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण–

1– लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

2– लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा।

3– होस्ट यू0एल0बी0 ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।

21– निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार–

1– निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यू0एल0बी0 बन जायेगा।

2– नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर होस्ट यू0एल0बी0 से जुड़े यू0एल0बी0 क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबन्धित लिया गये वितरण मार्गो के बारे में सूचित करेगा।

3– नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियन्त्रण रखेगा।

4– संग्रहीत किये जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का नगर पालिका परिषत सुजफ्फरनगर द्वारा किया जायेगा।

5– होस्ट यू0एल0बी0 अन्य क्लस्टर यू0एल0बी0 या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे उपचार सुविधा में निस्तारित किया जा सकता है।

6– एम0ओ0यू0 अवधि के किसी भी समय, यदि होस्ट यू0एल0बी0 को लगे कि क्लस्टर यू0एल0बी0 ग्राम पंचायत से आगे वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यू0एल0बी0 कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

22– निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्तव्य–

1– निकास या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है उस निकाय का नाम) होस्ट यू0एल0बी0 के साथ समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यू0एल0बी0 के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फिकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यू0एल0बी0 का सदस्य बनेगा।

2– निकाय या याम पंचायत (जिनके पास उपचार संयन्त्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिंपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घन्टों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

3– यदि निकाय होस्ट यू0एल0बी0 के क्लस्टर यू0एल0बी0 की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांये के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अन्तरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।

4– नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियन्त्रण रखेगा।

5– होस्ट यू0एल0बी0 संग्रहीत किये जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोये जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।

6– यदि ''होस्ट यू0एल0बी0'' की क्षमता क्लस्टर यू0एल0बी0 के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिए कम पड़ जाता है, तो नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर को एक नए ''होस्ट यू0एल0बी0'' की खोज करनी चाहिए या नए उपचार सुविधा के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिए।

23– कर्मियों का प्रशिक्षण– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सावधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

24– कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच– यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दण्ड का भुगतान करना पड़ सकता है।

25– बीमा– लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गये कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एण्ड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की

प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिये जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जायेगा।

26– लाइसेंस रद्द किया जाना– इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रवधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दण्ड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (CSC) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

अध्याय-VI

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

27– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण– नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयन्त्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाये गये फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिये अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

28– औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं हैं– अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अध्याय-VII

प्रशासन और प्रवर्तन

29– प्रशासन और प्रवर्तन–

1– इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, अथवा नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।

2– नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवायें प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।

3– नगर पालिका परिषद, गुजफ्फरनगर शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

4– नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमर्जन्सी रिसपोंस सैनिटेशन यूनिट (ई0आर0एस0यू0) नियुक्त करेगा।

30– जांच के लिए विशेष शक्ति– इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

31– नियम उल्लंघन और जुर्माना–

1– इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जायेगा।

2– किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दण्डात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति–

(क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है

(ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी वा अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है।

(ग) किसी भी ओएसएस सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।

3– इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दण्डित किया जायेगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जायेगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाये जाने की स्तिथि में एफ एस एस निकासी ढोने के वाहन भी जब्त हो सकता है।

4– जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दण्ड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर द्वारा तय किये जाने वाले जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा।

5– संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दण्डनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दण्डित करने से नहीं रोकेगा।

32– अपील– निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है।

33– विवाद समाधान उपविधि– इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जायेगा।

34– फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन– मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

35– डीस्लजर के लिए सम्मान/पुरस्कार– अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए फीकल स्लज निकासी (डीस्लजिंग) ऑपरेटरों के लिए सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

36– उपविधियों के लिये पूरक राज्य सरकार के निर्देश– इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाईयों को दूर करने के लिये राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1

सेप्टिक टैंक का डिजाईन

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिये बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 (भाग 1) 1985) सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिये यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाईन मानदण्ड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़ें क्षेत्रों के लिये यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाईन इस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केन्द्रीय सार्वजनिक

स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुसधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग-ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाईन मानक दिये गये है। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिये इस खण्ड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताये गये है। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिये ही हाइलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

उपयोकर्ता की संख्या	लम्बाई (मी0)	चौड़ाई (मी0)	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल) (मी0)
1	**2**	**3**	**4**
			दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1– सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिये कृपया बीआईएस 2470 (भाग-1), 1985 देखें।

नोट 2– फ्री बोर्ड के लिये 300 मि0मि0 का प्रावधान रखना चाहिए।

स्त्रोत– सीवरेज और मलजल पर मैनुअल-भाग ए इंजीरियरिंग सीपीएचईईओ, 2012

परिशिष्ट-2

नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिये उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की सूची (अनुमानित)

क्रम सं0	श्रेणी	शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 3000 लीटर तक)
1	2	3
		रु0
1–	कच्चाघर/झोपड़ी	400
2–	टिन शेड प्रकार का घर	800

1	2	3
		रु0
3–	सभी अन्य घर (पक्का घर)	1,500
4–	दुकान	1,700
5–	सभी सरकारी/निजी कार्यालय	2,000
6–	बैंक	2,300
7–	सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचायलय	1,000
8–	रेस्टारेंट	2,300
9–	होटल/गेस्ट हाऊस (01से 10 कमरें)	2,300
10–	होटल/गेस्ट हाऊस (11 से 20 कमरें)	2,700
11–	होटल/गेस्ट हाऊस (20 से अधिक कमरे)	3,100
12–	धर्मशाला (01 से 25 कमरे)	1,400
13–	धर्मशाला (25 से अधिक कमरें)	2,000
14–	3 स्टार होटल	2,900
15–	5 स्टार होटल	3,800
16–	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	1,100
17–	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 से अधिक छात्र)	1,400
18–	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	1,900
19–	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	2,800
20–	02 व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेन्टर)	1,900
21–	02 व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेन्टर के साथ)	2,900
22–	04 व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेन्टर)	2,800
23–	04 व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेन्टर के साथ)	3,800
24–	मल्टीप्लेक्स	2,300
25–	छात्रावास (01 से 10 कमरें)	2,000
26–	छात्रावास (11 से 20 कमरें)	2,400
27–	छात्रावास (21 से 50 कमरें)	2,700
28–	छात्रावास (50 से अधिक कमरें)	3,100
29–	विवाह हॉल/बैंक्वेट हॉल	3,000

1	2	3
		रु0
30–	बार	2,800
31–	सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)	2,300
32–	सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड)	2,900
33–	नसिंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)	1,900
34–	नसिंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)	2,500
35–	पैथलॉजिकल लैब	1,800
36–	निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)	2,700
37–	निजी अस्तपाल (21–50 बिस्तर तक)	3,000
38–	निजी अस्तपाल (50 बिस्तर तक)	4,000
39–	राइस मिल/अन्य मिल	2,300
40–	क्षेत्र में कोई भी उद्योग	3,500
41–	क्षेत्र से बाहर कोई भी उद्योग	2,300

नोट– उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की इन सीमाओं में निकायद्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

परिशिष्ट-4

फार्म 1– निकाय नगर पालिका परिषद् मुजफ्फरनगर में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लियें

लाइसेंस आवेदन-पत्र

नियम और शर्त–

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यू0एल0बी0 द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।

2– निर्दिष्ट उपचार यन्त्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिये शुल्क यू0एल0बी0 द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेंगा, कोई भी अनुज्ञाप्तिधारी ऑपरेटर घर/सम्पत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नही वसूलेगा।

3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यू0एल0बी0 द्वारा इस प्रयोजन के लिये अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगां

4– लाइसेंसधारी आपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयन्त्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हों।

5– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिये किसी भी खतरें से बचने के लिये पर्याप्त रूप ये सुसज्जित होना चाहिए।

6– अनुज्ञाप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयन्त्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेंगा।

7– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाईसेंस के एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

8– वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा। जिस पर लाल रंग में सावधानी के साथ "Septic Tank waste" (अंग्रेजी में) और ''मलकुण्ड अपशिष्ट'' हिन्दी में लिखा होगा।

9– निर्दिष्ट उपचार संयन्त्र सप्ताह में Xy दिनों पर x : am से y : pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेंगा। ऑपरेटरों को तद्नुसार अपने डीस्लजिंग स्चालन की योजना बनानी चाहिए।

10– प्रभावी सफाई सेवायें प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिये लाईसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11– उपरोक्त बिन्दुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रदद् करने के लिये उत्तरदाई होगा, लाइसेंसधारी की सुरक्षा जब्त कर ली जायेगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिये निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिये भी उत्तदायी होगा।

प्ररिशिष्ट-7

होस्ट यू0एल0बी0 तथा बिना उपचार संयन्त्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप

फॉर्म 4– ''होस्ट यू0एल0बी0'' पर उपलब्ध ''उपचार संयन्त्र'' में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिये समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के बीच समझौता ज्ञापन के लिये फार्म

फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के तहत, एक्सवाईजेड निकाय नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर की प्रशासनिक सीमाओ के भीतर घरों, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिऐ, ''होस्ट यू0एल0बी0'' नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के प्रशासन के तहत ''उपचार संयंत्र ''पर समझौता।

प्रथम पक्ष ''होस्ट यू0एल0बी0'' नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर

द्वितीय पक्ष ''एक्सवायजेड यू0एल0बी0'' (नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर/नगर पंचायत)

उपबन्ध

1– यह कि प्रथम पक्ष दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारम्भ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारम्भ तारीख) तक द्वितीय पक्ष की प्रशासनिक सीमाओं से उनके ''उपचार संयन्त्र'' पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा/वर्ष (अन्तिम तिथि)

2– ''प्रथम पक्ष'' अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिये अपने ''उपचार संयन्त्र'' पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।

3– यह कि द्वितीय पक्ष समझ के अनुसार ''प्रथम पक्ष'' को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति स्वेप टिंपिग शुल्क के रूप में रु0 500 देने के लिए सहमत है।

4– यह कि ''प्रथम पक्ष'' उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रखरखाव बन्द आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5– कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाले किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझायें।

6– कि 'द्वितीय पक्ष' केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी आपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7– प्रथम पक्ष उपचार सुविध में उनके लाइसेंस पर 'द्वितीय पक्ष' की मोहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

परिशिष्ट-8

जुर्माना और फाइन

क्रम सं0	विवरण	खण्ड सं0	सांकेतिक फाइन सीमा	जुर्माना– (शून्य या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1	2	3	4	5
			रु0	
1.1	नाला सड़क खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा असुरक्षित प्रवाह	3	50–100	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50–100	
1.3	लगातार उल्लघंन का तीसरा मामला	3	10–15 प्रति दिन	सम्पत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजाइन और निर्माण	5	100–150	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100–150	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10–15 प्रति दिन	सम्पत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैल्यूम टैकंर परिचालित करना	6	50–100	

1	2	3	4	5
			रु0	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	50–100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150–200 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिये गैर-अनुपालन	16,17	1,000–1,500	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16,17	1,000–1,500	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16,17	300 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी का अनुपचरित FSS प्रवाहित करना	27, 28, 33	5000–10000	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27, 28, 33	5,000–10,000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27, 28, 33	1,000–1,500 प्रति दिन	सम्पत्ति की जब्ती
6.1	निकायद्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6, 7, 14, 27, 28, 29	5,000–10,000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	5,000–1,000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	1,500–2,000 प्रति दिन	वाहन की जब्ती

(ह0) अस्पष्ट
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
मुजफ्फरनगर

कार्यालय, नगरपालिका, परिषद् कन्नौज

अधिसूचना

दिनांकः—22 नवम्बर, 2024 ई0

पत्रांक : 1921 / A / के0जे0 / सफा0अनु0 / 2024—25—शासनादेश संख्या-2221 / नौ—5—2018—352स / 2016 / 6 / 2018 दिनांक 29 जून, 2024 के अनुपालन में नगर क्षेत्र को स्वच्छ बनाये रखने के लिए नगरपालिका परिषद, कन्नौज द्वारा नगरपालिका अधिनियम 1916 व ठोस अपशिष्ट प्रवन्धन नियमावली, 2018 में निहित प्राविधानों के अधीन निम्न प्रकार उपविधि बनाने के लिए जनसामान्य से सुझाव व आपत्ति (देश प्रदेश सन्देश) एवं (दा मैसेज व्योरो) समाचार-पत्र दिंनाक 28 जून, 2024 को प्रकाशन कराया गया तथा उपरोक्त उपविधि पर किसी व्यक्ति या समूह को उपविधि के किसी एक बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर कोई आपत्ति या सुझाव देना है तो प्रकाशन तिथि के 15 दिवस के अन्दर कार्यालय नगरपालिका परिषद कन्नौज में लिखित रूप में दे सकता है। परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई वोर्ड बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2024 के प्रस्ताव सफाई अनुभाग का प्रस्ताव संख्या-5 उत्तर प्रदेश राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति के अन्तर्गत उपविधि को उसी रूप में लागू किए जाने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी गई। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्राभावी माना जाएगा।

1. संक्षिप्त नाम व विस्तार तथा प्रारम्भ—

(अ) यह नियमावली ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2024 कहलाएगी।

(ब) यह उपविधि नगरपालिका परिषद, कन्नौज सीमा के अन्दर लागू होगी।

(स) यह गजट प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगा।

2 अपशिष्ट उत्पन्न कर्ताओं के कर्तव्य —

(क) अपशिष्ट उत्पन्न कर्ताओं द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को दो प्रकार में यथा जैविक (बायोडिग्रेडेबल) को हरे कूड़े दान में तथा अजैविक अपशिष्ट (नॉन-बायोडिग्रेडेबल) को नीले कूड़े दान में पृथक-पृथक संग्रहित कर निकाय द्वारा निर्देश या अधिसूचना के अनुसार सग्रह कर्ताओं को सौंपेगा।

(ख) प्रयोग किए गए अस्वास्थ्य कर अपशिष्ट जैसे डायपर पैडों / सेनेट्री नैपकिन आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराये गए थैले में सुरक्षित रूप से लपेट कर अथवा स्थानीय प्रधिकारियों द्वारा जारी निर्देशानुसार सूखे कूड़े हेतु निर्धारित कूड़े दान में अथवा (नॉन-बायोडिग्रेडेबल) अजैविक निम्नीकरण (नॉन-बायोडिग्रेडेबल) अपशिष्ट हेत निर्धारित कूड़ेदान में रखेगा।

(ग) सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुसार किया जायेगा।

(3) कोई भी अपशिष्ट जनित किसी भी व्यक्ति द्वारा सड़कों, खुले सार्वजनिक स्थानों, नालों या जलाशयों में नहीं फेकेगा, न ही जलाएगा और न ही गाड़ेगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति द्वारा गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर कोई आयोजन या समारोह आयोजित किया जाता है तो वह व्यक्ति या आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट, पृथक-पृथक सग्रहित कर निकाय द्वारा निर्देश या अधिसूचना के अनुसार सग्रह कर्ताओं को सौंपेगा।

(5) प्रत्येक मार्ग विक्रेता अपने कार्य कलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य प्रयोज्य दोना, कुल्हड़, डिब्बा, रैपर, नारियल के छिलके, बचामोजन, फल, सब्जी अथवा अन्य सामग्री जो सम्बन्धित विक्रेता के यहां से प्रतिदिन निकलती हो, को उपयुक्त पात्र में रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगरपालिका परिषद, कन्नौज द्वारा अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपो या पात्र या वाहन में डालेगा।

(6) इस गजट के प्रकाशन की तिथिसे 6 माह के अन्दर सभी आवास कल्याण, बाजार संघ, आर०डब्ल्यू०ए०, होटल, रेस्टोरेंट आदि स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी से इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर

पृथक करके पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण कर और पुनर्चक्रणीय सामग्री को अपशिष्ट उठाने वाले अथवा अधिकृत पुनर्चक्रण को सौंपेगा। जैव निम्नी करणीय अपशिष्ट का (यदि संभवहो तो) परिसर के अन्दर कम्पोस्ट करके अथवा बायोमेथानेशन के जरिए निस्तारण किया जाएगा। अपशिष्ट के अपशिष्ट अंश को स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्रह कों अथवा अभिकरण/संस्था को सौपा जायेगा।

(7) नगरपालिका परिषद, कन्नौज के अन्दर खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों से पांच सौ रूपये एवं पेशाब करने वाले व्यक्तियों से भी एक सौ रूपये जुर्माना वसूला जाएगा जिसकी अदायगी सम्बन्धित व्यक्ति को तुरन्त करनी होगी।

(8) नगरविकास अनुभाग–5 आदेशसं० 3595/नी–5–2016–29 रिट/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 के अनुपालन में सड़क के किनारे भवन निर्माण अवशेष रखने पर 50,000.00 तक रूपये का आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा।

(9) <u>सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओ से निम्नानुसार यूजर चार्ज वसूल किया जायेगा।</u>

(1)	आवासीय भवन (प्रति परिवार)	रु0 50.00 प्रतिमाह
(2)	व्यवसायिक भवन प्रत्येक दुकान जल–पान रेस्टोरेन्ट	रु0 200.00 प्रतिमाह
(3)	व्यवसायिक भवन प्रत्येक कॉम्प्लेक्श, होटल	रु0 500.00 प्रतिमाह
(4)	व्यवसायिक भवन फैक्ट्री अर्धसरकारी संस्थान	रु0 500.00 प्रतिमाह
(5)	व्यवसायिक भवन चिकित्सा क्लीनिक/प्राइवेट नर्सिंग होम	रु0 500.00 प्रतिमाह
(6)	विवाह घर या समारोह पर	रु0 1000.00 प्रति कार्यक्रम

(10) शमन शुल्क–

अपराधों का शमन करने वालेअ धिकारियों द्वारा वसूल की जाने वाली निम्नलिखित शमनफीस

विनिर्दिष्ट करते है–

क्रमांक	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथिन कैरीबैगों, प्लास्टिक और थर्माकोल परवस्तुओं की मात्रा	धनराशि रुपयों में
1	2	3
		रु0
1	100 ग्रामतक	1,000.00
2	101 ग्राम–500 ग्राम	2,000.00
3	501 ग्राम–1 किलोग्राम	5,000.00
4	1 किलोग्राम–5 किलोग्राम	10,000.00
5	5 किलोग्राम से अधिक	25,000.00

1	2	3
		रु0
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं /कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्टोरेंट /मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों, मार्गों, नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्को, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना	25,000.00
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किसी निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों यथा शैक्षिक संस्थाओं /कार्यालयों/होटलो/दुकानों/रेस्टोरेंट/मिष्ठानदुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों, नदियों, झीलो सार्वजनिक पार्को, वन क्षेत्रों और समस्त सार्वजनिक स्थानों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना	1,000.00

(2) सार्वजनिक स्थान पर शौच करने पर– रु. 500

(3) सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने पर– रु. 100

(4) निर्माण सामग्री/मलवा सार्वजनिक स्थान पर रखने पर– रु. 50,000

(5) बस स्टैण्ड रेलवे स्टेशन / पार्क/तालाब जल संरचनाओं/नाला–नाली/ रु. 5000

सार्वजनिक स्थान पर गन्दगी करने पर–

(6) समस्त रहवासी /व्यवसायिक/सार्वजनिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों के द्वारा स्त्रोत रु 2000

ही पृथ्क करण न करने पर–

(7) थोक कचरा उत्पादकों (BWG) द्वारा गीले कचरे का निपटान स्वयं के रु. 5000

ही परिसर में न करने पर–

(8) दुकान दारों द्वारा हाथ ठेला, चाट, चाय–नाश्ता, गुटका, पान विक्रेताओं द्वारा रु. 2000

गन्दगी फैलाने व डस्टविन न रखने पर–

(9) घरों से गीला सूखा कचरा अलग–अलग न देने पर– रु. 2000

(10) किसी व्यक्ति द्वारा गैर अनुज्ञप्ती वाले स्थान पर कोई आयोजन या समारोह रु. 5000

आयोजित कर गन्दगी फैलाने पर–

उक्त धाराओं का उल्लंघन करना अपराध माना जायेगा। उल्लंघन की दशा उपरोक्तानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। उपविधि में निर्दिष्ट जुर्माना लगाये जाने तथा जुर्माने में संशोधन का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, कन्नौज में निहित होगा तथा वसूली नगरपालिका अधिनियम 1916 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद,
कन्नौज।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, ललितपुर

दिनांक 15 फरवरी, 2025

नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत धारा-128(1)/140 (क) के अन्तर्गत स्वकर निर्धारण के सम्बन्ध में पूर्व में प्रकाशित गजट में अनावासिक भवनों के मासिक किराये की दर के गुणांक के सम्बन्ध में नियमावली

संख्या 1977/कर विभाग/2024–25 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-128(1)/140 (क) में प्रदत्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका की सीमान्तर्गत अनावासिक भवनों के मासिक किराये की दर के संशोधित गुणांक के सम्बन्ध में नियमावली तैयार की गयी है, जिसको अधिशासी अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2023 द्वारा मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव संख्या–131 दिनांक 26 अगस्त, 2023 रखी गयी, जिसको मा0 बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त प्रस्तावित नियमावली को दो दैनिक समाचार-पत्र दैनिक अमर उजाला के अंक दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 व दैनिक समाचार-पत्र के अंक दिनांक 02 अक्टूबर, 2023 में प्रकाशन कराया गया। प्रकाशन उपरान्त 15 दिन के अन्दर आपत्ति/सुझाव मांगे गये थे। निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुये, तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव सं0–256 दिनांक 23 दिसम्बर, 2023 रखा गया, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये अन्तिम प्रकाशन एवं सरकारी गजट में प्रकाशन कराने का निर्णय लिया गया जो कि निम्नवत् है–

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	मसिक किराये की प्रस्तावित संशोधित दरें
1	स्रकारी अथवा गैर सरकारी, छात्रावास, स्वीमिंग पूल, क्रीडा केन्द्र तथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, थियेटर जिनका प्रयोग मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु होता हो, जिसमें वैवाहिक समारोहों से सम्बन्धित सांस्कृति कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, संगीत एवं नृत्य केन्द्र, सूक्ष्य एवं लघु औद्योगिक इकाईयाँ (उद्योग विभाग की परिभाषानुसार), एकल स्क्रीन सिनेमााघर (जो मॉल में स्थित नहीं है), 120 वर्गफीट क्षेत्रफल तक की चाय, दूध, डबलरोटी, अण्डे, लॉण्ड्री फल, सब्जी, फोटो स्टेट, नाई/हेयर ड्रेसर (जिनमें दो से अधिक बाल काटने की कुर्सियां न हो और जिसमें वातानुकूलन/कूलर का उपयोग न होता हो) तथा दर्जी की दुकान।	उपनिय (1) के अधीन नियत दर समान।

2	महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्याालय एवं वृहद उद्योग (उद्योग विभाग की परिभाषानुसार), मेडीकल स्टोर, प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स, स्थापित बाजारों में स्थित स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, स्थापित बाजारों में स्थित स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, टेन्ट हाउस, भवन निर्माण सामग्री की दुकान और गैर सरकारी कोचिंग सेन्टर।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का 2 गुना।
3	सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी, कार्यालय भवन, सार्वजनिक उपक्रम राजकीय निगम और बोर्ड आदि, क्लीनिक, पॉलीक्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, डायग्रोस्कि केन्द्र पैथोलॉजी लैब, नर्सिंक होम, चिकित्सालय और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र, फिजियोथेरेपी केन्द्र, प्रसूति गृह, प्राविधिक विश्वद्याालय, मेडिकल कॉलेज एवं डेन्टल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज, प्रबन्धन संस्थन, विधि संस्थान पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम आदि, सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब ऑडीटोरियम (प्रेक्षगृह), सामुदायिक केन्द्र स्टाररहित होटल, एक सितारा और उसमें ऊपर के होटल, टॉवर और होर्डिंग वाले भवन, टेलीविजन टॉवर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर को भवन की सजह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते है, बैंक बैंक एटीएम, फाइनेंस कम्पनियां, निजी क्षेत्र के कार्यालय और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, माल्स, पब्स, बार, वासगृह जहॉ भोजन के साथ मंदिरा भी परोसी जाती है।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का 3 गुना।
4	अन्य प्रकार के अनावसिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणी में उल्लिखित नहीं है।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का 3 गुना।

उक्त अनावासिक भवनों के मासिक किराये की दर के संशोधित गुणांक सम्बन्धी नियमावली गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(सरला जैन)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
ललितपुर

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़

25 अप्रैल, 2025 ई0

सं0 87/न0पा0प0आ0/सफाई अनुभाग/2024-25—नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की बोर्ड बैठक दिनांक 23 नवम्बर, 2024 प्रस्ताव संख्या-04 डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन एवं भवन स्वामियों से लिए जाने वाले शुल्क पर बनायी जाने वाली उपविधि पर विचारार्थ लिये गये निर्णय के अनुसार मा0 सभासदगण की सर्वसम्मति से मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसे दैनिक राष्ट्रीय समाचार-पत्र ''राष्ट्रीय सहारा'' एवं दैनिक क्षेत्रीय समाचार-पत्र ''देवव्रत'' के दिनांक 29 नवम्बर, 2024 दिन शुक्रवार के अंक में आजमगढ़ नगर सीमा क्षेत्रान्तर्गत आम जनमानस से आपत्तियॉ एवं सुझाव मांगे जाने हेतु प्रकाशित कराया गया। दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 तक निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुये तद्उपरान्त नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की बोर्ड बैठक दिनांक 17 जनवरी, 2025 को बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ स्वीकृति प्रदान की गयी। यह उपविधि राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से नगर पालिका क्षेत्र आजमगढ़ में लागू होगी।

1— संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—

(क)— यह नियमावली ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं निस्तारण उपविधि-2024 कहलायेगी।

(ख)— यह उपविधि, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू होगी।

(ग)— यह गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(घ)— बोर्ड का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के निर्वाचित बोर्ड से है।

(ड़)— अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के निर्वाचित अध्यक्ष अथवा प्रशासक से है।

(च)— अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के अधिशासी अधिकारी से है।

2— अपशिष्ट उत्पन्न कर्ताओं के कर्तव्य

(क)— अपशिष्ट कर्ताओं द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट के पृथक्कृत और पृथक शाखाओं अर्थात् जैव निम्नीकरण योग्य और घरेलू परिसंकट अपशिष्ट के तीन अलग-अलग डिब्बों में भण्डारित किया जायेगा और समय - समय पर स्थानीय निकाय द्वारा दिये गये निर्देश या अधिसूचना के अनुसार पृथक किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओं को सौंपा जायेगा।

(ख)— अस्वास्थ्यकर अपशिष्ट, जैसे-प्रयोग किये गये डायपरों, नैपकिन इत्यादि, उत्पादकों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध व अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट के लिए निर्धारित डिब्बे में डाला जायेगा।

(ग)— संनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने ही परिसर में भण्डारित करेगा एवं जब कभी वह उत्पन्न होता हो तो उसे संनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम-2016 के अनुसार निपटान करेगा।

(घ)— अपने परिसर से उत्पन्न, कृषि-उद्यान अपशिष्ट और उद्यान-अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भण्डारित करेगा, और समय -समय पर स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशानुसार उसका निपटान करेगा।

(ड़)— प्रत्येक मार्ग विक्रेता, अपने कार्य-कलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटो, कपों, डिब्बो, रैपरों, नारियल के छिलके, शेष बचे हुए भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट भण्डारण डिपो या पात्र या वाहन में डालेगा।

(च)— इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर सभी आवास-कल्याण और बाजार संघ, इन नियमों में यथाविहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक करने एवं पृथक किये गये अपशिष्ट को

अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहयोग और पुर्नचक्रणीय सामाग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुर्नचक्रों को सौंपना सुनिश्चित करेगें। जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहां तक सम्भव होगा परिसर के अन्दर संशोधित, उपचारित और कम्पोस्ट करके अथवा बायो-मेथिनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय निकाय द्वारा, यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओं या संस्था को सौंप दिया जायेगा।

(छ)– इन नियमों के अधिसूचित होने की तारिख से, एक वर्ष के अन्दर 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट (परिसर) लगे समुदाय की और संस्थान, स्थानीय निकाय की भागीदारी में इन निकायों में यथाविहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रह करने में सहायता करेगा तथा पुर्नचक्रों को सौपना सुनिश्चित करेंगे। जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहां, तक सम्भव होगा परिसर के अन्दर संशोधित, उपचारित और कम्पोस्ट करके अथवा बायो-मेथिनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय निकाय द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओं या संस्था को दिया जायेगा।

(ज)– इन नियमों को अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर सभी होटल और रेस्टोरेन्ट, स्थानीय निकाय की भागीदारी में इन नियमों में यथाविहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करना, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुर्नचक्रमणीय सामाग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों तथा पुर्नचक्रों को सौपना सुनिश्चित करेगें। जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहॉ तक सम्भव होगा परिसर के अन्दर ही संशोधित, उपचारित या कम्पोस्ट करके बायो-मेथिनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय निकाय द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओं या संस्था को दे दिया जायेगा।

3– अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं हेतु निषेध–

(क)– कोई अपशिष्ट जनित्र, के द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली या जलाशयों में फेंकना, जलाना या गाड़ना वर्जित होगा।

(ख)– कोई व्यक्ति अथवा संस्था अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य-दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना, किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्ति अथवा इससे अधिक व्यक्तियों का ऐसा कोई आयोजन या समारोह नही करेगा। अनुमति के पश्चात् कोई भी व्यक्ति/आयोजक स्रोत पर ही पृथक्करण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण संस्था को सौंपेगा।

4– ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन– सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं से नियमानुसार शुल्क वसूल की जायेगी, जो कि निम्नलिखित होगी–

क्रम सं0	परिसर का प्रकार	निर्धारित शुल्क
1	2	3
		रुपये–
1	आवासीय भवन, प्रत्येक परिवार	50.00 प्रति माह
2	व्यवसायिक भवन, प्रत्येक दुकान	150.00
3	व्यवसायिक भवन, प्रत्येक जलपान एवं रेस्टोरेन्ट	300.00
4	व्यवसायिक भवन, प्रत्येक काम्पलेक्स, होटल	1,000.00
5	सरकारी एवं व्यवसायिक भवन, जिनका परिसर 5000 स्कवायर फीट के बराबर या अधिक है।	5,000.00
6	व्यवसायिक फैक्ट्री, अर्द्ध सरकारी संस्थान	2,000.00

1	2	3
		रुपये–
7	व्यवसायिक भवन, चिकित्सा क्लीनिक	2,000.00
8	व्यवसायिक भवन नर्सिंग होम,	2,000.00
9	आयोजन एवं समारोह (बारात घर)	2,000.00
10	मछली/चिकन/मीट/अन्य नान वेजिटेरियन फुटकर विक्रेता।	100.00
11	प्रत्येक पेट्रोल पम्प।	500.00
12	प्रत्येक मदिरा की दुकान।	1,000.00
13	अन्य ठोस अपशिष्ट उत्पादक।	500.00

5– प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन– प्रतिबन्धित प्लास्टिक वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक एवं थर्मोकोल पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है। इसका उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड नियमानुसार होगा–

क्रम सं0	**प्रतिबन्धित श्रेणी के निस्तारण योग्य प्रतिबन्धित पालिथिन कैरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा**	**धनराशि**
1	2	3
		रुपये–
1	100 ग्राम तक	1,000.00
2	101 ग्राम से 500 ग्राम	2,000.00
3	501 ग्राम से 1 किलोग्राम	5,000.00
4	1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम	10,000.00
5	5 किलोग्राम से अधिक	25,000.00

6– शास्ति/दण्ड–

(क)– यह कि माननीय उच्च न्यायालय की सुनवाई दिनांक 09 नवम्बर, 2016 को दिये गये आदेश के क्रम में नगर विकास अनुभाग-5 के आदेश संख्या-3595/नौ-5-2016-19, रिट-2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 के अनुपालन में सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री अवशेष रखने पर रु0 50,000.00 रुपये तक का आर्थिक दण्ड वसूला जायेगा।

(ख)– निकाय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, सड़क या अन्य कोई भी खाली/खुले स्थान पर कूड़ा फेकते एवं जलाते हुए पाया जाता है तो रु0 1,000.00 का आर्थिक जुर्माना वसूला जायेगा। जिसकी अदायगी सम्बन्धित व्यक्ति को तत्काल करनी होगी।

(ग)– निकाय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति यदि खुले में मूत्र या मल विसर्जन करता है, तो रु0 50.00 अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा तत्काल अदा किया जायेगा। अन्यथा की दशा में अग्रेत्तर कार्यवाही स्थानीय निकाय द्वारा की जायेगी।

सरफराज आलम 'मंसूर'
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
आजमगढ़।

कार्यालय, नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा अम्बेडकरनगर।

16 जनवरी, 2025 ई0

सं0 95/न0पं0अ0कि0/2024-25—नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा अम्बेडकरनगर के बोर्ड बैठक दिनांक 27 सितम्बर, 2024 के प्रस्ताव सं0-03 के बिन्दु सं0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 व बोर्ड बैठक दिनांक 22 फरवरी, 2024 के बिन्दु सं0 10 में पारित प्रस्तावों पर किसी भी व्यक्ति/संस्था/समिति को किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय पत्रांक-94/न0पं0अ0कि0/2024-25 दिनांक 26 नवम्बर, 2024 को समाचार-पत्र अमृत विचार, दैनिक जागरण में प्रकाशन कराया गया था, जिसमें प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक आपत्ति प्रस्तुत करने के समय का निर्धारण किया गया था। प्राप्त आपत्तियों की जांच निस्तारण कर दिया गया है। अन्तिम प्रकाशन कराया जा रहा है। जिसका विवरण निम्नवत है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

प्रस्ताव सं0-3 अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से—

1— वार्ड सदस्य श्री सुबाष निषाद द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव लाया गया कि, किछौछा पहला मोड़ (दुर्गा मंदिर के पास) पर लगे साइन बोर्ड मौलाना मुजफ्फर हुसैन के नाम का साइन बोर्ड के स्थान पर जय निषाद राज प्रवेश द्वार का साइन बोर्ड लगाया जाय जिस पर उपस्थित सदस्यगण— श्री निरंजन, श्री मयाराम, श्रीमती मीरा, श्री रामजी, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती ज्योति गुप्ता, श्री अमन गुप्ता, श्री लालमन, श्रीमती सफरून्निशां, श्री मो0 शरीफ, श्री मोनू निषाद, श्रीमती रिजवानानिशां, श्री सूर्यलाल, श्रीमती सुनीता देवी द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए एक स्वर में बहुमत से यह प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें केवल एक मा0 सदस्य वार्ड-03 श्री विनोद कुमार के द्वारा विरोध दर्ज कराया गया तथा उक्त कार्य कराने के लिए अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

2— वार्ड सदस्य श्री मयाराम जी द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव लाया गया कि जो मौखिक नाम बसखारी पूर्वी चौराहा है, उसे अम्बेडकर चौक के नाम से किया जाय। तथा मौखिक नाम बसखारी पश्चिमी चौराहा है, उसे अटल चौराहा के नाम से किया जाय। जिस पर उपस्थित सदस्यगण श्री निरंजन, श्री विनोद, श्री मीरा, श्री रामजी, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती ज्योति गुप्ता, श्री अमन गुप्ता, श्री सुबाष निषाद, श्री लालमन, श्रीमती सफरून्निशां, श्री मो0 शरीफ, श्री मोनू निषाद, श्रीमती रिजवानानिशां, श्री सूर्यलाल, श्रीमती सुनीता देवी द्वारा एक स्वर में यह प्रस्ताव बहुमत से पास किया गया तथा उक्त कार्य को कराने के लिए अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

3— वार्ड सदस्य श्री मोनू निषाद जी द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव लाया गया कि—

(1)— दरगाह सलामी गेट से मलंग गेट तथा सैय्यद मखदूम अशरफ के स्थान तक सैय्यद मखदूम अशरफ मार्ग किया जाय।

(2)— नगर पंचायत किछौछा कार्यालय से सलामी गेट तक नूरूल-ऐन-मार्ग नाम के स्थान पर पण्डित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नाम किया जाय।

(3)– दरगाह सलामी गेट तिराहा का नाम डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नाम किया जाय।

(4)– दरगाह में नई बस्ती मार्ग होते हुए आगे नीर शरीफ से होते हुए उत्तर दिशा में जाने वाली रोड (तिराहे का नाम) कमला पण्डित बाबा तिराहा नाम किया जाय।

(5)– नगर पंचायत किछौछा के सामने आगे दरगाह पुल के आगे उत्तर मोड़ से श्री कमला पण्डित बाबा स्थान तक हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी मार्ग स्थान पर बाबा कमला पण्डित मार्ग नाम किया जाय।

(6)– भिदूण के रास्ते से निषाद बस्ती को जाने वाले मौखिक नाम खदरा रोड के स्थान पर स्व0 फूलन देवी के नाम से मार्ग किया जाय, जिस पर उपस्थित समस्त सदस्यगण– श्री निरंजन, श्री मयाराम, श्रीमती मीरा, श्री रामजी, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती ज्योति गुप्ता, श्री अमन गुप्ता, श्री लालमन, श्रीमती सफरून्निशां, श्री मो0 शरीफ, श्री सुबाष निषाद, श्रीमती रिजवानानिशां, श्री सूर्यलाल, श्रीमती सुनीता देवी, श्री विनोद कुमार के द्वारा एक स्वर में बहुमत से यह प्रस्ताव पास किया गया तथा उपरोक्त कार्य कराने के लिए अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

4– वार्ड सदस्य श्रीमती ज्योति गुप्ता द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव लाया गया कि–

(1)– किछौछा माली चौराहा में पश्चिम जाने वाली मार्ग गोलपुर मोड़ तक स्व0 मदनलाल जायसवाल मार्ग नाम किया जाय।

(2)– किछौछा में मौखिक नाम माली चौराहा को स्थाई माली चौराहा का नाम किया जाय, जिस पर उपस्थित समस्त सदस्यगण श्री निरंजन, श्री मयाराम, श्रीमती मीरा, श्री रामजी, श्री प्रदीप कुमार, श्री मोनू निषाद, श्री अमन गुप्ता, श्री लालमन, श्रीमती सफरून्निशां, श्री मो0 शरीफ, श्री सुबाष निषाद, श्रीमती रिजवानानिशां, श्री सूर्यलाल, श्रीमती सुनीता देवी, श्री विनोद कुमार द्वारा एक स्वर में बहुमत से प्रस्ताव पास किया गया, तथा उपरोक्त कार्य कराने के लिए अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

5– वार्ड सदस्य श्रीमती सुनीता देवी द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव लाया गया कि–

(1)– किछौछा दुर्गा मन्दिर मोड तिराहे का नाम वासदेव साव तिराहा नामकरण किया जाय।

(2)– किछौछा दुर्गा मन्दिर से लेकर किछौछा बाजार होते हुए जलालपुर मार्ग तक डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग किया जाय, जिस पर उपस्थित समस्त सदस्यगण– श्री निरंजन, श्री मयाराम, श्रीमती मीरा, श्री रामजी, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती ज्योति गुप्ता, श्री अमन गुप्ता, श्री लालमन, श्रीमती सफरून्निशां, मो0 शरीफ, श्री सुबाष निषाद, श्री मोनू निषाद, श्रीमती रिजवानानिशां, श्री सूर्यलाल, श्री विनोद कुमार द्वारा एक स्वर में यह प्रस्ताव बहुमत से पास किया गया तथा उपरोक्त कार्य कराने के लिए अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

6– वार्ड सदस्य श्रीमती सफरून्निशां द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव लाया गया कि–

(1)– किछौछा माली चौराहा पूरब के रास्ते होते हुए जामा मस्जिद तक हाजी अब्दुल कादिर अंसारी मार्ग नाम किया जाय जिस पर उपस्थित सदस्यगण– श्री मयाराम, श्री निरंजन, श्रीमती मीरा, श्री रामजी, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती ज्योति गुप्ता, श्री अमन गुप्ता, श्री लालमन, श्री मो0 शरीफ, श्री मोनू निषाद, श्रीमती रिजवानानिशां, श्री सूर्यलाल, श्रीमती सुनीता देवी, श्री विनोद कुमार द्वारा एक स्वर में यह प्रस्ताव बहुमत से पास किया गया तथा उपरोक्त कार्य कराने के लिए अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

14– वार्ड 13 मा0 सदस्य श्री मोनू निषाद द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव लाया गया कि– निषाद बस्ती व बिलायी बीबी से आने मार्ग फैजान खान के घर के पास तिराहा का नाम रियाज तिराहा नाम किया जाय। जिस पर उपस्थित सदस्यगण– श्री निरंजन, श्री मयाराम, श्रीमती मीरा, श्री रामजी, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती ज्योति गुप्ता, श्री अमन गुप्ता, श्री लालमन, मो0 शरीफ, श्री सुबाष निषाद, श्रीमती रिजवानानिशां, श्री सूर्यलाल, श्री विनोद कुमार, श्रीमती सफरून्निशां, श्रीमती सुनीता देवी द्वारा यह प्रस्ताव बहुमत से पास किया गया उक्त कार्य कराने के लिए अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

15– वार्ड नं0-07 श्रीमती ज्योति गुप्ता द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव लाया गया कि– किछौछा बाजार में श्री लालचन्द्र कपड़ा वाले के मकान के पास तिराहा का नाम राम जानकी तिराहा नाम किया जाय, जिस पर उपस्थित सदस्यगणों द्वारा एक स्वर में पूर्ण बहुमत से पास किया गया (श्री निरंजन, श्री मयाराम, श्रीमती मीरा, श्री रामजी, श्री प्रदीप कुमार, श्री अमन गुप्ता, श्री लालमन, मो0 शरीफ, श्री सुबाष निषाद, श्रीमती रिजवानानिशां, श्री सूर्यलाल, श्री विनोद कुमार, श्रीमती सफरून्निशां, श्रीमती सुनीता देवी) ने उक्त कार्य कराने हेतु अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा समिति/बोर्ड बैठक दिनांक 22 फरवरी, 2024 को नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में नगर पंचायत कार्यालय में समय 02:00 अपरान्ह प्रारम्भ की गयी।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से–

10– वार्ड सदस्य मा0 श्री मोनू निषाद द्वारा बोर्ड के समक्ष यह बात लायी गयी कि–

(4)– नईबस्ती मोड़ पर लगे साइनबोर्ड पर लिखे हुए नाम के स्थान पर परम पूज्य सन्त श्री कमला पण्डित मार्ग, आये हुए सभी श्रद्धालुओं का नगर पंचायत हार्दिक स्वागत अभिनन्द करती है ठीक दूसरी तरफ नगर पंचायत में आगमन के लिए धन्यवाद आपकी यात्रा मंगलमय हो, जिस पर उपस्थित मा0 सदस्यगणों द्वारा यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया तथा अधि0अधि0/अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

(ह0) अस्पष्ट,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा,
अम्बेडकरनगर।

कार्यालय, नगर पंचायत भारतगंज, जनपद प्रयागराज

24 जून, 2024 ई0

सं0 1468/न0पं0भा0/2024-25—उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत भारतगंज द्वारा विविध कर (शुल्क) नियमावली, 2024 उपविधि नगर पंचायत भारतगंज जनपद प्रयागराज द्वारा नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली की धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज के कार्यालय में प्रकाशन-तिथि के 30 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है, तद्क्रम में नगर पंचायत भारतगंज द्वारा बोर्ड दिनांक 07 मार्च, 2024 प्रस्ताव संख्या 04 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तद्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला दिनांक 21 जुलाई, 2024 एवं आज 23 जुलाई, 2024 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया, निर्धारित समयावधि 30 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 10 सितम्बर, 2024 के प्रस्ताव संख्या 19 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024''

शासनादेश सं0 2399/नौ-9-94-204 (जनरल)/90 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 जो नगर पंचायत, पर प्रवृत्त है, के अंतर्गत नगर पंचायत, भारतगंज, प्रयागराज में विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

1— संक्षिप्त नाम, पदनाम एवं प्रारम्भ—

(1)— यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 कहलायेगी।

(2)— यह नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3)— यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत भारतगंज में प्रवृत्त होगी।

2— परिभाषायें—उपरोक्त नियमावली में विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जाये।

(1)— 'अध्यक्ष/प्रशासक' का तात्पर्य नगर पंचायत, भारतगंज के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(2)— 'अधिशासी अधिकारी' का तात्पर्य नगर पंचायत, भारतगंज के अधिशासी अधिकारी से है।

(3)— 'प्रभारी अधिकारी' का तात्पर्य, नगर पंचायत, भारतगंज के प्रभारी अधिकारी से है।

(4)— 'लाइसेंसिंग अधिकारी' का तात्पर्य, नगर पंचायत, भारतगंज के लाइसेंसिंग अधिकारी से है।

(5)— 'अधिनियम' का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(6)— 'नगर पंचायत' का तात्पर्य नगर पंचायत, भारतगंज से है।

3—उपनियम—

(1)— इस उपनियम के अन्तर्गत कोई भी दुकानदार व अन्य व्यवसायी लाईसेंस प्राप्त किये बिना अपनी दुकान/व्यवसाय नहीं चला सकेगा एवं इस उपनियम के लागू होने के पूर्व चल रहे समस्त दुकान/व्यवसाय का लाइसेंस दुकानदार/व्यवसायी को प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2)— इस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेंस की अवधि 03 वर्ष की होगी जो 01 अप्रैल से लागू हो 31 मार्च करना अनिवार्य होगा।

(3)— प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी को पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि को अदा करके लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(4)– दुकानदार/व्यवसायी को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपेक्षित धनराशि कार्यालय, नगर पंचायत, भारतगंज में जमा कर अथवा नगर पंचायत कार्यालय द्वारा अधिकृत कर्मचारी को जमा करके रसीद प्राप्त कर सकता है।

(5)– दुकानदार/व्यवसायी को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बॉटों का मापों में प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

(6)– इस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेंस केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य किसी विधिक संस्था द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु लाइसेंस से भिन्न होगा।

(7)– कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी छुआ-छूत की बीमारी से ग्रस्त है, वह उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा एवं ऐसे व्यक्ति को उल्लिखित व्यवसायों में सहायक अथवा नौकर भी रखने का अधिकार नहीं होगा।

(8)– नगर पंचायत, भारतगंज के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/ अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाइसेंस का निरीक्षण कर सकते हैं और प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी लाइसेंस दिखाने के लिए बाध्य होंगे तथा प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधिकृत होंगे।

(9)– अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, भारतगंज के द्वारा लाइसेंस उपनियमावली की शुल्क की दरें स्वतः निरस्त हो जायेगी।

(10)– जो शुल्क इस तालिका में नहीं है उसे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष मानकर उसी के अनुरूप लाइसेंस शुल्क लिया जायेगा।

(11)– इस उपनियम के प्रभावी होते ही पूर्व में प्रभावी फैक्ट्री/दुकान/वाहन लाइसेंस उपनियमावली की शुल्क की दरें स्वतः निरस्त हो जायेगी।

(12)– वाहन के लाइसेंस न बनाने अथवा चेकिंग में पकड़े जाने पर वाहन जमा कराकर इससे अधिकृत कर्मचारी रसीद दे देंगे तथा वाहन बन्द किये जा सकते है तत्पश्चात् 15 दिन में लाईसेंस न बनवाने पर लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा उक्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी करायी जा सकती है।

(13)– उपनियमों में संशोधन पंचायत बोर्ड किसी भी समय कर सकता है, एवं शर्तों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश आवश्यकतानुसार किसी भी समय निर्गत किये जा सकते है।

(14)– वित्तीय वर्ष के माह जून तक प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी को लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा अन्यथा उनसे प्रतिमाह रु0 100.00 विलम्ब शुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा।

(15)– दुकानदार/व्यवसायी द्वारा लाइसेंस शुल्क वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्दर जमा नहीं करने पर इसकी वसूली भू-राजस्व की भॉति करायी जायेगी।

(16)– नगर पंचायत बोर्ड/शासनादेश के निर्णयानुसार लागू लाइसेंस शुल्क में आवश्यक वृद्धि की जा सकती है।

(17)– दुकानदार/व्यवसायी अपना व्यवसाय/दुकान चाहे अपने निजी मकान/दुकान/खुली जमीन अथवा किराये के मकान/दुकान/खुली जमीन पर करता है, उसे अपने दुकान/व्यवसाय के अनुरूप लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा।

(18)– सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी लाइसेंस को किसी भी समय निरस्त कर सकता है अथवा उचित नहीं होने पर लाइसेंस देने से इन्कार करने का अधिकार होगा।

(19)– व्यवसायिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अन्य आवंटन विभागों से एन0ओ0सी0 इत्यादि प्राप्त करने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

4– लाइसेंस शुल्क– शासनादेश सं0 541/नौ-9-99-23ज/97टी0सी0 दिनांक 15 फरवरी, 1999 समहित सं0 1241/नौ-9-98-23ज/97 दिनांक 10 जून, 1998 नगर पालिका अधिनियम,1916 की धारा-298, के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये लाइसेंस शुल्क (35 मद) अनुसूची दरें वसूली प्रभाव रहेगा।

वार्षिक दरें–

क्रम सं0	दुकान/व्यवसाय का नाम	लाइसेंस हेतु निर्धारित दरें प्रति वर्ष
1	2	3
		रुपये–
01	पॉच सितारा होटल	12,000.00
02	तीन सितारा होटल	9,000.00
03	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाऊस (10 शैय्या तक)	900.00
04	प्राइवेट नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	5,000.00
05	प्राइवेट नर्सिंग होम (20 बेड तक)	3,000.00
06	प्राइवेट प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	5,000.00
07	प्राइवेट प्रसूति गृह (20 बेड तक)	3,000.00
08	प्राइवेट अस्पताल (बिना ऑपरेशन)	2,000.00
09	प्राइवेट अस्पताल (ऑपरेशन युक्त)	5,000.00
10	एक्स-रे क्लीनिक	2,000.00
11	पैथालॉजी सेन्टर	2,000.00
12	प्राइवेट क्लीनिक	1,000.00
13	ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा 07 सीटर तक	500.00
14	ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा 04 सीटर	250.00
15	ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा 02 सीटर	150.00
16	बस	1,500.00
17	मिनी बस	1,000.00
18	टैम्पों/जीप/टैक्सी आदि	500.0
19	तॉगा	30.00
20	रिक्शा किराये पर चालित	100.00
21	रिक्शा निजी चालित	50.00
22	रिक्शा चालक शुल्क	20.00
23	ठेला	75.00
24	हाथ ठेला	20.00
25	ट्रॉली मशीन चालित	500.00
26	अन्य चार पहिया व्यापारिक वाहन	750.00
27	धुलाई गृह लॉण्ड्री	500.00
28	ड्राई क्लीनर लॉण्ड्री	1,000.00
29	फाइनेन्स कम्पनी	10,000.00
30	इंश्योरेंस कम्पनी	15,000.00
31	फाउण्डिंग इण्डस्ट्रीज	500.00

32	पशु स्लाटर हाउस (प्रति पशु)	50.00
33	हड्डी / खाल / बाल गोदाम	1,000.00
34	पशु पालन (प्रति पशु)	10.00
35	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	500.00
	(क) प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर	100.00
	(ख) प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर	50.00

5– जलमूल्य वसूली–

(1)– उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश सं0 1010-19-2-96(2)-96 दिनांक 08 जनवरी, 1997 के द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अंतर्गत की निम्नवत् दरें प्रस्तावित है–

क्रमांक	घरेलू संसोधित दरें	वर्तमान प्रतिमाह
1	2	3
		रुपये–
1	घरेलू	50.00
2	व्यावसासिक	100.00

(2)– नगर पंचायत के अन्तर्गत ऐसे भवन स्वामियों जो घरेलू सबमर्सिबल पानी का उपयोग करते है, को वार्षिक शुल्क रु0 1,000.00 देय होगा।

(3)– ऐसे भवन स्वामी जो व्यावसायिक सबमर्सिबल का प्रयोग करते है वार्षिक मूल्य रु0 2,000.00 देय होगा।

(4)– वसूली अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी।

(5)– नगर पंचायत, वार्षिक बिल वितरण कराकर वसूली करायेगी।

(6)– नगर पंचायत, समुचित अभिलेखों को प्रत्येक वित्तीय वर्षवार अनुरक्षित रखेगी, जिसमें डिमाण्ड रजिस्टर को तैयार कराना तथा निर्धारित समय में बिल तैयार कर वितरित करना।

6– शो टैक्स– नगर पंचायत, भारतगंज सीमान्तर्गत मनोरंजन के माध्यम से फिल्म प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसे स्वामियों से रु0 50.00 प्रति शो की दर से वसूला जायेगा।

7– विज्ञापन शुल्क– सचिव, उत्तर प्रदेश, नगर विकास अनुभाग-9 शासनादेश सं0 618 / नौ-9-2012-277ज / 2011 दिनांक 05 अप्रैल, 2012 के द्वारा विज्ञापन / प्रचार के सम्बन्ध में दिशा निर्देश–

(1)– विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिये ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेंगे जो प्रत्येक दृष्टि से निरापद, निर्वाद, गमनागन और सुगम यातायात के लिये सर्वथा उपयुक्त हो।

(2)– विज्ञापन पटों की सुदृढ़ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये ताकि कोई दुर्घटना न होने पाये।

(3)– विज्ञापन को वृक्षों, बल्लियों, बॉस या लकड़ियों से बांधा नहीं जायेगा। उस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन से आस-पास के कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हो और लोक सम्पत्ति किसी भी प्रकार से विरूपित न हो।

(4)– विज्ञापन कर रु0 6.00 प्रति वर्गफुट प्रतिमाह देय है।

(5)– कोई भी विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भी दशा में जनहित और निकाय के प्रतिकूल नहीं होने चाहिये और उसमें सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी भी प्रकार से अशिष्ट, अश्लील, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक अथवा आपत्तिजनक प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिये।

8– ट्रांसफार्मर सब स्टेशन पर शुल्क–

(1)– पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के ट्रान्सफार्मर 250 के0वी0ए0 क्षमता तक शुल्क रु0 5,000.00/– एवं 400 के0वी0ए0 क्षमता तक शुल्क रु0 10,000.00/– वार्षिक प्रति ट्रान्सफार्मर 400 के0बी0 की अधिक की क्षमता के लियें– रु0 25,000/– वार्षिक।

(2)– पंचायत, सीमा में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस/सब स्टेशन पर शुल्क रु0 50,000.00 वार्षिक।

9– नगर पंचायत दुकान एवं बारात घर पर किराया शुल्क–

(1)– नगर पंचायत दुकान एवं सम्पत्तियों को भली-भॉति रख–रखाव करने हेतु प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत किराये में बृद्धि करेगी।

(2)– ऐसे किरायेदारों द्वारा अनुबन्ध-पत्र उल्लंघन करने पर नगर पंचायत द्वारा बेदखल नोटिस जारी कर पुनः नीलामी की कार्यवाही कर दी जायेगी।

(3)– दुकान का किराया– रु0 2,000.00/–प्रतिमाह

(4)– नगर पंचायत, भारतगंज द्वारा स्थित बारात घर का किराया रु0 15,000.00 प्रतिदिन तथा कार्यक्रम के उपरान्त बारात घर की सफाई एवं जनित कूड़े का निस्तारण शुल्क अलग से देय होगा।

10– अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क प्रति वर्ष–

(1)– मछली फुटकर बिक्री	रु0 500.00
(2)– मछली थोक बिक्री	रु0 1,000.00
(3)– फल फुटकर बिक्री	रु0 500.00
(4)– फल थोक बिक्री	रु0 2,000.00
(5)– सब्जी फुटकर बिक्री	रु0 500.00
(6)– सब्जी थोक बिक्री	रु0 2,000.00
(7)– अण्डा फुटकर बिक्री	रु0 500.00
(8)– अण्डा थोक बिक्री	रु0 2,000.00
(9)– मुर्गा, बकरा, भैंस-भैंसा बिक्री	रु0 5,000.00

11– विविधकर (शुल्क) की दरें–

(1)– प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 100.00 (सौ रु0 मात्र) प्रति प्रमाण-पत्र।

(2)– पानी टैंकर का किराया (नगर पंचायत सीमा में वैवाहिक कार्य/सामाजिक कार्य हेतु) रु0 500.00 (पांच सौ) मात्र एवं नगर पंचायत सीमा में निर्माण/अन्य कार्य हेतु रु0 1000.00 (एक हजार) रू0 मात्र प्रति टैंकर प्रतिदिन।

(3)– पानी टैंकर का किराया (नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि0मी0 अधिकतम में वैवाहिक कार्य/सामाजिक कार्य हेतु) रु0 2,000.00 दो हजार रू0 मात्र प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि0मी0 अधिकतम में निर्माण/अन्य कार्य हेतु रु0 2500.00 दो हजार पाँच सौ मात्र प्रति टैंकर प्रतिदिन।

(4)– सीवरेज टैंकर उपयोग शुल्क (नगर पंचायत सीमान्तर्गत) रु0 2,500.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि0मी0 अधिकतम में शुल्क रु0 4,000.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर।

(5)– पंचायत सीमा में स्थित पैट्रोल पम्प पर व्यावसायिक शुल्क रु0 3,000.00 (तीन हजार मात्र) वार्षिक।

(6)– पंचायत सीमा में स्थित कोचिंग संस्थानों पर व्यावसायिक शुल्क रु0 1000.00 (एक हजार मात्र) वार्षिक।

(7)– पंचायत सीमा में व्यवसाय करने वाले गेस्ट हाउस/अतिथि गृह पर व्यावसायिक शुल्क रु0 15,000.00 (पन्द्रह हजार मात्र) वार्षिक।

(8)– पंचायत सीमा में व्यवसाय करने वाले रेस्टोरेन्ट/ढाबा पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (पाँच हजार मात्र) वार्षिक।

(9)– पंचायत सीमा में स्थित आटा चक्की/पालेशर मशीन/तेल पिराई मशीन/रूई धुनाई मशीन पर व्यवसायिक शुल्क रु0 1,000.00 (रु0 एक हजार) वार्षिक।

(10)– गाय/भैंस/सुअर इत्यादि सभी प्रकार के पालतू जानवरों को खुला छोड़ने पर पकड़े जाने पर शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण/प्रति दिन।

(11)– पंचायत सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के मूत्रालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 5.00 एवं शौचालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 10.00 लिया जायेगा।

(12)– पंचायत सीमा में स्थित नाली/नाला/सड़क/अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.0 प्रति प्रकरण तथा पुनरावृत्ति करने पर रु0 5,000.00 प्रति प्रकरण।

(13)– पंचायत सीमा में स्थित व व्यवसाय करने वाले छोटे दुकानदारों (200 वर्ग फिट क्षेत्रफल या उससे कम कवर्ड एरिया) से व्यवसायिक शुल्क रु0 500.00 वार्षिक तथा बड़े दुकानदारों (200 वर्ग फिट क्षेत्रफल या उससे अधिक कवर्ड एरिया) से व्यावसायिक शुल्क रु0 1,000.00 वार्षिक।

(14)– छोटी बाउण्ड्री युक्त भू-खण्ड या मकानों के मध्य खाली भू-खण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूड़ा करकट फेंकने को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा अपने खाली भू-खण्डों एवं छोटी बाउण्ड्रीवाल पर न्यूनतम दो मीटर ऊँची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न कराने पर पेनाल्टी शुल्क प्रति प्रकरण रु0 2,500.00 (रु0 दो हजार पाँच सौ) वार्षिक।

(15)– नगर पंचायत सीमा में स्थित राइस, गन्ना मिल पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 वार्षिक।

(16)– नगर पंचायत सीमा में संचालित आरा मशीन, आइस फैक्ट्री पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।

(17)– नगर पंचायत सीमा में स्थित डेरी, प्रेशर मशीन (गाड़ी धुलाई केन्द्र) पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।

(18)– नगर पंचायत सीमा में स्थित आर0ओ0 प्लांट/निजी जलापूर्ति प्रणाली पर व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।

(19)– नगर पंचायत सीमा में स्थित मोटर साइकिल एजेन्सी, ट्रैक्टर एजेन्सी पर व्यावसायिक शुल्क रु0 3,000.00 (तीन हजार) वार्षिक।

(20)– नगर पंचायत के जे0सी0बी0 का किराया रु0 1,100.00 (एक हजार एक सौ) रु0 प्रति घंटा नगर पंचायत सीमान्तर्गत तथा आने-जाने का समय सहित।

(21)– मोबाइल टायलेट किराया रु0 1,000.00 प्रति दिन/प्रति बुकिंग।

(22)– नगर पंचायत सीमान्तर्गत संचालित ईंट भट्ठों पर लाइसेंस शुल्क रु0 10,000.00 (दस हजार) वार्षिक शुल्क।

(23)– नगर पंचायत सीमा में गल्ला/अनाज की आढ़त व्यावसायिक शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।

(24)– नगर पंचायत सीमा में स्थित समस्त बैंकों पर व्यावसायिक शुल्क 5,000.00 (पांच हजार) वार्षिक प्रति शाखा।

(25)– नगर पंचायत सीमा में जल कनेक्शन के उद्देश्य से रोड कटिंग चार्ज रु0 1,000.00 (एक हजार) रुपया प्रति कनेक्शन।

(26)– नगर पंचायत सीमा में जल कनेक्शन हेतु जमानत धनराशि रु0 1,000.00 (एक हजार) रुपया प्रति कनेक्शन।

(27)– नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त विकास कार्य सम्बन्धी ठेकेदार पंजीकरण शुल्क रु0 15,000.00 (रु0 पन्द्रह हजार मात्र) वार्षिक, वित्तीय वर्ष के प्रथम मास तक। तद्पोरान्त रु0 1,000.00 (एक हजार) मासिक विलम्ब शुल्क के साथ।

(28)– ठेकेदार नवीनीकरण शुल्क रु0 5,000.00 (रु0 पांच हजार मात्र) वार्षिक, वित्तीय वर्ष के प्रथम मास तक।

(29)– शटरिंग/तख्ता बल्ली को किराये पर उठाने के व्यवसाय पर रु0 2000.00 वार्षिक (रु0 दो हजार मात्र)।

(30)– देशी शराब व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 5,000.00 (रु0 पांच हजार) वार्षिक।

(31)– विदेशी शराब व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार) वार्षिक।

(32)– बार/बियर दुकान पर व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार) वार्षिक।

(33)– माडल शॉप व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु0 15,000.00 (रु0 पन्द्रह हजार) वार्षिक।

(34)– समस्त प्रकार की भवन निर्माण सामग्री सीमेंट/सरिया/मौरंग इत्यादि विक्रेता व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (पांच हजार) वार्षिक।

(35)– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के क्रम में एनजीटी एक्ट, 2010 की धारा-15/16 के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में खुले में कूड़ा जलाने पर अर्थदण्ड प्रति प्रकरण रु0 5000.00 (पांच हजार मात्र) एंव सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री एकत्रित करने/मलबा रखे जाने पर रु0 50,000.00 (पचास हजार मात्र) अर्थदण्ड।

दण्ड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299(1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देश दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों के किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा या करने में प्रोत्साहित करेगा उस व्यक्ति पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा जो इस उपनियम में दिये गये निर्धारित शुल्क के दो गुना से दस गुना तक हो सकता है। यदि अपराध निरन्तर जारी रहेगा तो अतिरिक्त दण्ड लगाया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से या प्रमाणित हो जाने पर की अपराधी ने निरन्तर अपराध जारी रखा है तो रु0 25 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है एवं जुर्माना के साथ-साथ तीन मास का कारावास तक का दण्ड सक्षम न्यायालय से दिया जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत भारतगंज,
प्रयागराज।

कार्यालय, नगर पंचायत भारतगंज, जनपद प्रयागराज

भवन निर्माण उपविधि-2024

24 जून, 2024 ई0

सं0 1468/न0पं0भा0(उपविधियों)/भवन निर्माण/प्रकाशन/2024-25–उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या-2, 1916) की धारा-298 (2) के उपखण्ड-(क) क, ख, ग, घ, ड. के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते नगर पंचायत भारतगंज, जनपद-प्रयागराज द्वारा नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविध नियमावली, 2024 प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली की धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है, तद्क्रम में नगर पंचायत, भारतगंज द्वारा बोर्ड दिनांक 07 मार्च, 2024 प्रस्ताव संख्या 04 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तद्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला दिनांक 21 जुलाई 2024 एवं आज 23 जुलाई 2024 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया, निर्धारित समयावधि 30 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 10 सितम्बर 2024 के प्रस्ताव संख्या 19 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

1– **शीर्षक**– यह उपविधि नगर पंचायत भारतगंज, जनपद प्रयागराज भवन निर्माण उपविधि वर्ष-2024 कहलायेगी।

2– **प्रकृति**– यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत भारतगंज, जनपद-प्रयागराज में प्रभावी रहेगी।

3– **परिभाषायें**– जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधियों में–

1– **''अधिनियम''** का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम संख्या–2, 1916 से है।

2– **''अधिशासी अधिकारी''** का तात्पर्य नगर पंचायत भारतगंज, जनपद-प्रयागराज के अधिशासी अधिकारी से है।

3– **''बोर्ड/समिति''** का तात्पर्य नगर पंचायत भारतगंज, जनपद-प्रयागराज के बोर्ड/समिति से है।

4–**''अध्यक्ष''** का तात्पर्य नगर पंचायत भारतगंज, जनपद-प्रयागराज के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

5–**''नगर पंचायत''** का तात्पर्य नगर पंचायत भारतगंज, जनपद-प्रयागराज से है।

6– **''नगर पंचायत की सीमाओं''** का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभारी होने वाली सीमा से है।

4– **नोटिस**– यदि कोई व्यक्ति जो नगर पंचायत भारतगंज, जनपद-प्रयागराज की सीमा के अन्तर्गत किसी भवन अथवा भू-खण्ड का स्वामी है और किराये पर देने और विक्रय करने अथवा पट्टे पर देने का हक रखता है और उस पर निर्माण या परिवर्तन करना चाहता है तो वह उक्त एक्ट की धारा-178 के अन्तर्गत नगर पंचायत को निर्धारित प्रारूप में नोटिस देगा।

नोटिस के साथ निम्नलिखित विवरण व मानचित्र संलग्न होगा–

(क)– स्थल का मानचित्र– अनुज्ञा के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रेषित मानचित्र एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के पैगाने से कम नहीं खींचा जायेगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित होंगे–

1– स्थल की सीमायें और उनकी माप तथा समीपवर्ती भूमि, जो उनके स्वामी की हो।

2– स्थल का नजरी नक्शा (की प्लान) तथा भू-विन्यास या भू-खण्डों का विभाजन।

3– समीपवर्ती सड़कों की स्थिति तथा सड़क/सड़कों के नाम जिन पर भवन स्थित है।

4– भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र।

5– विद्यमान सड़क से भवन तक तथा सभी भवनों तक जो प्रार्थी सीमावर्ती भूमि पर बनाना चाहता है, पहुॅचने (यदि कोई हो) का मार्ग।

6– स्थल का क्षेत्रफल, कुर्सी का क्षेत्रफल, प्रत्येक फर्श का क्षेत्रफल।

7– प्रस्तावित भवन का विस्तृत मानचित्र जिसमें भवन सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित हों।

8– यदि किसी बड़े भू-खण्ड पर कई आवासीय भवन पृथक-पृथक परिवार के लिए बनाये जाने हों तो सभी व्यक्तियों के आने जाने हेतु अपनी भूमि से सार्वजनिक सड़क के रूप में जगह छोड़ी जायेगी, जिसे विकसित करना होगा।

सभी व्यक्तियों के आने जाने हेतु अपनी भूमि से सार्वजनिक सड़क के रूप में जगह छोड़ी जायेगी, जिसे विकसित करना होगा।

(ख)– भवनों का मानचित्र– भवन के अगले भाग तथा खण्ड के विस्तृत मानचित्र जो नोटिस के साथ संलग्न हों, एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के माप के खींचे होने चाहिये और उनमें विभिन्न रंगो में दिखलाया जाना चाहिये।

मानचित्र में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे–

1– प्रति एक मंजिल का मानचित्र, प्रत्येक तल के आच्छादित भाग का विवरण, सभी कमरों, खिड़कियों, रोशनदानों, खुलने वाले दरवाजों, सीढ़ियों आदि को ठीक स्थिति तथा आकार।

2– नालियों, गटरों, जल निकासी, बिजली लाईन तथा अन्य प्रयोग की चीजों की स्थिति।

3– शौचकूप, स्नानागार, नाबदान जैसे सेवाओं की वास्तविक स्थिति।

4– मानचित्र में नवीन, जिसके लिए प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया जायेगा, लाल रंग तथा पुराना भवन नीले रंग से दिखाया जायेगा।

5– भू-खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर सेट बैट भवन का फ्रन्ट एलीवेशन की प्लान साइट प्लान, तलपट्ट मानचित्र सर्विसेज प्लान आदि का विवरण।

6– मानचित्र में वाहन (दो पहिया/चार पहिया) जो हों खड़े करने का स्थान दर्शाना होगा।

7– मान्यता प्राप्त ड्राफ्टमैन/वास्तुविद् द्वारा निर्मित मानचित्र ही स्वीकार किये जायेंगे।

8– उत्तर रेखा तथा प्रयुक्त पैमाना।

5– प्लान– इस प्रकार के नोटिस के साथ जो कि किसी भवन/भू-खण्ड के निर्माण पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन से सम्बन्धित है मानचित्र और विवरण दो प्रतियों में संलग्न करेगा। मानचित्र ट्रेसिंग क्लाथ एवं ब्लू प्रिंट में होगा तथा भवन मानचित्र शुल्क जमा की रसीद संलग्न करेगा।

6– मानचित्र अस्वीकृत होने की दशा में जमा शुल्क का 25 प्रतिशत धनराशि स्टेशनरी शुल्क के रूप में रोक ली जायेगी तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि वापस कर दी जायेगी।

7– शुल्क उपनियम-4 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा–

क्रम सं0	भवन/भू-खण्ड का प्रकार	भूतल प्रति वर्ग फिट	अतिरिक्त तल प्रति वर्ग फिट
1	2	3	4
		रुपये–	रुपये–
1	निवासीय भवन (कवर्ड एरिया)	10.00	05.00
2	निवासीय भवन (ओपन एरिया)	06.00	03.00
3	व्यवसायिक भवन दुकान (कवर्ड एरिया)	20.00	10.00
4	व्यवसायिक भवन दुकान (ओपन एरिया)	15.00	08.00
5	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (कवर्ड एरिया)	30.00	15.00
6	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (ओपन एरिया)	20.00	10.00
7	भू-खण्ड/प्लाटिंग एरिया	05.00	00.00

8– मानचित्र स्वीकृत करने का न्यूनतम शुल्क रु0 5,000.00 या उपर्युक्त दरों के आधार पर जो अधिकतम होगा देय होगा।

9– प्लाटिंग एरिया के आवासीय क्षेत्रफल पर ही शुल्क देय होगा।

1– प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य भवन का कवर्ड एरिया एवं ओपन एरिया पर निर्धारित शुल्क होगा।

2– नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-181 के अर्न्तगत यह स्वीकृति एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

3– सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

4– भू-तल पर सड़क की ओर रहने वाले दरवाजे (किवाड़) भीतर की ओर खुलेंगे।

5– यदि प्रस्तावित निर्माण सार्वजनिक सड़क के सामने किया जाता है तो सड़क की पटरी से 1.20 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ कर निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी।

6– धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा इसी प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों की स्वीकृति शासन की अनुमति के उपरान्त तथा धार्मिक स्थल के बीच से 7.50 मीटर से कम की दूरी न हो तथा प्रस्तावित धार्मिक स्थल किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी पर न हो।

7– विद्युत लाईन का विस्तार/परिवर्तन विद्युत विभाग की अनुमति के उपरान्त ही होगा।

8– 200 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले घरों या व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि का मानचित्र वर्षा जल प्रबन्धन की व्यवस्था मानचित्र पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

9– किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण हेतु पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

8– शौचालय एवं गन्दे पानी का निकास– ऐसे व्यक्ति जो भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर करेगा जो की सार्वजनिक नाली से 30 मीटर के भीतर होगा, तो उसे अपने भवन के पानी की नाली को सार्वजनिक नाली तक स्वयं मिलाना होगा।

9– भवन में फ्लश/लैट्रिंग अनिवार्य होगा बिना फ्लश/लैट्रिंग के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

10– नालियॉ– भवन की नालियाँ सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा मजबूत व पक्की नालियाँ बनायी जायेगी तथा सार्वजनिक नालियाँ से इसका जुड़ा होना भवन स्वामियों के लिए आवश्यक होगा तथा बारिश के पानी को छतों से उतारने हेतु पाईप लगाने होंगे।

11– पिलिन्थ (कुर्सी)– भवन का पिलिन्थ भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊँचा रखना होगा।

12– भवन की ऊँचाई– भू-तल से फर्श छत पर ऊँचाई 3.60 मीटर ऊँचा तलों पर कम से कम 3.00 मीटर रखनी होगी।

13– (क)– भवन की किनारे व्यक्तियों के रहने के कमरों का क्षेत्रफल कम से कम 7.20 वर्गमीटर होगा तथा कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.40 मीटर रखी जायेगी।

(ख)– कमरे में समुचित जंगलों और वेन्टीलेशनों की व्यवस्था करनी होगी जो कि खुले स्थान में होंगे तथा इनका क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल से 01/01 से कम नहीं होगा।

(ग)– जंगले इस प्रकार बनाये जायेंगे कि इनको पूरा खोला जा सके।

(घ)– जीना– बहु मंजिले भवनों के हवादार जीने का निर्माण आवश्यक होगा।

14– किसी ऐसे भू-खण्ड पर निवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिसकी चौड़ाई 2.50 मीटर तथा लम्बाई (गहराई) 5.00 मीटर से कम होगी।

15– जानवरों का बाड़े की फर्श पक्की तथा ढालदार बनाना होगा।

16– जब सक्षम अधिकारी यह निश्चित कर लेगा कि प्रस्तावित भवन इस उपविधि से सम्बन्धित सभी शर्तों को पूरा करता है तो वह मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करेगा।

17– निकाय/बोर्ड उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-186 के अन्तर्गत किसी निर्माण कार्य निर्माण कार्य को रोकने तथा निर्मित भवन को गिरा देने का अधिकार होगा जब भवन या अध्यासी को किसी भवन या भवन के नाम के निर्माण, पुनःनिर्माण, परिवर्तन अथवा विस्तार किसी ऐसे दशा में जहाँ निकाय/बोर्ड का यह विचार हो कि इस प्रकार का निर्माण पुनः निर्माण, परिवर्तन या विस्तार धारा-185 के अधीन कोई अपराध है, तो भवन स्वामी को लिखित नोटिस देकर रोकने का निर्देश दे सकता है और इसी प्रकार यथास्थिति ऐसे भवन या भवन के भाग में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने का जिसे वह आवश्यक समझे, निर्देश दे सकता है।

शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम-2, 1916 की धारा-299(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत भारतगंज, जनपद प्रयागराज यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधियों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000.00/– (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर चला आ रहा हो तो रु0 25/– (पच्चीस रुपये मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन किया जायेगा।

(ह0) अस्पष्ट,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत भारतगंज,
प्रयागराज।

कार्यालय, नगर पंचायत भारतगंज, जनपद प्रयागराज

सम्पत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2024

24 जून, 2024 ई0

सं0 1468/न0पं0भा0/बायलॉज/2024-25–उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-128(1) व 126(10) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज ने अपनी बैठक 18 सितम्बर, 2023 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी भवनों, इमारतों तथा भूमियों पर गृहकर निर्धारण हेतु शासनादेश सं0-408/नौ-10-63ज/95टी0सी0 नगर विकास अनुभाग-9 दिनांक 22 फरवरी, 2010 व शासनादेश सं0-135/नौ-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04, लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुपालन में नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज की सीमान्तर्गत भवनों व सम्पत्तियों पर स्वकर प्रणाली के अंतर्गत गृहकर निर्धारण किये जाने हेतु स्वमूल्यांकन व्यवस्था प्रभावी तथा संपत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2024 बनायी गयी है उपरोक्त नियमावली की धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है, तद्क्रम में नगर पंचायत भारतगंज द्वारा बोर्ड दिनांक 07 मार्च, 2024 प्रस्ताव संख्या 04 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तद्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला दिनांक 21 जुलाई 2024 एवं आज 23 जुलाई 2024 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया, निर्धारित समयावधि 30 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 10 सितम्बर 2024 के प्रस्ताव संख्या 19 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

1– यह नियमावली नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज की सीमा में स्थित भवनों तथा सम्पत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2024 कही जायेगी।

2– यह नियमावली नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज की सीमा में लागू होगी।

3– यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के पश्चात् शासनादेश संख्या 1688/नौ-9-2021 85ज/05 टी0सी0 दिनांक 19 अगस्त, 2021 के अनुसार लागू होगी।

4– ''नगर पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज से है।

5– ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज के अधिशासी अधिकारी से है।

6– ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगर पंचायत के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

7– ''प्रशासक/बोर्ड'' का तात्पर्य नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज के प्रशासक बोर्ड से है।

8– ''अधिनियम'' से तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

9– ''शासनादेश'' का तात्पर्य उ0प्र0 शासन के आदेशों/निर्देशों से है।

10– कोई भी व्यक्ति यदि नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज की सीमा में भवन/भूमि का स्वामी/अध्यासी है तो वे भवन/भूमि के सम्पत्ति कर निर्धारण स्वमूल्यांकन द्वारा कर लेंगे। इसके लिए नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज से एक आवेदन-पत्र प्राप्त कर अपने मकान का ब्यौरा देकर उपविधि में दी गयी निर्धारित दर के अनुसार स्वकर का निर्धारण करेंगे।

11– आवेदन-पत्र नगर पंचायत, भारतगंज से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

12– जिन भवन/भूमि स्वामी/अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण का विकल्प नहीं अपनाया जायेगा तो उसके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज द्वारा की जायेगी।

13– भवन– इसमें वह सभी अहातें, उपघर आदि एक संयुक्त परिसर में कई भवन स्थित हैं तो इस परिसर के सभी इमारतों के परिसर को भूमि सहित भवन कहा जायेगा और मकान का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा में अंकित परिभाषा से है।

14– ''सम्पत्ति'' का तात्पर्य किसी भवन/भूमि या दोनों से है।

15– ''आच्छादित क्षेत्रफल'' का तात्पर्य, कुर्सी के ऊपर जिस पर भवन निर्मित है के प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल से है।

16– कारपेट एरिया की गणना नियमानुसार की जायेगी–

(क)– कमरे – आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।

(ख)– आच्छादित बरामदा – आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।

(ग)– बालकनी, कारीडोर, रसोई व भण्डार गृह – आन्तरिक आयाम की 50 फीसदी माप।

(घ)– गैराज – आन्तरिक आयाम की 1/4 माप।

(ड़)– स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र – कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

अथवा

कारपेट एरिया – आच्छादित क्षेत्र का 80 प्रतिशत भाग।

17– कर का निर्धारण– कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा।

(क)– वार्षिक मूल्य की गणना, वार्षिक मूल्य = कारपेट एरिया × निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत × निर्धारित प्रति इकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

18– करों का भुगतान–

(क)– अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी बनाये गये नियम के अधीन निर्धारित भवन/भूमि (सम्पत्ति) कर के भुगतान हेतु स्वामी/अध्यासी को बिल भेजेगा, जिसमें एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट होगा, नगर पंचायत भारतगंज कार्यालय अथवा उसके द्वारा अभिसूचित बैंक में कर का भुगतान किया जायेगा। गृहकर निर्धारण का भुगतान हेतु सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किये जाने पर भी निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। निर्धारित अवधि के नियमावली में दी गयी शास्ति तथा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-173 (क) के अनुसार कर की वसूली की जायेगी। धारा-173 (क) की कार्यवाही का खर्च तथा बकाया धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लिया जायेगा।

(ख)– यह है कि नगर पंचायत की ओर से अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी जैसे भी परिस्थिति हो के नगर पालिका अधिनियम की धारा-158(1)(2) के अन्तर्गत पत्र भेजकर किसी भवन/भूमि स्वामी को उनके सम्पत्ति आदि के बारे में विवरण प्रस्तुत करने तथा अन्य दस्तावेज मांगने व प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(ग)– इस उपविधि के किसी भी प्रावधान के बारे में नगर पंचायत यदि संतुष्ट है कि उपविधि के किसी प्रावधान का दुरूपयोग पंचायत द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्रावधान/नियमानुसार जनहित में नहीं है, तो उक्त प्रावधान को निरस्त करने, छूट देने अथवा संसोधित करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।

19– किराये पर उठे आवासीय भवनों का उपरोक्तानुसार अवधारित वार्षिक मूल्य से (ARV) जोड़ें।

(क)– दस वर्ष से अधिक पुराना है तो 25 प्रतिशत अधिक होगा (+) 25 प्रतिशत।

(ख)– दस वर्ष से अधिक तथा बीस वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत अधिक होगा (+) 12.5 प्रतिशत।

(ग)– बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो यथावत समझा जायेगा।

नोट– नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-140(2) में यह प्रावधान है कि जहाँ नगर पंचायत किराये में किसी कारण से असाधारण परिस्थितियों में किसी भवन का वार्षिक मूल्य यदि उपर्युक्त रीति से गणना की गई हो अत्यधिक हो वहाँ नगर पंचायत किसी भी धनराशि पर जो भी न्याय संगत प्रतीत हो वार्षिक मूल्य नियम कर सकती है।

20– व्यावसायिक सम्पत्तियों से तात्पर्य– सभी प्रकार की फुटकर दुकानें, शोरूम, बेकरी, आटा चक्की, कोयला, लकड़ी, कृषि उपकरणों के लिये केन्द्र, शीतगृह, रिजोर्ट, होटल व बेवसाइट व ऑटोमोबाइल शोरूम/सर्विस सेन्टर व भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन, सिनेमा व मल्टीप्लेक्स, अस्थाई सिनेमा, पी0सी0ओ0, पेट्रोल व डीजल फिलिंग स्टेशन, गोदाम/गैस अधिष्ठान भण्डार तथा गोदाम, निजी कार्यालय, बैंक व अन्य अनावासीय भवनों से है।

21– इन्स्टीट्यूशनल (संस्थागत) सम्पत्तियों से तात्पर्य– राजकीय, अर्द्धराजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय, श्रमिक कल्याण केन्द्र, पी0ए0सी0, पुलिस लाईन, मौसम अनुसंधान केन्द्र, वायरलेस केन्द्र अतिथि गृह, धर्मशाला, रैनबसेरा, लॉजिंग बोर्डिंग हाउस, छात्रावास, अनाथालय, सुधारालय, कारागार, हैण्डीकैप चिल्ड्रेन हाउस, शिशुगृह एवं देखभाल केन्द्र, बृद्धावस्था केन्द्र, प्राथमिक, उच्चतर माध्यमिक इण्टर/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, पॉलीटेक्निक, इन्जीनियरिंग, विशिष्ट शौक्षिक संस्थान, आई0टी0आई, डाकघर, तारघर, पुलिस स्टेशन/चौकी, अग्निशमन केन्द्र, पुस्तकालय/वाचनालय, नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कलाकेन्द्र, सिलाई केन्द्र, बुनाई कढ़ाई केन्द्र, पेन्टिग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि, ऑडिटोरियम, नाट्यशाला, थियेटर, योगकेन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, धर्मिक केन्द्र, बारात घर, कान्फ्रेंस एवं मीटिंग हाल, प्रदर्शनी केन्द्र, रेडियो व टेलीविजन कार्यालय/केन्द्र, नर्सिंग होम व अस्पताल आदि।

नोट– जो भी सामाजिक, धार्मिक राजनैतिक संस्थायें निःशुल्क जनहित में कार्य कर रहीं है वे कर से मुक्त रहेंगी परन्तु जिस धर्म/राजनैतिक संस्था का जितने भाग का उपयोग व्यवसायिक होगा उस पर कर देय होगा।

23– रेन्ट कन्ट्रोल के मकान– रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम, 1972 के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज प्रत्येक करों की गणना के लिये वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अतंर्गत नहीं होगा बल्कि गृहकर का निर्धारण उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-135/9-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुसार किया जायेगा।

24– जिन भवनों/व्यावसायिक भवनों में भवन स्वामी का पता नहीं चलता है तो ऐसे भवनों में किरायेदार/अध्यासी को गृहकर का भुगतान करना होगा।

25– करों में छूट– उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-140 (2) के अनुसार करों में छूट प्रदान की जायेगी।

(क)– गृहकर की देयता वार्षिक होगी, 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य सम्बन्धित वर्ष का कर जमा करना अनिवार्य होगा।

(ख)– सम्बन्धित वर्ष में कर जमा नहीं करने की दशा में आगामी वित्तीय वर्ष में गृहकर पर 12 प्रतिशत की दर से सरचार्ज देय होगा।

26– सम्बन्धित सूचना प्रपत्र (क) प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर नगर पंचायत कार्यालय में भरकर जमा करना अनिवार्य है। भवन के क्षेत्रफल एवं दरों के सम्बन्ध में कोई त्रुटि पूर्ण विवरण होने की दशा में स्वामी अध्यासी से सम्पत्ति की देयता में होने वाले अन्तर के चार गुने धनराशि शास्ति (जुर्माना) के रूप में ली जायेगी निर्धारित अवधि तक विवरण न जमा करने की दशा में 100 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर तथा उससे अधिक भू-खण्ड पर

क्रमशः रु0 100/500/1,000/2,000 तक शास्ति (जुर्माना) आरोपित करके वसूल किया जायेगा, तथा 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में शास्ति (जुर्माना) का 5 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जायेगा।

27– भवन किराये पर देने या रिक्त होने, भवन में निर्माण/पुनर्निर्माण होने से आच्छादित क्षेत्रफल (कारपेट एरिया) में बृद्धि होने पर तथा भवन के व्यावसायिक/औद्योगिक प्रयोग होने पर 60 दिनों के अन्दर प्रपत्र (ख) में ही पुनः विवरण भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

28– जिन भवनों/भूमियों को नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज द्वारा भवन/भूमि की संज्ञा दी जा चुकी है उन्हें भी प्रपत्र क और ख उपरोक्तानुसार सूचना भरकर जमा करना अनिवार्य है तथा उसके भवन/भूमि पर यदि कोई पूर्व का बकाया है तो प्रपत्र क के अनुसार देय कर एवं पूर्व बकाया भी जमा करेंगे।

29– मकानों को दर्ज करने सम्बन्धी–

(क)– कोई भी व्यक्ति किसी भी समय यदि किसी भी भवन या भूमि पर अपना नाम अध्यासी अथवा स्वामी के रूप में करदाता सूची में अंकित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन करना होगा और यदि उसके नाम के सम्बन्ध में कोई आवेदन निरस्त करने हेतु विचाराधीन है तो उल्लेखित रूप में किया जायेगा अन्यथा उसके बाद सूची में आवेदन के अनुसार नाम कर निर्धारण सूची में अंकित कर दिया जायेगा। मकान/दुकान/प्लाट इत्यादि दर्ज किये जाने हेतु प्रथम बार में शुल्क मु0 5,000.00/– प्रति सम्पत्ति देय होगा।

(ख) गृहकर पंजिका में दर्ज ऐसी भूमि/भवन जो पंचायत के स्वामित्व की भूमि है जो किसी कारणवश निजी उपयोग में लायी जा रही है तो वह गृहकर पंजिका में स्वतः निरस्त/करमुक्त मानी जायेगी।

30– मकानों का हस्तान्तरण/नामान्तरण सम्बन्धी नियम–

(क)– यदि किसी भवन या भूमि जिस पर कर आरोपित है स्वामित्व हस्तांतरित होता है तो स्वामित्व हस्तान्तरित करने वाले व्यक्ति तथा संस्था अथवा स्वामित्व पाने वाला व्यक्ति ऐसे संस्था ऐसे हस्तान्तरण के 03 माह के अन्दर उसकी सूचना नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके निर्धारित प्रपत्र पर अधिशासी अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख)– यदि किसी करदाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रत्येक वारिस को मृत्यु के दिनांक से 03 माह के अन्दर लिखित सूचना अधिशासी अधिकारी को देना होगा।

(ग)– यदि किसी करदाता अथवा भवन का वारिस/उत्तराधिकारी 03 माह के अन्दर सूचना देने में असफल रहता है तो 03 माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते समय उसे नामान्तरण शुल्क के साथ रु0 500.00 विलम्ब शुल्क भी देय होगा तभी प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही किया जायेगा। यही प्रक्रिया विक्रय-पत्र के आधार पर नामान्तरण को कार्यवाही पर भी लागू होगी।

(घ)– विक्रय-पत्र/बैनामा/वसीयतनामा/हिबानामा/करारनामा/दान आदि के आधार पर आवेदक नगर पंचायत अभिलेखों में दर्ज कराना चाहता है तो उसके मालियत/प्रतिफल की धनराशि का 2 प्रतिशत नामान्तरण शुल्क जमा करने के बाद ही कार्यवाही शुरू की जायेगी।

नोट– भवनों, भूमियों इत्यादि को दर्ज करने हस्तानान्तरण/नामान्तरण करने हेतु स्थानीय स्तर पर अधिक प्रचलित वाले राष्ट्रीय/दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन कर 30 दिन के भीतर आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात् प्राप्त आपत्ति का निस्तारण होने के उपरान्त नामान्तरण/हस्तानान्तरण करने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी तथा समाचार-पत्र प्रकाशन का खर्च आवेदक से लिया जायेगा।

31– कर निर्धारण दर– गृहकर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत देय होगा।

32– मुख्य मार्ग का तात्पर्य– मुख्य मार्ग में सभी सड़कें आयेगी जिसकी चौड़ाई 20 फुट से अधिक होगी।

33– अन्य मार्ग का तात्पर्य– मुख्य मार्ग के अंदर के मार्ग व मोहल्ला/कालोनी में जाने वाली सड़क एवं समस्त गलियां अपने भागों में आयेंगी।

34– अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज द्वारा सत्यापित मासिक किराया प्रति वर्गफुट।

भवन की प्रकृति	पक्का भवन (RCC/RB छत)			अन्य पक्का भवन		कच्चा भवन	भूमि के सम्बन्ध में
1	2	3	4	5	6	7	8
फर्श की प्रकृति ⇨ टायल्स/मुजाइक सड़क की लम्बाई ⇩	पत्थर/फर्श	पक्का	कच्चा	पत्थर/टायल्स/मुजाइक	पक्का फर्श	कच्चा	खाली
क– 24 मी0 से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भवन	1.00	0.80	0.40	0.80	0.50	0.30	0.10
ख– 12 मी0 से 24 मी0 चौड़ी सड़क पर स्थित भवन	0.80	0.60	0.30	0.60	0.20	0.10	0.05
ग– 12 मी0 तक चौड़ी सड़क पर स्थित भवन	0.60	0.40	0.20	0.50	0.30	0.10	0.05

35– अन्तिम निर्णय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज में निहित होगा।

36– अन्य व्यावसायिक भवन/मिश्रित भवन/मिश्रित भवन जो मुख्य मार्ग पर स्थित न हो का कर निर्धारण निर्धारित आवासीय दर का दोगुना दर पर किया जायेगा।

37– (क)– किसी भी स्वामी द्वारा अध्यासीय भवन जो 30 वर्ग मी0 के माप वाले या 15 वर्ग मी0 तक कारपेट क्षेत्रफल भू–खण्ड पर निर्मित हो उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज की सीमा के अतंर्गत कोई अन्य भवन/भू-खण्ड न हो पर वार्षिक मूल्य की गणना नहीं की जायेगी वो कर से मुक्त होंगे।

(ख)– यदि आंशिक भाग का उपयोग व्यावसायिक/औद्योगिक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और आंशिक भाग पर निवासित है तो व्यावसायिक/औद्योगिक वाले भाग पर व्यावसायिक/औद्योगिक दर लागू होगा तथा निवासित भाग पर निवासित दर लागू होगा।

(ग)– व्यावसायिक/औद्योगिक उपयोग वाले आवासों/आवासीय अंशो पर कर निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा।

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासीय भवन की मासिक किरायें की दर
1	2	3
1	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलेक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बैंक कार्यालय, होटल, कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर) आवासीय सह दुकान की स्थिति में।	आवासीय दर का पांच गुना
2	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी0बी0 टावर दूर संचार या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते है।	आवासीय दर का चार गुना
3	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पाली क्लीनिक डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालायें, नर्सिंग होम, चिकित्सालय केन्द्र, मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र।	आवासीय दर का तीन गुना
4	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिप्पो और गोदाम।	आवासीय दर का तीन गुना

1	2	3
5	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप शादी/बारात घर, क्लब व इसी प्रकार के भवन।	आवासीय दर का तीन गुना
6	औद्योगिक इकाइयां सरकारी अर्धसरकारी एवं सार्वजनिक, उपक्रम कार्यालय	आवासीय दर का तीन गुना
7	क्रीडा केन्द्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, थियेटर तथा सिनेमा घर	आवासीय दर का दो गुना
8	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं है।	आवासीय दर का तीन गुना
9	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान जो अधिनियम की धारा 129-क के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नहीं है।	आवासीय दर के समान

38– अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज द्वारा पंचायत सीमान्तर्गत स्थित भवनों/भूमियों का वार्षिक मूल्यांकन दरों पर निर्धारित किया जायेगा।

39– सम्बन्धित बुकलेट रु0 50 शुल्क जमा कर नगर पंचायत भारतगंज कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

40– मूल्य की गणना उप निबन्धक कार्यालय द्वारा निर्धारित दरों से की जायेगी।

41– करों/शुल्कों/जुर्माना निर्धारित समय सीमा पर न जमा करने पर इसकी वसूली भू-राजस्व की भांति की जायेगी।

अर्थदण्ड

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज निश्चित करती है कि उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध होगा जो रु0 1,000/– एक हजार जुर्माना हो सकता है और निरन्तर बने रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा जो सर्वप्रथम दोष सिद्ध के दिनांक या अधिशासी अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस के दिनांक से प्रत्येक दिवस के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये जिसमें अपराधी अपराध करता है, रु0 25/– पच्चीस रुपये मात्र प्रतिदिन अर्थदण्ड लिया जायेगा।

(ह0) अस्पष्ट,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत भारतगंज,
प्रयागराज।

कार्यालय, नगर पंचायत भारतगंज, जनपद प्रयागराज

एस0बी0एम0 के अन्तर्गत यूजर चार्ज नियमावली, 2024

24 जून 2024 ई0

सं0 1468/न0प0भा0/यू0चा0 नियमावली/अधि0/2024-25–उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिये नगर पंचायत भारतगंज द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन नगर पंचायत भारतगंज, जनपद प्रयागराज द्वारा सीमा के अन्तर्गत एस0बी0एम0 के अन्तर्गत यूजर चार्ज नियमावली, 2024 प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली की धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है, तद्क्रम में नगर पंचायत भारतगंज द्वारा बोर्ड दिनांक 07 मार्च, 2024 प्रस्ताव संख्या 04 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तद्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला दिनांक 21 जुलाई, 2024 एवं आज 23 जुलाई, 2024 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया, निर्धारित समयावधि 30 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 10 सितम्बर, 2024 के प्रस्ताव संख्या 19 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

(अ)– यह नियमावली ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2024 कहलायेगी।

(ब)– यह उपविधि नगर पंचायत भारतगंज जनपद प्रयागराज सीमान्तर्गत लागू होगी।

(स)– अधिनियम का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(द)– इस नियमावली में अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से है। प्राधिकारी का अर्थ– नगर पंचायत भारतगंज जनपद प्रयागराज के अधिशासी अधिकारी से होगा। प्राधिकारी संस्था– नगर पंचायत भारतगंज जनपद प्रयागराज से है।

क्षेत्र– यह उपविधि नगर पंचायत भारतगंज जनपद प्रयागराज की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में समान रूप से प्रभावशाली होगी।

1– समस्त निवासियों के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 में उल्लिखित नियमों के अनुसार अपने स्थल पर उत्सर्जित/उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को उद्गम स्थल पर तीन हिस्सों में गीला सूखा एवं परिसंकटमय अपशिष्टों में तीन क्रमशः हरा, नीला व लाल, सफेद ढक्कननुमा कचरा पात्र में भण्डारित करना होगा व दिन में एक बार ही नगर पंचायत भारतगंज जनपद प्रयागराज द्वारा निर्धारित कूड़ा चुनने वाले अथवा डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहकर्ता को निधारित मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। ताकि आम सड़कों मार्गों पर नगर पंचायत द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात् किसी प्रकार की गंदगी कूड़ा-करकट नही फैले।

2– कोई व्यक्ति व संस्था निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने परिसर में भण्डारित करेगा एवं Construction and Demolation Waste Rule 2016 के अनुसार निपटान करेगा।

3– नगर में स्थित सभी को-आपरेटिव सोसाइटीज, एसोसिएशन आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धन की यह जिम्मेंदारी होगी कि वे आवश्यक घनत्व में उपर्युक्त स्थान पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कंटेनर (नीला व हरा रंग के) स्थापित करेंगे जिनमें दैनिक उत्सर्जित कचरे का पृथक-पृथक भण्डारण हो सके जिसका निस्तारण नगर पंचायत द्वारा निर्धारित देय यूजर-चार्जेज देकर करायेगा।

4– कोई भी व्यक्ति/नागरिक अपशिष्ट को गली/मार्गों व खुले सार्वजानिक स्थानों नाली/नाला या जलाशयों में न फेंकेगा, न जलायेगा और न ही गाड़ेगा। उपविधि का पालन न करने की दशा में रु0 5,000.00 का जुर्माना वसूल किया जायेगा अथवा न्यायालय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।

5– कोई भी व्यक्ति/नागरिक अपने आवास के समीप खाली स्थानों पर कूड़ा नहीं डालेगा न डालने देगा कूड़े के समीप निवासी को जिम्मेदार समझा जायेगा, जिसके लिये निकाय निर्धारित चालान करने में समर्थ होगा एवं अभियोग दायर किया जा सकेगा।

6– बूचड़ खानों, मांस-मछली बजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति का होता है का प्रबन्ध ऐसी रीति से किया जायेगा कि ऐसे अपशिष्ट को उपयोग में लाया जा सके ऐसे व्यवसायियों को इस प्रकार के अपशिष्ट को पृथक से एकत्र करने एवं नगर पंचायत के कलेक्शन वाहन को प्रतिदिन हैण्ड ओवर करने का प्रबन्ध करते हुए नियामानुसार नगर पंचायत को मासिक यूजर चार्ज देकर निस्तारण सुनिश्चित कराना होगा।

7– अस्पतालों, नर्सिग होम, क्लीनिक, लैबोरटरी आदि द्वारा जैव चिकित्सीय को नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाया जायेगा। अस्पतालों, नर्सिग होम्स एवं क्लीनिक आदि के प्रबन्धन द्वारा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट नियम, 2016 का अक्षरशः अनुपालन नगर पंचायत द्वारा निर्धारित यूजर चार्जेज देते हुए नगर पंचायत के व्यवस्थानुसार कराया जायेगा।

8– कोई भी व्यक्ति/निवासी अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भण्डारित करेगा और समय-समय पर नगर निकाय द्वारा निर्धारित शुल्क (यूजर चार्जेज) देकर निपटान करेगा।

9– कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी निर्माण सामग्री को किसी दशा में सार्वजनिक स्थान पर नहीं डालेगा। अनाधिकृत रूप से निजी मलवा/सामग्री डालना अधिनियम व नियमों के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

10– अपशिष्ट कूड़ा करकट सूखी पत्तियों को जलाया नहीं जायेगा।

11– कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन दिवस पूर्व स्थानीय निकाय/नगर पंचायत को सूचित किये बगैर किसी गैर अनुज्ञति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्ति से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा और पृथक अपशिष्ट को पंचायत द्वारा निर्धारित यूजर चार्जेज जमा कर नियोजित अपशिष्ट संग्रहण अधिकरण को सौपेगा।

12– मार्ग विक्रेता जिसके अन्तर्गत फेरीवाला, गली की लेन, सार्वजनिक पार्कों, सार्वजनिक स्थानों या प्राइवेट स्थानों पर अस्थाई निर्मित संरचना पट या घूम-घूम कर व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं को उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के निपटान हेतु ढक्कन युक्त कूड़ा पात्र रखना होगा।

13– कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत द्वारा स्थापित अपशिष्ट कूड़ेदान के बाहर नहीं फेंकेगा। निर्धारित कूड़ेदान में निर्धारित अपशिष्ट डालेगा।

14– पशुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थालों अथवा शहर के किसी अन्य स्थान के आस पास घूमने नहीं दिया जायेगा इसका अधिकृत क्षेत्र/स्थल पर ही प्रबन्ध करना होगा।

15– कोई भी व्यक्ति अपने भवन संस्थान व्यापारिक प्रतिष्ठान से गन्दा पानी, कीचड़ पानी, नाईट स्वाइल, गोबर, मलमूत्र, दूषित जल अपने परिसर में किसी प्रकार एकत्रित नहीं करेगा न सार्वजनिक मार्गों एवं नालियों में बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषित हो व जन स्वास्थ को हानि होने की संभावना हो अथवा आवागमन में बाधक हो अन्यथा उसके विरूद्ध जुर्माना वसूल किया जा सकेगा एवं न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा।

16– कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेशी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक स्थानों इत्यादि पर नहीं डालेगा। नगर पंचायत को निर्धारित यूजर चार्जेज देकर उसका निपटान करायेगा।

17– नगर पंचायत सीमा के अन्दर खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों से पाँच सौ रुपये एवं पेशाब करने वाले व्यक्तियों पर सौ रुपये जुर्माना वसूला जायेगा। जिसकी अदायगी व्यक्तियों को तुरन्त करनी होगी।

18– यह कि माननीय उच्च न्यायालय की सुनवाई दिनांक 09 नवम्बर, 2016 व नगर विकास अनुभाग-5 के आदेश संख्या 3595/नौ-5-2016-29/201 दिनांक 08 नवम्बर 2016 के अनुपालन में सड़क के किनारे भवन निर्माण अवशेष रखने पर रु0 50,000.00 का आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा।

19– कोई भी व्यक्ति/निवासी सरकारी भवनों, चौराहों एवं दीवारों व गेटों पर निजी या व्यापारिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर व स्लोगन नहीं लिखायेगा।

घर-घर कचरा संग्रहण योजना के तहत घर-घर कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार दरें तय की जाती है–

क्रम सं0	उपभोक्ता की श्रेणी	यूजर चार्ज (उपभोक्ता द्वारा) प्रतिमाह नगर पंचायत भारतगंज क्षेत्र/प्रतिमाह
1	2	3
		रु0
1	गेस्ट हाउस	500.00
2	हॉस्टल	400.00
3	व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, होटल रेस्टोरेंट।	500.00
4	नर्सिंग होम (50 बेड तक)	1,500.00
5	नर्सिंग होम (50 बेड से अधिक)	3,000.00
6	छोटे उद्योग (10 किलो कूड़ा प्रतिदिन)	500.00

1	2	3
		रु0
7	गोदाम, कोल्ड स्टोर (कूड़ा)	1,000.00
8	बारातघर, धर्मशाला (3000 वर्ग मीटर तक)	1,500.00
9	बारातघर, धर्मशाला (3000 वर्ग मीटर से अधिक)	4,000.00
10	दो पहिया वाहन एजेन्सी	300.00
11	चार पहिया वाहन एजेन्सी	500.00
12	व्यावसायिक काम्पलेक्स अथवा मार्केट	1,000.00
13	माल	1,500.00
14	रिहायशी मकान (डोर-टू-डोर कलेक्शन)	50.00
15	हलवाई, चाट, पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस सब्जी एवं फूट आदि ठेला व्यवसायियों पर	100.00
16	निजी खाली प्लाट पर पड़े कूड़े करकट की सफाई हेतु (3000 वर्गफीट) तक।	2,000.00

नगर पंचायत की शक्ति–

1– नगर पंचायत क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्टों या कूड़ा-करकट फैलाना प्रतिषेध होगा यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, मार्गों, निजी खुले स्थानों, पार्कों, पानी के श्रोतों इत्यादि पर गंदगी कूड़ा, करकट फैलाते व रखते पाया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी जो निरीक्षक के स्तर से कम का नहीं हो अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारी संलग्न अनुसूची-अ मे घोषित/समय पर निकाय द्वारा निर्धारित जुर्माना (केंरिग चार्जेज) ऐसे दोषी व्यक्तियो से मौके पर ही वसूल करने मे सक्षम होगा।

2– नियम को लागू कराने हेतु जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इसे सख्ती से लागू कराया जायेगा। लागू कराने मे असक्षम/लापारवाही/असमर्थ कर्मचारी के विरूद्ध नगर पालिका अधिनियम, 1916 में उल्लेखित नियमों के अधीन सख्त कार्यवाही का अधिकार प्रधिकारी को होगी।

''अनुसूची-अ''

उपविधियों के उल्लंधन मे किये गये कृत्यों के लिए निर्धारित कैरिंग चार्ज

क्रम सं0	कृत्य	धनराशि प्रतिदिन
1	2	3
		रु0
1	रिहायाशी भवनों के निवासियों	100.00
2	दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर	500.00
3	रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा खुला कचरा डालने पर	1,000.00
4	होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर	1,50000
5	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर	5,000.00
6	हलवाई, चाट, पकौड़ी, फास्ट फूड,आइसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस, सब्जी एवं फूट आदि ठेला व्यवसायियों पर	100.00
7	सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने वालों पर	100.00

1	2	3
		रु0
8	गोबर सार्वजनिक स्थान पर डालने पर	500.00
9	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलवा, निर्माण सामग्री ईट, सीमेन्ट लोहा , पत्थर सरकरी भूमि पर डालने पर।	1,000.00
10	निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर पंचायत सड़कों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	2,000.00
11	सरकारी भवनों, चौराहों एवं दीवारों व उनके गेटों पर निजी वणिज्यि प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने,स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)	2,000.00
12	बिना सक्षम स्वीकृति के रोड कटिंग करने पर	5,000.00
13	अपने मकानों का गन्दे पानी का निकास आम सड़कों पर करने पर	1,000.00
14	अपने मकानों भवन का सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर	5,000.00
15	क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसाइयों द्वारा अपने व्यवसाय का कचरा एकत्रित रखने के निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नही रखने पर।	1,000.00
16	दुकान अथवा ठेला व्यवसाइयों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साईकिल रिपेरिंग कर आयल मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर।	1,000.00
17	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियां मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क पर व आम रास्ते/रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर।	2,000.00
18	आम रास्ता सड़क व मकान के सामने गाय, भैस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊंट गधा, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर।	500.00
19	शादी/विवाह स्थलों के बाहर कचरा डालने पर।	
20	आम रास्ता सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुले आम मांस-मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गंदगी फैलाने पर।	2,500.00
21	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी पर।	200.00
22	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि	200.00
23	दुकानदारों अथवा व्यवासायिक द्वारा आम सड़क अथवा जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर।	5,000.00 अपविधियों का लगातार उल्लघंन करने पर अभियोजना भी चलाया जा सकेगा।
24	आम रास्ता सड़क फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर।	1,000.00
25	प्राईवेट अस्पताल,नर्सिग होम क्लीनिक जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर।	2,000.00
26	खुले मे शौच जाने पर	500.00

नोट– करों/शुल्कों/जुर्माना निर्धारित समय सीमा पर न जमा करने पर इसकी वसूली भू-राजस्व की भांति की जायेगी।

(ह0) अस्पष्ट,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत भारतगंज,
प्रयागराज।

कार्यालय, नगर पंचायत भारतगंज, जनपद प्रयागराज

अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण नियमावली 2024

24 जून, 2024 ई0

सं0 1468/न0पं0भा0/2023-24–उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 (1) (XI V-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत भारतगंज प्रयागराज के नगर पंचायत भारतगंज सीमा क्षेत्रान्तर्गत में अचल सम्पत्ति को हस्तान्तरण के विलेखों पर कर लगाने हेतु जो नियमावली बनायी गयी है उसका प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 131(3) की अपेक्षानुसार सम्बन्ध व्यक्तियों की सूचना के लिये प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली की धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है, तद्क्रम में नगर पंचायत भारतगंज द्वारा बोर्ड दिनांक 07 मार्च, 2024 प्रस्ताव संख्या 04 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तद्क्रम में दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला दिनांक 21 जुलाई 2024 एवं आज 23 जुलाई 2024 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया, निर्धारित समयावधि 30 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 10 सितम्बर 2024 के प्रस्ताव संख्या 19 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

नियमावली

1– संक्षिप्त शीर्ष

नाम प्रारम्भ प्रवृत्ति–

(क)– यह नियमावली नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर नियमावली कहलायेगी।

(ख)– यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगी जब तक नगर के भीतर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखों पर कर लगाया जाय।

(ग)– यह नगर पंचायत भारतगंज, में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समस्त विलेखों पर प्रवृत्त होगी।

2– परिभाषायें– विषय प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली मे–

(क)– अधिनियम का तात्पर्य नगर पंचायत अधिनियम, 1916 (यू0पी0 एक्ट संख्या-2 सन् 1916) से है।

(ख)– शुल्क का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 (ऐक्ट संख्या 2, 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी विलेख पर लगाये शुल्क से है।

(ग)– इण्डियन स्टाम्प एक्ट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट,1899 (ऐक्ट संख्या 2,1899) से है।

(घ)– नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज से है।

(ड़)– अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत भारतगंज, के अधिशासी अधिकारी से है।

(च)– कर का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (XI V-ख) के अधीन लगाये गये कर से है।

3– नगर पंचायत के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी विलेख पर इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा भाग बन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत धनराशि पर 2 प्रतिशत के दर से बढ़ाकर किया जायेगा।

4– कर लगाने की प्रक्रिया– उक्त वृद्धि के फलस्वरूप उगाही गयी समस्त धनराशि प्रासांगिक व्ययों को, यदि कोई हो, काट लेने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत को निम्नलिखित रीति सेअदा की जायेगी।

1– अब कभी नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हसतान्तरण का कोई दस्तावेज निबन्धन के लिये प्रस्तुत किया जाये तो निबन्धन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा-27 में निर्दिष्ट ब्यौरे– निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् दिये गये है–

(क)– नगर के भीतर स्थित सम्पत्ति।

(ख)– नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति।

2– यदि ऐसे ब्यौरे दस्तावेज में पृथक्-पृथक् दिये गये हो तो निबन्धन अधिकारी उसे कलेक्टर को अधिनियम धारा 128क की उपधारा (4) धारा नगर पालिकाओं पर यथा प्रवृत्त इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट की धारा 64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिखे भेजेगा।

5– करके लेखे रचना– निबन्धक अधिकारी भारतगंज प्रयागराज प्रत्येक दस्तावेज के सम्बन्ध पृथक्-पृथक लेखे रखेगा, जिसमे शुल्क व कर दिखायेगा।

6– निबन्धन अधिकारी– जो दीवानी न्यायालय द्वारा दिये गये विक्रय के प्रमाण-पत्रों को प्रतिलिपियां प्राप्त कर और इण्डिय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1908 (ऐक्ट संख्या 16,1998) 89 के अधीन उन्हे अपनी पुस्तक संख्या 1 में नत्थी करें तथा राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का उसी प्रकार लेखा रखेगा।

7– निबन्धक अधिकारी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में पृथक-पृथक तिमाही विवरण-पत्र तैयार करेगा जिसमें वह शुल्क और कर के रूप में वसूली की गयी धनराशि और उसे जिला निबन्धक को उक्त प्रत्येक महीने के पांचवे दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

1– निबन्धक महानिरीक्षक, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2– कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3– अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भारतगंज प्रयागराज।

4– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

8– नगर पंचायत भारतगंज की ओर से उगाही कर की धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों को जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेगें, काट लेने के पश्चात् तिमाही के अन्त में नगर पंचायत भारतगंज को लौटा दी जायेगी प्रतिदिन की धनराशि प्राप्त करने के लिये अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भारतगंज प्रत्येक तिमाही के कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद की फाइनैन्शियल हैण्ड बुक खण्ड-1 भाग-1 के प्रपत्र संख्या में एक बिल प्रस्तुत करेगी। कनिष्ठ सचिव द्वारा बिल स्वीकृत किये जाने के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को लौटा दी जायेगी जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदिन की धनराशि प्राप्त करेगी।

9– (1)– नगर पंचायत की ओर से उगाही गयी कर की धनराशी ऐसे प्रासंगिक व्यायों जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जावें काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगर पंचायत को लौटा दी

जायेगी, प्रतिवान की धनराशि प्राप्त करने के लिये अधिशासी अधिकारी प्रत्येक तिमाही में कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को फाईनेन्शियल हेड बुक खण्ड-5 भाग के प्रपत्र संख्या 19 में दो प्रतियों में एक बिल प्रस्तुत करेगा, कनिष्ठ सचिव द्वारा बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदान का धनराशि प्राप्त करेगा।

(2)– नगर पंचायत भारतगंज, निबन्ध और स्टाम्प विभाग के कर्मचारियों को ऐसा मासिक/परिश्रामिक का भुगतान भी करेगा, जो नगर पंचायत के पश्चात् के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करें।

10– अभिलेखों का निरीक्षण– अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ उपविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किये बिना कर की उगाही और नगर पंचायत को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबन्धन कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता हैं।

(ह0) अस्पष्ट,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत भारतगंज,
प्रयागराज।

कार्यालय, नगर पंचायत भारतगंज, जनपद प्रयागराज

वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली, 2024

24 जून, 2024 ई0

सं0 1468/न0पं0म0/बायलॉज/2022-23–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(1) (2) सूची (1) खण्ड ज के भाग ख के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज ने अपनी बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2023 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली-2024 बनायी है, प्रस्तावित उपरोक्त नियमावली की धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है, तद्क्रम में नगर पंचायत भारतगंज द्वारा बोर्ड दिनांक 07 मार्च, 2024 प्रस्ताव संख्या 04 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तद्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला दिनांक 21 जुलाई 2024 एवं आज 23 जुलाई 2024 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया, निर्धारित समयावधि 30 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 10 सितम्बर 2024 के प्रस्ताव संख्या 19 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

1– शीर्षक– यह उपविधि न0पं0 भारतगंज प्रयागराज वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली, 2024 कहलायेगी।

2– प्रकृति– यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3– परिभाषायें– विषय का प्रयोग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इन उपविधियों से है।

(क)– ''नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत, भारतगंज जनपद प्रयागराज।

(ख)– ''नगर पंचायत की सीमाओं का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा है।

(ग)– ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत भारतगंज के अधिशासी अधिकारी से है।

(घ)– '' अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज के उपजिलाधिकारी/प्रशासक से है।

(ड़)– '' अधिनियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(च)– ''वाहनों'' से तात्पर्य नगर पंचायत, भारतगंज प्रयागराज की सीमा से गुजरने वाले भार से लदे/सवारी ढोने वाले वाहनों से है।

(ज)– ''नाका बैरियर'' से तात्पर्य नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज के नाका बैरियर से है।

(झ)– ''सड़क/पटरियों'' का तात्पर्य नगर पंचायत भारतगंज की सीमा अन्तर्गत आने वाले मार्गो प्रान्तीय एवं नगर की सड़क पटरियों से है।

4– शुल्क का विवरण अधिरोपण एवं संग्रह– नगर पंचायत, भारतगंज प्रयागराज की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करते वाहनों ट्रक/ट्रैक्टर मय ट्राली, डी0सी0एम0 ट्योटा जो व्यवहारिक दृष्टि से चलते है, मोटर लारी रोडवेज, स्टोर वाहन, टाटा सूमो, मार्शल, टैक्सी, मेटाडोर, जीप भारी वाहन, बस/अन्य डीजल/पेट्रोल/ गैस/इलेक्ट्रॉनिक/बैट्री से चलने वाले वाहनों जो व्यापारिक समान उतारने-चढ़ाने एवं ठहराने वाले वाहनों को नियन्त्रित करने हेतु उपविधि बनायी गई है, जिन पर यह शुल्क लागू होंगें।

5– नगर पंचायत भारतगंज प्रयागराज की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करने वाले वाहन चालक इन नियमों से अपने को नियन्त्रित समझेगा क्योंकि वह प्रान्तीय अथवा नगर पंचायत सड़कों एवं अन्य वाहनों जो नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करते हो की सड़कों एवं पटरियों का प्रयोग करते हो, वही वाहन चालक अपने वाहनों को तब तक नगर पंचायत, भारतगंज की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा जब तक देय शुल्क का भुगतान न कर दे। यह शुल्क मोहर्रिर/नायब राजस्व मोहर्रिर/ठेकेदार को दिया जायेगा। जहां पर नगर पंचायत, भारतगंज प्रयागराज निश्चित करेगी।

6– प्रत्येक वाहन चालक अपने वाहन निर्धारित स्थल या नगर की सीमा में किसी स्थान पर माल उतारने, चढ़ाने एवं सवारियां उतारने-चढाने एवं ठहरने वाले वाहनों से मोहर्रिर/नायब राजस्व मोहर्रिर/ठेकेदार जैसी स्थित हो उनसे शुल्क वसूल कर रसीद दे सकें।

7– इस प्रकार की रसीद प्राप्त करने वाला व्यक्ति नगर पंचायत भारतगंज प्रयागराज के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी तथा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के द्वारा मांगे जाने पर रसीद दिखाने के लिए बाध्य होगा एवं दिखलायेंगे जो जॉचोपरान्त उसे विधिवत वापस कर दिया जायेगा।

8– नगर पंचायत भारतगंज के उपजिलाधिकारी प्रयागराज/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि निर्धारित स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने परन्तु ऐसा करने के लिए कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचना जारी करनी होगी।

9– यदि कोई वाहन बिना शुल्क अदा किये नगर पंचायत, भारतगंज की सीमा के अन्दर पाया गया तो अधिशासी अधिकारी/उपजिलाधिकारी भारतगंज/प्रशासक या उसके द्वारा अधिकृत जॉच अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति से निर्धारित शुल्क का कम चार गुना और अधिक से अधिक 20 गुना दण्ड के रूप में दण्ड वसूल कर रसीद देगा।

10– यह कोई भी वाहन बगैर शुल्क अदा किये भाग जाने पर चालक का पूरा पता अथवा गाड़ी नम्बर जो भी हो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कानूनी कार्यवाही का अधिकार होगा।

11– यह कि नगर पंचायत चाहे तो वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क की वसूली का वार्षिक अथवा उसके किसी भाग का ठेका दे सकती है ऐसी स्थिति में ठेकेदार निर्धारित दरों पर शुल्क वसूल कर रसीद नियमानुसार जारी करेगा तथा पार्किंग शुल्क अवशेष होने पर पार्किंग शुल्क की वसूली भू-राजस्व भांति की जा सकेगी।

शुल्क से मुक्ति

12– निम्न वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क से मुक्त होंगे।

(क)– मृत पार्टी ले जाने वाले समस्त वाहन या एम्बुलेंस।

(ख)– सरकारी कर्मचारियों के सीमानान्तरण पर उनका घरेलू समान जो किसी भार वाहन पर हो किन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जावे, जो मॉगने पर दिया जावें।

(ग)– अन्य सरकारी वाहन (रोडवेज को छोड़कर) जो सरकारी ड्यूटी पर हो किन्तु प्रतिबन्ध यह है, कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाये।

(घ)– नगर सीमा के अन्दर बिना रूके सीधे जाने वाले वाहन।

प्रतिबन्ध

13– नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज की सीमा में प्रवेश करने वाले तिपहिया, बस टेंम्पो, टू-सीटर एवं विक्रम नगर के अन्दर के अन्दर चलने वाले ऑटो रिक्शा एवं थ्री-व्हीलर की निम्नलिखित स्थान पर खड़े होने एवं सवारी उतारने एवं चढ़ाने हेतु निर्धारित किये जाते है।

(क)– बस स्टैण्ड चौराहा।

(ख)– सत्तार सेठ मोड़।

14– कोई भी प्राइवेट बस, लारी, मिनी बस, जीप, टैक्सी, टैम्पों इत्यादि जो सवारियां ढोती है वह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस स्टैण्ड से 1 किमी0 परिधि में सवारी उतारने व चढ़ाने हेतु न तो गाड़ी पार्किंग करेगा और न ही सवारी भरेगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड का भागी होगा।

15– अध्यक्ष, नगर पंचायत, भारतगंज, प्रयागराज को यह अधिकार होगा कि किसी भी विवाद के उल्लघंन होने पर उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा उपनियम के किसी भी धारा में आवश्यक पड़ने पर संशोधन करने का अधिकारी होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निर्धारित स्थान से आगे शहरी आवादी में प्रतिबन्धित गाड़ियों को अनुमति नहीं दी जायेगी।

शुल्क का विवरण

16– नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज की सीमा में प्रवेश एवं ठहरने वाले वाहनों से निम्न सारणी के अनुसार शुल्क वसूली करेगी।

1.	प्रत्येक मोटर, मोटर लारी, बस (रोडवेज प्राइवेट बस), ट्रक तथा अन्य डीजल अथवा पेट्रोल से चलने वाले वाहन आदि	रु0 50.00 प्रति चक्कर (परन्तु एक दिन के लिये रु0 100.00 प्रतिदिन)
2.	ट्रैक्टर ट्राली	रु0 20.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु0 50.00)
3.	मिनी बस, छोटा ट्रक, मेटाडोर इत्यादि	रु0 30.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु0 70.00)
4.	टैक्सी, मार्शल जीप, टैम्पो इत्यादि	रु0 25.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु0 60.00)
5.	तांगा, ई-रिक्शा	रु0 5.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु0 20.00)

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत भारतगंज, प्रयागराज यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो रु0 1,000.00 तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

(ह0) अस्पष्ट,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत भारतगंज,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम श्री देवी पत्नी स्वर्गीय लज्जाराम यादव है जो कि मेरे पति के सेवा से सम्बन्धित अभिलेख में, बैंक पासबुक, निर्वाचन कार्ड तथा उप जिलाधिकारी द्वारा जॉच आख्या में अंकित है। मेरे आधार कार्ड संख्या–3720 5031 3523 में मेरा नाम सावन श्री पत्नी श्री लज्जाराम हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम श्री देवी पत्नी स्वर्गीय लज्जाराम यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

श्री देवी,
पत्नी स्व0 लज्जाराम यादव,
पता–71, बी, फ्रेंड़स कॉलोनी, इटावा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिवांश यादव पुत्र शम्भुनाथ यादव है जो कि मेरे सभी शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या–2091 9909 5159 में मेरा नाम गुड्डू यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिवांश यादव पुत्र शम्भुनाथ यादव के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिवांश यादव,
पुत्र शम्भुनाथ यादव,
निवासी–पटखौली, आलमगंज,
कुश मरियहून, जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयुष कुमार पुत्र भारत लाल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटि वश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–9165 3850 7352 में उसका नाम यश कुमार हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आयुष कुमार पुत्र भारत लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

भारत लाल,
ग्राम–लाहुरपार बमरौली उपरहार,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पिंकी पाण्डेय पुत्री शशिभूषण उपाध्याय पत्नी मनीष पाण्डेय है जो मेरे स्टेट बैंक पासबुक व परिवार रजिस्टर में अंकित है तथा उप जिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–3096 0581 2523 में मेरा नाम प्रियंका देवी अंकित हो गया है जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पिंकी पाण्डेंय पुत्री शशिभूषण उपाध्याय पत्नी मनीष पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पिंकी पाण्डेय,
पत्नी मनीष पाण्डेय,
ग्राम महुआर बसगीतिया, पोस्ट कसारा,
इन्दारा, थाना कोपागंज, तहसील मऊ,
जिला मऊ,उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा, मेरी पत्नी तथा मेरे पुत्र का सही नाम क्रमशः गिरिजेश राय (GIRIJESH RAI), रीना देवी (REENA DEVI), तथा आशीश राय (ASHISH RAI) है जो हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड में अंकित हैं। तथा मेरे पुत्र के आधार कार्ड में भी अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के हाईस्कूल के अंक प्रमाण–पत्र में (अनुक्रमांक–23122605) में क्रमशः मेरा, मेरी पत्नी तथा मेरे पुत्र गिरजेश राय (GIRIJESH RAI), रीना देवी (REENA RAI), तथा आशीश कुमार राय

(ASHISH KUMAR RAI) अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

गिरिजेश राय,
पता–सीसोटार, बलिया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु0 आभा चन्द्रा (KM. ABHA CHANDRA) पुत्री राज कुमार चन्द्रा है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या–9796 0489 5146 में मेरा नाम KU. ABHA CHANDRA हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु0 आभा चन्द्रा (KM. ABHA CHANDRA) पुत्री राज कुमार चन्द्रा के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एत्तद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कु0 आभा चन्द्रा,
पुत्री राज कुमार चन्द्रा,
निवासिनी– 264/76/3बी तेलियरगंज,
थाना–शिवकुटी, जनपद–प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आराध्य मिश्रा पुत्र पवन कुमार मिश्रा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड में अंकित है मैने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम आराध्य मिश्रा से बदलकर आदर्श मिश्रा रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को आदर्श मिश्रा पुत्र पवन कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पवन कुमार मिश्रा,
निवासी–568/ख 139, गीमापल्ली,
एम0जी0ट्रेडर्स आलमबाग, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम समर प्रताप सिंह पुत्र उपेंद्र प्रताप सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–3485 8401 1118 में उसका नाम शेखर मयंक सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम समर प्रताप सिंह पुत्र उपेन्द्र प्रताप सिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

उपेन्द्र प्रताप सिंह,
ग्राम सहाब अतेरू, पोस्ट धनगढ़,
तहसील कुण्डा प्रतापगढ।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम KHWAJA NAJAMUDDIN पुत्र सालिक है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–7655 5654 4014 में उसका नाम NAJAM अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम KHWAJA NAJAMUDDIN पुत्र सालिक के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सालिक,
निवासी–C11/28 पितर कुण्डा,
वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम देवांश अग्रहरि पुत्र अशोक कुमार है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 6785 1995 1392 में उसका नाम आयूष कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम देवांश अग्रहरि पुत्र अशोक कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अशोक कुमार ,
सुत गंगा प्रसाद,
पाइकगंज परसई परियावॉ,
कुण्डा प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कामिनी देवी है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के हाईस्कूल के अंक प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक-23264856/2024) में मेरा नाम कामिनी अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कामिनी देवी,
पत्नी शिव बहादुर सरोज,
नि0 पुर्विया पट्टी, प्रतापगढ़ सिटी,
जनपद-प्रतापगढ़ उ0प्र0।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–6698 3538 6377 में उसका नाम त्रुटिवश शौर्य कुमार चौबे अंकित हो गया है जबकि उसके शैक्षिक अभिलेख में उसका सही नाम ध्रुव चौबे पुत्र स्व0 निर्भय कुमार चौबे पत्नी रिंकू चौबे है। भविष्य में उसे ध्रुव चौबे के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रिंकू चौबे,
पता–रामदहिनपुरम् तिखमपुर,
बलिया–उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता तथा पिता का सही नाम क्रमशः कुसुम तथा अंजनी कुमार गुप्ता है, जो उनके आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक 23108116/2022 में माता तथा पिता का नाम क्रमशः कुसुम देवी तथा अंजनी मोदनवाल हो गया है जो कि गलत है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

वंश मोदनवाल,
पुत्र अंजनी कुमार गुप्ता,
ग्राम कनकपुर मया बाजार,
जिला–अयोध्या।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुनीता देवी है जो मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के हाईस्कूल के अंक पत्र अनुक्रमांक 23266225 में मेरा नाम सुनीता यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरा सही नाम सुनीता देवी ही जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुनीता देवी,
ग्राम व पोस्ट दुमदुमा,
तहसील हंडिया, जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम टरकोइज चन्द्रा पुत्र कालीचन्द है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या– 3225 0944 1898 में मेरा नाम नवीन कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम टरकोइज चन्द्रा पुत्र कालीचन्द के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

टरकोइज चन्द्रा पुत्र कालीचन्द,
निवासी–18/52 तारून,
पोस्ट–तारून बेलगारा,
जिला फैजाबाद/अयोध्या।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शैलेश पुत्र नरेश है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या–5175 2955 6959 में मेरा नाम शैलेन्द्र कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे सही नाम शैलेश पुत्र नरेश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शैलेश ,
पता–सौरा मलवा, फतेहपुर,
जनपद फतेहपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्री का सही नाम प्रियांशु मिश्रा पुत्री विनोद कुमार मिश्रा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड संख्या–2519 8775 6853 में उसका नाम प्रिंसी मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रियांशु मिश्रा पुत्री विनोद कुमार मिश्रा (Priyanshu Mishra) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनोद कुमार मिश्रा,
ग्राम–मैना गोसाई, पोस्ट दुबार कलां,
लालगंज मिर्जापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम दिव्यांश मौर्य पुत्र मनोज कुमार है जो कि उनके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–9366 3357 6164 में उसका नाम अंशुमान अंकित हो गया है जो कि गलत हैं मेरे पुत्र को उसके सही नाम दिव्यांश मौर्य पुत्र मनोज कुमार, के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मनोज कुमार,
पिता– दिव्यांश मौर्या,
पता– ग्राम व पोस्ट धर्मापुर,
जनपद–जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम चैसमिन कौर अहूजा पुत्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहूजा है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या–6652 6467 6533 में उसका नाम रिजक कौर अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम चैसमिन कौर आहूजा पुत्री सुरेन्द्र जीत सिंह आहूजा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुरेन्द्र जीत सिंह आहूजा,
पता–413 विवेक नगर,
जनपद–प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयुष्मान गुप्ता (AYUSHMAN GUPTA) पुत्र राधेश्याम गुप्ता है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–2258 0930 2595 में उसका नाम अंशुमान गुप्ता अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अयुष्मान गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राधेश्याम गुप्ता,
स्व0 खूबलाल,
निवासी ग्राम व पोस्ट राजधानी,
थाना झंगहा जनपद गोरखपुर,
वर्तमान पता– थाना कोतवाल,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनुष्का गुप्ता (ANUSHKA GUPTA) पुत्री राधेश्याम गुप्ता है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या–9374 3282 9641 में उसका नाम अंकिता गुप्ता अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनुष्का गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राधेश्याम गुप्ता,
स्व0 खूबलाल,
निवासी ग्राम व पोस्ट राजधानी,
थाना झंगहा जनपद गोरखपुर,
वर्तमान पता– थाना कोतवाल,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मोहित शर्मा पुत्र संजय शर्मा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–4583 5965 9532 में उसका नाम गुनगुन शर्मा अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मोहित शर्मा पुत्र संजय शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संजय शर्मा,
पुत्र स्व0 सुरेश शर्मा,
पता–रामपुर महावल,
पो0 खोरीपाकड़, तहसील व जिला बलिया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुभाष चन्द दूबे (Subhash Chand Dubey) पुत्र धर्मध्वजा प्रसाद दूबे है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, और मेरे डिस्चार्ज बुक में अंकित है। त्रुटिवश मेरे P.P.O. नंबर 204200000810 में मेरा नाम Subash Chand Dubey अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुभाष चन्द दुबे (Subhash Chand Dubey) पुत्र धर्मध्वजा प्रसाद दूबे के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुभाष चन्द दूबे,
ग्राम व पो0 मुजेहरा,
चिल्ह मीरजापुर उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजेन्दर सिंह पुत्र श्री जैमल सिंह है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर सर्टिफिकेट के फोलिया नं0 102671158 में मेरा नाम राजेन्दर सिंह पोपली अंकित हो गया है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजेन्दर सिंह पुत्र श्री जैमल सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजेन्दर सिंह,
पता–प्रकाश नगर,
कैनाल रोड रायबरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा सही नाम रज्जन (RAJJAN) पुत्र मुन्नी लाल (MUNNI LAL) नि0-124 आदर्श कालोनी है जो अस्पताल अल्लापुर प्रयागराज के आवंटित भवन सं0 124 व विद्युत बिल तथा उपजिलाधिकारी जांच रिपोर्ट में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–2985 8645 7856 में मेरा नाम फूलचन्द्र कनौजिया (PHOOL CHANDRA KANUVJIYA) पुत्र मुन्नी लाल (MUNNILAL) अंकित है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रज्जन पुत्र मुन्नी लाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रज्जन,
पुत्र मुन्नी लाल,
नि0–124 आदर्श कालोनी,
हैजा अस्पताल, अल्लापुर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रिंशिका भारतीया पुत्री नरेश कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 3184 3744 4231 में उसका नाम शालू भारतीया अंकित हो गया है। जो कि घरेलू नाम है।

भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रिशिका भारतीया पुत्री नरेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनीता देवी,
पता–हथिगन, पोस्ट–पुरवाखास करछना,
जिला प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मीना देवी पत्नी स्व0 राजेन्द्र प्रसाद है, जो मेरे निर्वाचन कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–9021 3415 6171 में मेरा नाम मीना देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मीना देवी पत्नी स्व0 राजेन्द्र प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मीना देवी,
पत्नी स्व0 राजेन्द्र प्रसाद,
7ए, बैंक रोड कटरा प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम Mohammad Yusuf पुत्र Merajuddin Ahmad है। जो कि मेरे सभी शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–9699 3891 6838 में मेरा नाम Zaheer Uddin Mohammad Yusuf अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम Mohammad Yusuf पुत्र Merajuddin Ahmad के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

Mohammad Yusuf,
Add-102, Azad Nagar,
Pratapgarh, Hospital Ward. U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता तथा पिता का सही नाम क्रमशः नीतू सिंह तथा शिवसागर सिंह है, जो उनके आधार, पैन तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल प्रमाण पत्र अनुक्रमांक 5023342/2019 में माता का नाम सीमा सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। तथा इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक 23712763/2021 में पिता का नाम शिव सागर अंकित हो गया है जो गलत है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

वंदना सिंह,
पुत्री शिव सागर सिंह,
ग्राम हसनपुर पो0 सोरों (उग्रसेनपुर),
जिला–प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बंशलाल है। जो मेरे वाहन आर0सी0, खतौनी, बैंक पासबुक व पहचान पत्र में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं0 9555 0075 9269 में मेंरा नाम सतेन्द्र अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बंश लाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बंशलाल
निवासी–ग्राम ढोडियाही कोराई,
फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आलोक मौर्या पुत्र श्याम बिहारी मौर्या है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–2210 0049 5589 में उसका नाम अनिरूद्ध कुमार मौर्या (ANIRUDDH KUMAR MAURYA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आलोक मौर्या (ALOK MAURYA) पुत्र श्याम बिहारी मौर्या (SHYAM BIHARI MAURYA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

श्याम बिहारी मौर्या,
पता–ग्राम अगरसण्डा,
पोस्ट–बलिया, जिला-बलिया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राम कुमार पुत्र अमरनाथ है। जो कि मेरे सरकारी दस्तावेजों, बैंक पासबुक, पेंशन कार्ड़ एवं पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–9136 9215 7924 में मेरा नाम राजकुमार सविता अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राम कुमार पुत्र अमरनाथ के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राम कुमार पुत्र अमरनाथ,
288 हाथीपुर, महाराजपुर,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आनंद कुमार गुप्ता पुत्र राजेश कुमार गुप्ता है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश पॉलिसी सं0–230987489 में मेरा नाम आकाश कुमार गुप्ता अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आनंद कुमार गुप्ता पुत्र राजेश कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आनंद कुमार गुप्ता,
पुत्र राजेश कुमार गुप्ता,
निवासी–33 सी0 यशोदा नगर,
किदवई नगर कानपुर नगर।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 किसान कोल्ड स्टोरेज, हाथरस जलेसर रोड़, गांव बलना पोस्ट गढ़ी बलना जिला हाथरस उ0प्र0 के भागीदार/विद्यान में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह कि उपरोक्त फर्म में श्री भगत सिंह पुत्र श्री रघुराज सिंह निवासी– कोठी नं0–2, मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर, दिनांक 30 जनवरी, 2025 से नये भागीदार के रूप में समिमलित हुये हैं तथा दिनांक 31 मार्च, 2025 से फर्म के पूर्व भागीदार श्री पुष्पेन्द्र सिंह सिकरवार पुत्र श्री गोपाल सिंह सिकरवार निवासी– प्रगतिपुरम, सादाबाद जिला हाथरस उ0प्र0 तथा श्री नीरज प्रताप सिंह पुत्र श्री सुरेश बाबू निवासी– ढ़रकाई पोस्ट कोका जिला हाथरस अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये है। अब उक्त फर्म का संचालन श्री प्रमोद सिंह व श्री भगत सिंह द्वारा किया जा रहा है।

प्रमोद सिंह,
भागीदार,
मे0 किसान कोल्ड स्टोरेज,
हाथरस जलेसर रोड़, गांव बलना,
पोस्ट गढ़ी बलना, जिला हाथरस, उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे0 त्रिकोण, 174 बालूगंज, आगरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह कि दिनांक –21 अप्रैल, 2025 को फर्म की साझेदार पुष्पा राजपूत पुत्री श्री शिवराज सिंह राजपूत निवासी–166 सी पॉकेट सी सिद्धार्थ एक्सटेन्शन नई दिल्ली उक्त फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गयी है। अब फर्म में शाहिना खान, मानसी अग्रवाल साझेदार है।

शाहिना खान,
साझेदार, मे0 त्रिकोण, 174 बालूगंज,
आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै श्रीमती भुवन कपूर साझेदार मेसर्स महालक्ष्मी शुगर इंडस्ट्रीज पता–ग्राम तिहार, तहसील महोली, सीतापुर, 262701 विधान में परिवर्तन की सूचना देती हूँ। पहले फर्म में श्री अंकित अग्रवाल, श्री अतुल अग्रवाल, श्री हुकुम चंद्र अग्रवाल, श्रीमती भुवन कपूर, श्री संजय अग्रवाल, श्री संदीप अग्रवाल, श्री पीयूष अग्रवाल, श्री नितिन अग्रवाल, श्री यश गुप्ता, श्री मयंक कपूर, श्री निहाल गुप्ता एवं श्री प्रणय कपूर गुप्ता कुल 12 साझेदार थे। फर्म में जिसमें से श्री अंकित अग्रवाल, श्री संजय अग्रवाल, श्री यश गुप्ता, श्री निहाल गुप्ता, एवं श्री प्रणय कपूर कुल 5 साझेदार फर्म की भागीदारी से स्वेच्छा से अलग हो गये है। अब फर्म में श्रीमती बैशाली श्रेष्ठ जी एवं श्रीमती दीपा कपूर जी फर्म के साझेदार के रूप में सम्मिलित हो गयी है अब फर्म में कुल 9 ही साझेदार होंगे।

श्रीमती भुवन कपूर,
पार्टनर

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 उत्सव कन्सट्रकशन, बिहाइन्ड लक्ष्मी टाकीज बिलराम गेट कासगंज उपरोक्त फर्म में उत्सव मौर्य पुत्र श्री असीत कुमार मौर्य, श्री असीत मौर्य पुत्र श्री जग बहादुर सिंह, श्रीमती रितु मौर्य पत्नी श्री असीत कुमार मौर्य सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 को संचालन की थी दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 से श्री असीत कुमार मौर्य पुत्र श्री जग बहादुर सिंह अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये है दिनांक 01 मार्च, 2025 से श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री नत्थू लाल गुप्ता नये साझेदार के रूप में शामिल हो गयी है अब फर्म को उत्सव मौर्य, रितू मौर्य, श्रीमती मंजू देवी संचालित करेंगे।

उत्सव मौर्य,
साझेदार
मे0 उत्सव कन्सट्रकशन,
बिहाइन्ड लक्ष्मी टाकीज,
बिलराम गेट कासगंज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स–फ्रेश फूड किचन सर्विसेज, के–6, आशियाना, एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ 226012 रजि0 नं0–201915 का पंजीकरण दिनांक 15 सितम्बर, 2016 को कराया गया था एवं संशोधन 25 अक्टूबर, 2021 को कराया गया था, जिसमें जितेन्द्र सिंह भदौरिया प्रथम एवं आदित्य भदौरिया द्वितीय साझीदार थे, उक्त फर्म के प्रथम साझीदार जितेन्द्र सिंह भदौरिया का निधन दिनांक 10 मार्च, 2025 को हो गया है तथा उनके स्थान पर श्रीमती अर्चना सिंह निवासी–के –400 आशियाना कालोनी,

एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ उ0प्र0 226012 को दिनांक 22 अप्रैल, 2025 से शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में आदित्य भदौरिया प्रथम एवं अर्चना सिंह द्वितीय साझेदार के रूप में सम्मिलित है।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आदित्य भदौरिया,
साझेदार

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की फर्म मेसर्स आर0 एच0 कन्सट्रकशन्स पता– मोहल्ला नाहर खॉ सराय, कोर्ट रोड बदायूँ उत्तर प्रदेश 243601 जिसकी पंजीकरण सं0–बी 13870 है, (रजि0 दिनांक 19 मई, 2015) यह फर्म दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म में दो साझेदार 1. शैफर हुसैन पुत्र श्री राशिद हुसैन निवासी मोहल्ला नाहर खां सराय कोर्ट रोड़ बदायूं व 2. फहीमुद्दीन पुत्र श्री निजामुद्दीन निवासी मोहल्ला राज, चंदौसी संभल दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहे है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल चार साझेदार क्रमशः 1 राशिद हुसैन 2. शैरम हुसैन 3. शैफर हुसैन 4. फहीमुद्दीन साझेदार है।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राशिद हुसैन,
साझेदार

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स अन्तरिक्ष इन्फ्रा डेवलपर्स पता– 54 आकाशपुरम कॉलोनी पीलीभीत बाईपास रोड बरेली जिसकी पंजीकरण सं0– BAR/0000864 है। उपरोक्त फर्म दिनांक 25 जून, 2018 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है। उपरोक्त फर्म में एक नये साझेदार श्री प्रताप वीर सिंह पुत्र श्री इन्द्र वीर सिंह निवासीगण 54 आकाशपुरम कॉलोनी पीलीभीत बाईपास रोड बरेली दिनांक 22 जून, 2022 को पूर्व साझेदार की सहमति से व स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहे है व उपरोक्त नये साझेदार के सम्मिलित होने के पश्चात फर्म से साझेदार श्रीमती कविता सिंह पत्नी श्री श्योवीर सिंह निवासिनी 54 आकाशपुरम कॉलोनी पीलीभीत बाईपास रोड बरेली दिनांक 22 जून, 2022 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गयी है। सेवानिवृत्त साझेदार का फर्म पर व फर्म का सेवानिवृत्त साझेदार पर कोई बकाया शेष नही है। उपरोक्त फर्म में पुनः एक नया साझेदार श्रीमती प्रवेश पुत्री श्री यादराम सिंह निवासिनी 28 नदोसी बरेली दिनांक 01 फरवरी, 2025 को पूर्व साझेदार की सहमति से व स्वेच्छा से सम्मिलित हो रही है व उपरोक्त नये साझेदार के सम्मिलित होने के प्श्चात फर्म से साझेदार श्री प्रतीक सिंह पुत्र श्री प्रताप वीर सिंह 54 आकाशपुरम कॉलोनी पीलीभीत बाईपास रोड बरेली दिनांक 01 फरवरी, 2025 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्त साझेदार का फर्म पर व फर्म का सेवानिवृत्त साझेदार पर कोई बकाया शेष नही है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल दो साझेदार क्रमशः 1. श्री प्रताप वीर सिंह, 02. श्रीमती प्रवेश साझेदार है।

प्रताप वीर सिंह,
साझेदार,
मेसर्स अन्तरिक्ष इन्फ्रा डेवलपर्स,
पता– 54 आकाशपुरम कॉलोनी,
पीलीभीत बाईपास रोड बरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम माधवी तिवारी पत्नी अशोक तिवारी है। जो मेरे आधार कार्ड, हाईस्कूल अंक तालिका व पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश पॉलिसी सं0-233786097 में मेरा नाम संतोषी तिवारी अंकित हो गया है। जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम माधवी तिवारी पत्नी अशोक तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

माधवी तिवारी,
पत्नी अशोक तिवारी,
निवासिनी –55/41 पीपल वाली कोठी,
नयागंज जर्नलगंज कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मो0 हमद जियाद वयस्क पुत्र मो0 जमाल सिदद्की है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, बैंक पासबुक, आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित हैं। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0–232062722 में मेरा नाम बेबी सिदद्की अंकित हो गया है। जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मो0 हमद जियाद वयस्क पुत्र मो0 जमाल सिदद्की के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मो0 हमद जियाद,
वयस्क पुत्र मो0 जमाल सिदद्की,
निवासी–90/254 बी0 (5) ग्लोब रबर फैक्ट्री,
बैंक ऑफ बडौदा, इफ्तिखाराबाद,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S Bhatia Enterprises, D-41 Near Natraj Cinema Govind Nagar Kanpur Nagar 208006 पत्रावली सं0–KAP/0000754 दिनांक – 20 जुलाई, 2018 पर पंजीकृत है। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 13 नवम्बर, 2018 के अनुसार दीपक भाटिया व गौतम भाटिया साझीदार थे। पार्टनर गौतम भाटिया पुत्र स्व0 केदार नाथ भाटिया की मृत्यु दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को हो चुकी है संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 07 मार्च, 2025 के अनुसार तनिश भाटिया उम्र 19 वर्ष दीपक भाटिया निवासी डी–41 आदर्श विहार, गोविन्द नगर कानपुर नगर 208006 को शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में श्री दीपक भाटिया व श्री तनिश भाटिया साझीदार है।

दीपक भाटिया,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स कादरी कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री, पता बाकरपुर खण्डहर, बरेली रोड, बदायूँ उत्तर प्रदेश 243601 जिसकी पंजीकरण सं0–BUD/0010235 है (रजि0 दिनांक 30 सितम्बर, 2021) यह फर्म दिनांक 14 अप्रैल, 2021 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म से साझेदार 1. श्री राशिद पुत्र श्री इकबाल हुसैन 02. श्री शाहिद पुत्र श्री इकबाल हुसैन, 03. श्री जावेद हुसैन पुत्र श्री इकबाल हुसैन, 04. मोहम्मद आकिल पुत्र श्री इकबाल हुसैन दिनांक 01 फरवरी 2025 को स्वेच्छा से सेवानिवृत हो गये है, तथा साझेदार श्री तारिक हुसैन पुत्र श्री इकरार हुसैन की दिनांक 08 अक्टूबर, 2024 को आकास्मिक मृत्यु हो गयी है उनके स्थान पर दो साझेदार श्री मोहम्मद आमिस पुत्र श्री दानिश 02. श्री तन्जीम हुसैन पुत्र श्री तारिक हुसैन उक्त फर्म में दिनांक 01 फरवरी, 2025 से उपरोक्त फर्म में सम्मिलित हो रहे है तथा सेवानिवृत्त साझेदारों का फर्म पर व फर्म का सेवानिवृत्त साझेदारों पर कोई शेष बकाया नही है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल आठ साझेदार क्रमशः 01. श्री तौसीफ हुसैन 02. मोहम्मद शारिक जमाल, 03 श्री तनवीर हुसैन 04. मोहम्मद तालिब हुसैन 05. मो दनिश, 06. श्री फखरूद्दीन, 07. मोहम्मद आमिस, 08. तन्जीम हुसैन है।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

तौसीफ हुसैन,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स–बाबा शिव डेवलपर्स, प्लॉट नं0 674, विशम्भर सदन–2, विकास नगर कानपुर नगर 208024 का साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 09 जून, 2017 को पंजीकरण सं0 K–12194 पर हुआ था। फर्म में श्री प्रवीन कुमार पाण्डेय, श्री विनायक व रेमानी एम0वी0 साझीदार थे। भागीदारी विलेख दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के अनुसार फर्म में श्रीमती कल्पना पाण्डेय बालिग पुत्री श्री ज्ञान चन्द्र पाण्डेय पत्नी श्री प्रवीन पाण्डेय निवासिनी 7/190, फ्लैट नं0–701, कॉन्कार्ड अपार्टमेन्ट, स्वरूप नगर, कानपुर 208002 को साझीदारी में शामिल किया गया है तथा साझीदार श्री विनायक व रेमानी एम0वी0 स्वेच्छा से पृथक हो गये है। अब फर्म में श्री प्रवीन कुमार पाण्डेय एवं श्रीमती कल्पना पाण्डेय साझीदार हैं।

प्रवीन कुमार पाण्डेय,
पार्टनर।

सूचना

एत्त द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स डंगवाल गैस सर्विसेज, 18/242 रिंगरोड़, इन्दिरानगर, जिला–लखनऊ की साझीदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है फर्म की साझेदारी में दो साझेदार श्रीमती सरला डंगवाल एवं श्री परेश डंगवाल है जिसमें दिनांक 20 अप्रैल, 2025 से दोनों साझेदार अपनी–अपनी सहमति से फर्म की साझेदारी से अलग हो गये है जिसमें फर्म विघटित हो गई है। फर्म में वर्तमान में कोई लेनदारी व देनदारी नहीं है।

श्रीमती सरला डंगवाल,
साझेदार,
डंगवाल गैस सर्विसेज, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म सक्षम इंडस्ट्रीज, 13ए,/1 चम्पा दूबे भवन, पी0डी0 टण्डन रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज के भागीदार सुनील कुमार पाल दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उक्त फर्म से अपनी भागीदारी समाप्त करते हुए अलग हो गये है। अब फर्म में भागीदारो की भागीदारी का अनुपात क्रमशः प्रदीप कुमार सिंह चौहान का 20 प्रतिशत, अर्जुन सिंह का 20 प्रतिशत, अमित प्रताप कुशवाहा का 20 प्रतिशत, अमित कुमार मौर्य का 20 प्रतिशत एवं अरविन्द कुमार मिश्रा का 20 प्रतिशत होगा। फर्म से अलग हुए भागीदार सुनील कुमार पाल का उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं है।

प्रदीप कुमार सिंह चौहान,
भागीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम साहिल दुबे पुत्र रमेश कुमार दुबे है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–6490 2977 4826 में उसका नाम उत्कर्ष द्विवेदी हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम साहिल दुबे पुत्र रमेश कुमार दुबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रमेश कुमार दूबे,
ग्राम भुसरौल, पोस्ट छटहा,
तहसील सदर मिर्जापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ज़िया हैदर पुत्र मिर्जा नदीम हैदर है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरा आधार कार्ड संख्या–3533 8870 8410 में मेरा नाम लकी अंकित हो गया है जो घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरा सही नाम ज़िया हैदर पुत्र मिर्जा नदीम हैदर के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ज़िया हैदर,
4/4/185 राठहवेली,
अयोध्या।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम कु0 रीतिका सिंह पुत्री शिव राज सिंह था जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। शादी के बाद मैने अपना नाम कु0 रीतिका सिह से बदलकर रीतिका वर्मा रख लिया है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। भविष्य में मुझे रीतिका वर्मा पुत्री शिव राज सिंह पत्नी दीपक वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रीतिका वर्मा,
पत्नी दीपक वर्मा,
नि0 सफायर सुप्रीम तीसरा फ्लोर,
117/एच–2/140 पांडू नगर द्विवेदी,
अस्पताल के पीछे, करनपुर हंस नगर,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रखर शुक्ल पुत्र प्रवीण कुमार शुक्ल है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–9578 2514 7130 में उसका नाम विशेष शुक्ल हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रखर शुक्ल पुत्र प्रवीण कुमार शुक्ल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रवीण कुमार शुक्ल,
पता–पीड़ी करछना,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सिद्धार्थ तिवारी (SIDDHARTHA TIWARI) पुत्र विनय कृष्ण तिवारी है, जो मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। जो कि सही है लेकिन त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–7922 1887 4782 में मेरा नाम सिद्धांत तिवारी (SIDDHANTH TIWARI) अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सिद्धार्थ तिवारी (SIDDHARTHA TIWARI) पुत्र विनय कृष्ण तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सिद्धार्थ तिवारी,
पता–447 बक्शी खुर्द,दारागंज,
कच्ची सड़क प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवा पुत्र सन्तोष विश्वकर्मा है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं07243 1312 5030 में उसका घरेलू नाम लाल बाबू अंकित हो गया है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवा पुत्र सन्तोष विश्वकर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कुमारी पूनम कुमारी,
पता– भोला नाथ विश्वकर्मा,
छितौनी, बच्छांव वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अचल कुमार मिश्रा पुत्र सन्तोष कुमार मिश्रा है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, पैन कार्ड, में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 6354 6770 0393 में मेरा नाम प्रवीन कुमार पुत्र सन्तोष कुमार मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अचल कुमार मिश्रा पुत्र सन्तोष कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अचल कुमार मिश्रा,
नि0 अंजहाई राजापुर,
चित्रकूट, उ0प्र0।

NOTICE

It is informed to the general public that the correct name of my daughter is Aradhya Gupta daughter of Om Prakash Gupta. Which is mentioned in her educational records. Due to mistake my daughter's name has been mentioned as Pihu Gupta in her Aadhar Card Number 6828 5467 2045. Which is a domestic name. In future my daughter should be known and recognized by her correct name Aradhya Gupta daughter of Om Prakash Gupta. It is hereby certified that all the legal formalities in relation to the above has been completed by my myself.

Om Prakash Gupta,
Address. Nagar Panchayat,
Anpara Ward No. 18,
District Sonebhadra.

पी0एस0यू0पी0—7 हिन्दी गजट—भाग 8—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।